सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

की

नीतिगत योजना 2011-16

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

समन्वय और प्रकाशन प्रभाग

(10 फरवरी 2011)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की
नीतिगत योजना 2011-16

विषय-सामग्री

भाग	खंड	विषय	पृष्ठ संख्या
भाग-1		**राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) (एमओएसपीआई का सांख्यिकी खंड) के लिए नीतिगत योजना 2011:16**	**3-17**
	1.1	आकांक्षा, लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य	3-5
	1.2	परिस्थिति का आकलन	5-7
	1.3	नीति की रूपरेखा	7-14
	1.4	कार्यान्वयन योजना	14-15
	1.5	नीतिगत योजना और आरएफडी के बीच संयोजन	15
	1.6	प्रति विभागीय और प्रति कार्यात्मक मामले	15-16
	1.7	निगरानी और पुनरीक्षण व्यवस्थाएं	16-17
भाग-2		**एमओएसपीआई के पीआई खंड के लिए नीतिगत योजना 2011-16**	**18-32**
	1.1	आकांक्षा, लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य	18-19
	1.2	परिस्थिति का आकलन	19-24
	1.3	नीति की रूपरेखा	24-27
	1.4	कार्यान्वयन योजना	27-28
	1.5	नीतिगत योजना और आरएफडी के बीच संयोजन	28-29
	1.6	प्रतिविभागीय और प्रति कार्यात्मक मामले	30-32
	1.7	निगरानी और पुनरीक्षण व्यवस्थाएं	32
परिशिष्ट (विवरण)			**33-138**

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भाग-1: राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन के लिए नीतिगत योजना (2011-16)

1. आकांक्षा, लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य

1.1 परिचय

राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) देशभर में सांख्यिकी प्रणाली की योजना बनाने और उसके एकीकृत विकास को सरल बनाने तथा सरकारी सांख्यिकी के क्षेत्र में मानक और पैमाने तैयार करने, अवधारणाओं, परिभाषाओं को विकसित करने, आंकड़ों के संग्रहण के वर्गीकरण और कार्य-प्रणालियों की व्याख्या और परिणामों आदि को तैयार करने एवं जारी करने वाली एक नोडल एजेंसी है। एनएसओ में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), संगणक केंद्र और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) शामिल हैं।

1.2 आकांक्षा

विश्व की सर्वोत्तम और सर्वाधिक नवप्रवर्तनीय राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के रूप में बनना ।

1.3 लक्ष्य

- समय पर विश्वसनीय आकंड़े उपलब्ध कराना और सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए आवश्यक आंकड़ों का नियमित मूल्यांकन करना;
- गतिशील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति में आंकड़ों की जरूरत को पूरा करना, प्रतिवादी के बोझ को कम करना और आंकड़े एकत्र करने और उनके प्रकाशन में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचना;
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के विभिन्न घटकों द्वारा तैयार आंकड़ों के लिए मानकों और प्रणालियों को अपनाने के साथ-साथ उन्हें विकसित करना तथा इसे सुधार और आंकड़ों के अंतर को कम करने के लिए तैयार करना;
- आंकड़े मुहैया कराने वालों की गोपनीयता को बनाए रखकर और शासकीय आंकड़ों की संपूर्णता और निष्पक्षता को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली में सभी साझेदारों में भरोसे और विश्वास को मजबूत करना ।
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली के सभी घटकों के सुसंगत, फलोत्पादक और एकीकृत कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व और समन्वय प्रदान कराना।

- कौशल आवश्यकता का मूल्यांकन जारी रखना और सांख्यिकीय प्रणाली के सभी स्तरों पर मानव संसाधन क्षमता विकसित करना; और
- सभी अंतर्राष्ट्रीय पहलों में शामिल होना और सक्रिय योगदान देना । विश्वभर में सांख्यिकीय प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना ।

1.4 उद्देश्य

- सरकार में और उसके बाहर योजनाकारों और नीति निर्माताओं के लिए कुछ मुख्य मानकों पर आंकड़े/सांख्यिकी को उपलब्ध कराना;
- वर्तमान आंकड़ों के समूहों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाना;
- नीति निर्माताओं और योजनाकारों की मांगों को पूरा करने के लिए उभरते क्षेत्रों के बारे में नये आंकड़े उपलब्ध कराना, आंकड़ों के समूहों की उपलब्धता बनाए रखना; और
- आंकड़े प्रस्तुत करने में समय अंतराल को कम करना ।

1.5 कार्य

- देश में सांख्यिकीय प्रणाली के नियोजन और एकीकृत विकास को सरल बनाने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करना;
- सरकारी सांख्यिकी के क्षेत्र में मानकों और पैमानों का निर्धारण करना, अवधारणाएं, परिभाषाएं तैयार करना, आंकड़ों के संग्रह का वर्गीकरण और प्रणालियों की व्याख्या करना, आंकड़े तैयार करना और परिणाम जारी करना;
- आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने, आंकड़ों की उपलब्धता में अंतर की पहचान करने और सांख्यिकीय कार्य की पुनरावृत्ति न हो, इसके उपाय सुझाना और विभिन्न सांख्यिकी आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के समय को कम करने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और सांख्यिकीय क्रियाकलापों में संलग्न राज्य एजेंसियों के बीच सांख्यिकीय कार्यों में तालमेल करना;
- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों को आंकड़ों की पद्धति व विश्लेषण सहित सांख्यिकीय मामलों पर सुझाव देना;
- सरकारी, अर्धसरकारी, निजी आंकड़े प्रयोगकर्ताओं/एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को राष्ट्रीय स्तर की सांख्यिकीय सूचना देना ;
- राष्ट्रीय लेखा को राष्ट्रीय लेखे की यूएन प्रणाली के अनुसार तैयार करना और इसे विशेष आंकड़ों के प्रसार मानकों के अनुसार प्रचारित करना;
- शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करना और जारी करना;
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) तैयार करना और इसे जारी करना;
- उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) और आर्थिक गणना करना और उसके नतीजे जारी करना;
- अनुसंधान और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देकर देश में सरकारी/अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में सुधार करना;
- देशभर में सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के आधार को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं और संबंधित गतिविधियों के बारे में राष्ट्रव्यापी नमूना सर्वेक्षण डिजाइन तैयार करना, सर्वेक्षण कराना तथा इनके परिणामों को जारी करना;

- बेहतर नमूना तकनीक और अनुमान प्रक्रिया आदि को विकसित करने के लिए प्रणाली अध्ययनों और प्रारंभिक सर्वेक्षणों को संचालित करना;
- सांख्यिकीय प्रणालियों के विकास के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय पहलों में भाग लेना और इसमें योगदान देना;
- सार्क सामाजिक चार्टर के कार्यान्वयन को समन्वित और निगरानी करना;
- भारत के लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) की सांख्यिकीय स्थिति की जानकारी लेना;
- किसी स्त्रोत से प्रकाशित और अ-प्रकाशित वैध आंकड़ों तक पहुंच आसान बनाने के लिए एक आंकड़ा भंडार गृह बनाना;
- सामाजिक-धार्मिक वर्गों के लिए राष्ट्रीय आंकड़ा बैंक विकसित करना और उसका रखरखाव करना;
- केंद्र और राज्य सरकारों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और अन्य के लिए सरकारी सांख्यिकी और सांख्यिकी प्रणालियों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों और इंटर्नशिप की रूपरेखा तैयार करना और उन्हें संचालित कराना;
- सरकारी सांख्यिकी में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए *नेशनल एकेडमी ऑफ स्टेटिसटिकल एडमिनिस्ट्रेशन* (एनएएसए), ग्रेटर नौएडा (उ.प्र.) को एक प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित करना;
- यह सुनिश्चित करना कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1999 (1999 का 57) के प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहा है;
- भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) और अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) संवर्गों का प्रबंध करना; और
- आंकड़ों के संग्रह अधिनियम, 2008 (2009 का 7) का प्रबंध देखना।

2. परिस्थिति का आकलन

संसाधनों की उपलब्धता और कमियों पर विचार करने दोनों के संदर्भ में स्थिति का सही मूल्यांकन करना उपयुक्त कार्ययोजना और रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण हैं। यह साझेदारों को शामिल करने, सांख्यिकी ज्ञान और क्षमताओं को हासिल करने, संसाधन की जरूरतों को पता लगाते हुए योजना तैयार करने की संभावित रणनीति पर विचार करने के प्रवेश मार्ग और परिमाण का निर्धारण करता है ताकि विशेष योजनाओं को हाथ में लिया जा सके, विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार की जा सके, प्राथमिकताएं तय की जा सकें और उपलब्धि का पता लगाने, उसकी निगरानी और आकलन के लिए उचित मार्ग तय किया जा सके ।

2.1 विभिन्न बाहरी कारकों से प्रकट होते अवसर

- सरकार की विकास नीतियों की समीक्षा

- सार्वजनिक-निजी क्षेत्र के भागीदारी मॉडल को अपनाने के लिए नये क्षेत्र की खोज
- तेज आर्थिक विकास
- आय का बढ़ता स्तर
- सामाजिक विकास में सुधार जिसका अर्थ है अधिक आंकड़ों की मांग और खास किस्म के आंकड़ों के लिए नए सर्वेक्षण
- नए और अधिक कार्यकुशल कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी साधनों की उपलब्धता
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और आंकड़ों का संग्रह अधिनियम, 2008 प्रावधानों के अंतर्गत अधिकाधिक आंकड़ों का कार्यक्षेत्र और इनकी मांग बढ़ेगी।

2.2 विभिन्न बाहरी कारकों से प्रकट होती चुनौतियां

- राज्यों/जिलों के पुनर्गठन के कारण (तुलना पर प्रभाव डाल सकते है और आंकड़ों को सही तरीके से व्यवस्थित करना समस्या बन सकती है)
- तेज आर्थिक विकास नए आंकड़ों की मांगों के साथ या आंकड़ों के प्रसार के लिए कड़ी समय सीमा तय करके व्यवस्था पर दबाव बना सकता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी में विकास के कारण भविष्य में आंकड़ों के उपयोग का विचार बदला जा सकता है (आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का उपयोग, आंकड़ों का प्रबंध, आंकड़ों का प्रसार । नई उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए यह चुनौती वास्तविक है और जरूरी है)

2.3 साझेदार और उनका कार्य

आंकड़ों के क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, वैयक्तिक अनुसंधानकर्ता, निजी निगमित क्षेत्र, व्यापार/उद्योग संस्थाएं, आंकड़े प्रदाता और मीडिया सहित विभिन्न साझेदार हैं। आंकड़ों के बारे में न केवल इनकी महत्वाकांक्षाओं को समझना महत्वपूर्ण है जो तेजी से बढ़ती जा रही हैं, बल्कि आंकड़ों की विकास प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका और भागीदारी के महत्व को पहचानना भी जरूरी है जो वास्तव में सकारात्मक सलाह और जानकारी प्रदान करने के लिए न केवल निर्णायक है, बल्कि आंकड़ों की अनावश्यक आलोचना और नकारात्मक प्रचार पर भी अंकुश लगाना भी जरूरी है। साझेदारों के साथ प्रभावी बातचीत सांख्यिकीय संगठनों की दृश्यता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है जो जनता की बेहतर प्रतिक्रिया और आंकड़ों में उनका विश्वास हासिल करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आपस में एक दूसरे को मजबूत बनाने की प्रक्रिया आंकड़ों के संग्रह, आंकड़ों की सार्थकता में सुधार लाने, आंकड़ों की साझेदारी और आंकड़ों की प्रचार प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अतः साझेदारों के साथ व्यापक रूप से अधिकाधिक प्रभावी सांख्यिकीय प्रणाली विकसित करने में उनके सहयोग और सहभागिता को विशेषकर अधिकाधिक विश्वसनीय और गुणवतापूर्ण आंकड़े प्रदान करने और उन्हें समयानुकूल और प्रयोगकर्ता मैत्री रूप से प्रचारित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनके साथ एकजुट होकर काम करने के तरीकों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। एनएसओ ने अपने साझेदारों के साथ बातचीत के कई माध्यमों (बैठकों, विचार विमर्श, प्रश्नावलियों आदि के द्वारा) से संवाद स्थापित किया है और वे एक-दूसरे की महत्वकांक्षाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं, इन तरीकों की पहचान की है। एनएसओ और साझेदारों के बीच पारस्परिक

अपेक्षाओं को व्यापक बनाने के लिए एक-दूसरे की ओर से प्रयास किए गए हैं। नीतियों को लागू करने के लिए अपने साझेदारों के साथ भावी कार्यक्रमों का, जैसी भी आवश्यकता पड़ी, चिन्हित किया गया है। विवरण इस नीति दस्तावेज के परिशिष्ट के खण्ड 2ख में दिया गया है।

2.4 गुण और दोष

गुण

- भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस)/अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) के प्रशिक्षित कार्मिकों के रूप में उच्च स्तरीय सांख्यिकी कौशल
- वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता
- डाटाबेस के रखरखाव के लिए प्रणालियां और प्रक्रियाएं काफी उत्तम हैं और उपयोगी सेवा प्रदान करती हैं।
- एनएसओ के पास सांख्यिकी का पारंपरिक ज्ञान और इसके अनुप्रयोगों की जानकारी हैं।
- इस प्रणाली के पास चुनौतियों को स्वीकार करने की पर्याप्त खुला-मनोदृष्टि है।

दोष

- आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का नियोजन और प्रबंधन के क्षेत्र में, विशेषकर राज्य स्तर पर विभिन्न अधिकारियों की क्षमता का विकास और प्रशिक्षण की आवश्यकता ।
- कुशाग्र मानवशक्ति की कमी ।
- सरकारी प्रणाली में सांख्यिकीय कर्मियों की कम पहचान।
- उपयोगकर्ता द्वारा अपेक्षित समयबद्ध एंव व्यवस्थित ढंग से आंकड़ों/सांख्यिकी को तैयार करने की जवाबदेही
- आंकड़ों के प्रचार-प्रसार में देरी
- निर्णय लेने की धीमी प्रक्रिया
- आंकड़ों के संग्रह/प्रचार और कर्मियों का कौशल बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाना।
- परिसंपत्तियों का रख-रखाव।

3. नीति की रूपरेखा

3.1 उनकी पहल और संभावित नीतियां निम्नानुसार है :

1. प्रतिदर्श सर्वेक्षणों और सूचकांक आदि तैयार करने के लिए कार्यविधियों सहित राज्य के डीईएस को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना

- राज्य अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का दस्तावेज बनाना,
- राज्य अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना,
- राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न पहलुओं पर कार्यशालाएं और व्यावहारिक सत्रों का आयोजन करना,
- नियम-पुस्तिकाओं, मार्गदर्शनों/प्रक्रियाओं, कार्यविधियों, अवधारणाओं, परिभाषाओं आदि से संबंधित दस्तावेजों को तैयार करना और इन्हें राज्य सरकारों में वितरित करना।

2. क्षेत्रीय असमानताओं का अनुमान और सूचकांक तैयार करने के लिए कार्यविधि प्रदान करना

- समयबद्ध प्रारूप में प्रणाली और सभी संबंधित मामलों को तैयार करने के लिए राज्य डीईएस और केंद्रीय मंत्रालयों के विशेषज्ञों सहित इस उद्देश्य हेतु विशेषज्ञ समूह का गठन करना,
- पुस्तिकाएं तैयार करना और इन्हें राज्यों में वितरित करना; और
- केंद्र/राज्य अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना।

3. सर्वेक्षणों और अनुसंधान अध्ययन कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

- इसके लिए आईएसएसपी की केंद्रीकृत प्रायोजित योजना में प्रावधान किया जा सकता है, और राज्यों को इन्हें अपने एसएसएसपी में शामिल करना चाहिए,
- प्लान स्कीम "क्षमता विकास" से अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित करने के मौजूदा कार्यकलाप में उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है ताकि किसी पसंदीदा विषय पर अनुसंधान अध्ययन करने के लिए राज्य डीईएस को दिए गए अनुदान इसमें शामिल किए जा सकें । इस उद्देश्य के लिए गठित समूह में राज्यों/केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है ।

4. राज्यों के साथ सीएसओ के विभिन्न प्रभागों के समन्वय/संवाद में सुधार करना

- राज्य के डीईएस के साथ समन्वय प्रक्रिया को एनएसएसओ (एफओडी) के राज्य की राजधानी के उप महानिदेशक के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए जिसे नियमित रूप से जानकारी दी जा सकती है। राज्य डीडीजी से जानकारी प्राप्त करने और उनके साथ नियमित बैठक के लिए उपयुक्त निगरानी तंत्र गठित किया जाना चाहिए। एनएसओ के सभी प्रभागों को जानकारी राज्य की राजधानियों में एनएसएसओ (एफओडी) के निदेशकों के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए ।
- सभी प्रभाग उनसे संबंधित कार्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर राज्यों को सहायता की जरूरत पड़ती है और इसी के अनुसार प्रशिक्षण /कार्यशलाएं आयोजित कर सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर के रूप में सहायता प्रदान कर सकते हैं, उप-योजनाओं का मसौदा तैयार कर सकते हैं । ।

5. जिला स्तरीय अनुमान तैयार करने के लिए राज्यों की मदद की व्यवस्था

- केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अनुमान उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रयास किए जाए,
- केंद्र को राज्यों की क्षमता के विकास में उनकी मदद करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए,
- केंद्र द्वारा कराए गए अखिल भारतीय सर्वेक्षण को संशोधित किया जाना चाहिए क्योंकि जिला और यहां तक कि निचले स्तर के अनुमान उपयुक्त हों और इन्हें राज्यों द्वारा तैयार किया जा सके,
- अनुमानों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए एनएसएस/एएसआई के केंद्र और राज्यों के नमूना आंकड़ों को एकत्र करने के लिए राज्यों को सक्षम बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

6. स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, व्यापार, निर्माण आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सैटेलाइट अकाउंट्स को बढ़ावा

- सैटेलाइट अकाउंट्स तैयार करने पर कार्य की पहल करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों से निपट रहे मंत्रालयों के सामने मामलों को रखना,
- इस तरह के कार्य के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में नियुक्त सांख्यिकीय परामर्शदाताओं को उत्तरदायी ठहराया जा सके
- विभिन्न क्षेत्रों के सैटेलाइट अकाउंट्स को तैयार करने के लिए जहां कहीं उपलब्ध नहीं है, सीएसओ द्वारा मार्गदर्शिका निर्धारित की जाए और आंकड़ों की आवश्यकता आदि के लिए इन्हें संबंधित सांख्यिकीय परामर्शदाताओं के साथ साझा किया जाए ,
- सीएसओ केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में संबंधित अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित करवा सकता है।

7. उप राष्ट्रीय स्तर की योजना के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर अनुमान लगाना/आंकड़े एकत्र करना

- ब्लॉक और पंचायत स्तर पर योजना के लिए आंकड़ों की जरूरत को समझने और एक प्रमुख प्रायोजित योजना के रूप में बीएसएलएलडी की योजना को सुनियोजित रूप से तैयार किये जाने की आवश्यकता है।

8. गरीबी का अनुमान लगाने के लिए राज्यों हेतु आंकड़ों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना

- केंद्रीय प्रतिदर्श के लिए एनएसएस आंकड़े पहली रिपोर्ट के जारी होने के बाद या क्षेत्रीय कार्य पूरा होने के एक वर्ष बाद, जो भी पहले हो, राज्यों को उपलब्ध कराए जाए ।
- केंद्र और राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्र करने के साथ संबंधित सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने सहित राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों के उपयोग के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई जाए ।

9. संघ राज्य क्षेत्रों और छोटे राज्यों के लिए अलग से एनएसएस आंकड़े प्रकाशित करना

- संघ राज्य क्षेत्रों और छोटे राज्यों के लिए एनएसएस परिणामों को जारी करने के लिए कार्यविधि और प्रतिदर्श आकार आदि की जांच और इसे उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

10. एनएसओ के सभी सांख्यिकीय उत्पादों जैसे कि आईआईपी, एएसआई आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करना

आईआईपी

- आईआईपी आंकड़ों की आंतरिक समरूपता का अध्ययन करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां आंकड़ों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है - फिर भले ही वह आंकड़ों के संग्रहण की समस्या हो या उपयोग से सम्बन्धित समस्या;
- गुणवत्ता सुधार के लिए प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण और सुधार किए गए आंकड़ों के प्रसंस्करण कार्यकलाप आदि जैसे कदम उठाना;
- समस्या वाले क्षेत्र को जानने के लिए आंकड़ा स्त्रोत एजेंसियों और आंकड़ों के प्रयोगकर्ता के साथ नियमित बैठकों की एक प्रणाली विकसित करना ।

एएसआई

- योजना के नियमित अपडेट के लिए राज्य की राजधानियों के डीडीजी के माध्यम से चीफ इंस्पेक्टर्स ऑफ फैक्ट्रीज (सीआईएफ) के साथ समन्वय में सुधार लाना
- सैम्पल डिजाइन में सुधार लाने के लिए प्रणालीबद्ध अध्ययन करना
- आंकड़ों के संग्रहण में क्षेत्रीय स्टाफ के लिए अधिक कड़ा प्रशिक्षण संचालित करना

11. राज्यों से प्राप्त प्रशासनिक आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार

- वार्षिक आधार पर प्राथमिक और आवश्यक प्रयासों के लिए कुछ आंकड़ों की पहचान की जा सकती है,
- प्रारूपों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, प्रसंस्करणों, कंप्यूटराइजेशन आदि का निरीक्षण करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रशासनिक विभाग, राज्य के डीईएस, राज्यों में लाइन विभाग और एनएसएसओ (एफओडी) के राज्य की राजधानी के उप महानिदेशक के तहत नियुक्त संबंधित सांख्यिकीय परामर्शदाताओं के संदर्भ में सभी साझेदारों की नियमित बैठकें आयोजित करना ।

12. अनुबंध पर नियुक्तियों की बजाय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराने के लिए स्थायी कर्मचारी रखने के लिए कदम उठाना

- जांचकर्ताओं के पद के लिए आरआर में अर्हताओं और बाजार उपलब्धताओं को ध्यान को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जाना चाहिए ताकि पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो और भर्ती की जा सके;
- क्षेत्रीय स्तर पर स्थायी स्टाफ की भर्ती के लिए वैकल्पिक तरीका निकाला जाए तथा डीओपीटी और एसएससी को एसएसएस स्टाफ की भर्ती के विशेष माध्यम तैयार करने के लिए मनाया जाए ।

13. विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकीय लेखा परीक्षा कराना

- इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त संस्थानिक कार्य ढॉचा विकसित किया जाना चाहिए;
- सांख्यिकीय लेखा परीक्षा के लिए विधिवत् प्रक्रिया का विस्तार एवं मानकीकरण किया जाना चाहिए;
- विषय विशिष्ट लेखा परीक्षकों की एक टीम तैयार की जानी चाहिए;
- सांख्यिकीय लेखा परीक्षा के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए, और प्रायोगिक आधार पर तुरंत कुछ मामलों को लिया जाना चाहिए ।

14. सभी मासिक संकेतक/रिपोर्टों को अधिकतम एक माह की समय सीमा में जारी किया जाना चाहिए

- जैसा कि स्त्रोत एजेंसियों से आंकड़ों की समय पर उपलब्धता उन्हें समय पर जारी करने में एक प्रमुख बाधा है, अत: अप्राप्त जानकारी को भरने की प्रक्रिया स्पष्ट हो ताकि एक माह की अधिकतम समय-सीमा को कम किया जा सके ।
- स्त्रोत एजेंसियों द्वारा आंकड़ों को समय से उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को लागू किया जाना चाहिए और मंत्रालयों/विभागों में पदासीन सांख्यिकीय परामर्शदाताओं को उक्त प्रयोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाना चाहिए।

15. **सभी सर्वेक्षणों की रिपोर्ट जैसे एनएसएस सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक गणना आदि को क्षेत्रीय कार्य के पूरा होने के बाद एक वर्ष की अधिकतम अवधि में जारी किया जाना चाहिए।** डीपी केंद्रों में अनुसूचियों की प्राप्ति के लिए एक समय-सूची, डीपी केंद्र द्वारा आंकड़ों के उपयोग व रिपोर्टों के मसौदे के लिए एसडीआरडी की आपूर्ति और वार्षिक कार्ययोजना के हिस्से के रूप में इसे कड़ाई से नियंत्रित किया जाना चाहिए।

16. **इकाई स्तर के आंकड़े क्षेत्र कार्य पूरा होने के एक वर्ष के तुरंत बाद उपलब्ध कराए जाएं क्योंकि** क्षेत्रीय कार्य के पूरा होने के एक वर्ष बाद रिपोर्टों के आने की उम्मीद की जाती है। इकाई स्तर के आंकड़ों को भी क्षेत्रीय कार्य पूरा होने के एक वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, जारी किये जाने चाहिए।

17. वर्ष के आरंभ में एनएसओ की समस्त इकाइयों द्वारा **सभी रिपोर्टों/प्रकाशनों/डाटा-समूहों को जारी किए जाने के लिए एक केलेंडर निकाला जाए** और इसे एमओएसपीआई की वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी सांख्यिकीय रिपोर्टों इत्यादि के लिए आंकड़े/रिपोर्ट/प्रकाशन जारी किये जाने का केलेंडर तैयार किया जाना चाहिए और विभिन्न मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों में पदासीन सांख्यिकीय परामर्शदाताओं के परामर्श में आम सहमति योग्य समय-सारणी बनाई जाए और इसे कड़ाई से लागू किया जाए ।

18. **वर्ष के जुलाई माह से प्रारंभ एनएसएस सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों की प्रतिदर्श सूची सभी संबंधितों को निश्चित रूप से जून तक उपलब्ध कराई जानी चाहिए।** एनएसएसओ को राज्य सरकारों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रतिदर्श सूची, फ्रेम, अनुसूचियों, निर्देशों आदि को उपलब्ध कराने के लिए एक केलेंडर तैयार करना चाहिए और साथ ही उसे कड़ाई से लागू करना चाहिए ।

19. एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय खातों के अनंतिम और अंतिम परिणामों को अधिकतम 18 माह की एक समय अवधि में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सीएसओ को 18 माह की अवधि की सीमा का निश्चित रूप से पालन करने के लिए प्रक्रियाओं की जांच करनी चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

20. आंकड़ों के नये समूह तैयार करना

- आंकड़ों के नए समूहों के निर्माण के लिए एक नीति विकसित की जानी चाहिए। इसमें नए आंकड़े समूहों को तैयार करने की आवश्यकता शामिल की जानी चाहिए इस बात पर ध्यान न देते हुए कि, यह कार्य एओबीआर के अनुसार एनएसओ या अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाएगा;
- नए आंकड़े समूहों के निर्माण के लिए एक सुस्थापित तंत्र होना चाहिए। नए आंकड़ों को जारी करने की प्रक्रियाओं को प्रणाली, परिभाषा/अवधारणा, संस्थानिकीरण, वैधता, अंकेक्षण आदि के द्वारा अंतिम रूप दिया जाना चाहिए;
- शुरूआती तौर पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, वितरण व्यापार, अंतरर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार, घरेलू सेवा क्षेत्र, वार्षिक आधार पर रोजगार-बेरोजगारी और मजदूरी

  सांख्यिकी, तिमाही आधार पर आर्थिक स्तर पर आधारित टर्नओवर सूचकांक, बड़े उपक्रमों का राष्ट्रीय व्यवसाय रजिस्टर, नियमित आधार पर किसानों की दशा,

  भारत में बुजुर्गों की स्थिति का मूल्यांकन, भारत में अपराध की स्थिति, बाल-श्रम, व्यवसाय का वार्षिक सर्वेक्षण (निर्माण और गैर-निर्माण दोनों को शामिल करते हुए मौजूदा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के विपरीत), बागवानी सांख्यिकी, और निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण जैसे क्षेत्रों में नए आंकड़े समूह तैयार किए जाने चाहिए ।
- यह सूची केवल वर्तमान और संकेतक सूची है। उभरते मामलों को ध्यान में रखते हुए इसे समय-समय पर अपडेट किए जाने की आवश्यकता है।

21. भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा सृजित आंकड़ों के आवधिक पुनरीक्षण की प्रणाली अपनाना

- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में पदासीन सांख्यिकीय परामर्शदाताओं के साथ तिमाही बैठकें आयोजित करना,
- विषय विशिष्ट अंकेक्षकों की सहायता से सृजित सांख्यिकी का पुनरीक्षण करना,
- लेखापरीक्षकों की सिफारिशों की निगरानी के लिए एक तंत्र गठित करना ।

22. राज्य/केंद्र के मंत्रालयों और अन्य साझेदारों के साथ संवाद कायम करना

- सीएसओ तथा एनएसएसओ के प्रत्येक प्रभाग द्वारा नियमित आधार पर राज्य के डीईएस के साथ परस्पर संवाद की नीति बनाई जाए ।

- राज्य की राजधानियों में नियुक्त उप महानिदेशक को समन्वय संबद्ध मामलों के पुनरीक्षण के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर निदेशक, एवं डीईएस के साथ नियमित रूप से जैसे पंद्रह दिन में एक बार बैठक आयोजित करनी चाहिए ।

23. अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बढ़ाना

- प्रभाग वार संवाद के बजाए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क कायम करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
- एनएसओ के अधिकारियों को सर्वोत्तम क्रियाकलापों को सीखने के लिए अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठनों में प्रतिनियुक्त करना

24. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य के डीईएस को आदर्श परिभाषाएं, अवधारणाएं और कार्यप्रणालियॉ उपलब्ध कराना

- पहले से ही निर्धारित विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाएं तैयार करने का कार्य एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए,
- नए विषयों की पहचान होनी चाहिए और पुस्तिकाएं तैयार कर और उन्हें केंद्र/राज्य एजेंसियों के साथ साझा करना चाहिए।

25. आंकड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता लाने के साथ-साथ सांख्यिकीय कार्मिक और सांख्यिकीय संगठनों दोनों की छवि को सुधारने के लिए "दृश्यता" में सुधार लाने हेतु उपयुक्त नीतियों का विकास करना

- सांख्यिकीय जानकारी के प्रत्येक भाग को बड़े स्तर पर जारी किया जाना चाहिए,
- संबंधित अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण करने और संक्षिप्त रिपोर्टों/टिप्पणियों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसे जनहित में प्रचारित भी किया जाना चाहिए। इसके लिए वेबसाइट, प्रिंट मीडिया, न्यूजलैटर आदि जैसे माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है।
- सांख्यिकीय अधिकारियों को देश भर में शैक्षिक संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए,
- प्रत्येक सांख्यिकीय उत्पाद का प्रचार करने के लिए आंकड़ा प्रसार प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्य के रूप में उपयुक्त प्रचार मानकों को निर्धारित किया जाए ।
- एनएसओ/केंद्र सरकार से राज्य के डीईएस और इसके उलट कार्मिक के आदान-प्रदान की एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, और इस विषय को सीओसीएसएसओ जैसे मंच पर विमर्श किया जाना चाहिए और इसी के अनुसार सेवा नियमों में उपयुक्त संशोधन किए जाने चाहिए,
- विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा सभी संदर्भित सांख्यिकी मामलों में राज्य के डीईएस की भागीदारी होनी चाहिए। इस दिशा में पहला कदम, राज्यों में सामान्य सांख्यिकीय संवर्ग होने के मामले पर एनएसओ द्वारा राज्यों के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए और इस पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए ।

26. केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के डीईएस की तुलना में एनएसओ की भूमिका

- एमओएसपीआई की भूमिका सलाहकार, मानदंडों का निर्धारक, समन्वयकर्ता, अंकेक्षण/गुणवत्ता जांच करने वाले और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने वाली होनी चाहिए।
- एनएसओ को तकनीकी मामलों पर परामर्श देने और समन्वय करने के लिए विशिष्ट संगत क्षेत्रों में क्षमता और विशेषज्ञता का विकास करना चाहिए, और
- एनएसओ को अपने कार्यों को विषय वार पुनर्गठित करना चाहिए ताकि तकनीकी विशेषज्ञता को विकसित और कायम रखा जा सके ।

27. एनएएसए के माध्यम से राज्य/केंद्रीय सांख्यिकीय कर्मियों की क्षमता का विकास

- राज्य/केंद्रीय सांख्यिकीय अधिकारियों की विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एनएएसए द्वारा पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए, और
- अपनी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को कार्यान्वित करने के लिए एनएएसए को केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों के साथ गहन परामर्श करना चाहिए।

3.2 मुख्य नीतियों की प्राथमिकता तय करना

कदम	मान
1. योजनाकारों और नीति निर्माताओं के लिए आंकड़े/सांख्यिकी उपलब्ध कराना	25
2. आंकड़ों/सांख्यिकी के प्रचार में लगने वाले समय को कम करना	25
3. आंकड़ों/सांख्यिकी की गुणवत्ता में सुधार	15
4. साझेदारों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना	15
5. विकसित हो रहे क्षेत्रों में नए आंकड़े समूह तैयार करना	10
6. केंद्र और राज्य सांख्यिकीय संगठनों के साथ समन्वय में सुधार लाना	10

4. कार्यान्वयन योजना

4.1 साझेदारों की संलग्नता

इस नीति दस्तावेज के परिशिष्ट के खण्ड 3ख और 4क में यथा वर्णित वार्षिक, द्विवार्षिक बैठकों, संगोष्ठियों, ईमेलों, प्रश्नावलियों आदि के माध्यम से निरंतर संवाद और विचार-विमर्शों के द्वारा साझेदारों की संलग्नता देखी जाएगी ।

4.2 ज्ञान और क्षमताओं का निर्माण

- ज्ञान को यूरोस्टेट, ओईसीडी, स्टेटकनाडा, यूएनएसडी आदि जैसी विश्व की सर्वश्रेष्ठ सांख्यिकीय प्रणाली से निर्मित किए जाने की योजना है,
- साझेदारों के साथ समन्वय और उनकी संलग्नता खुले सत्रों, आंकड़ों के उपयोगकर्ताओं के सम्मेलनों को आयोजित करके और इन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया और नियमित बैठकों के आयोजन में शामिल करके सुधारा जाएगा ।
- एनएसओ के अधिकारियों के लिए संप्रेषण और प्रस्तुतीकरण कुशलताओं को एनएएसए में विशिष्ट मोड्यूल विकसित कर और शीर्ष प्रबंधन विद्यालयों में अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करके सुधारा जाएगा ।
- अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सेटेलाइट अकाउंट्स को अंतरराष्ट्रीय कार्यकलापों और संबंधित यूएन एजेंसियों से सीखा जाएगा ।

विवरण इस नीतिगत योजना के परिशिष्ट के खण्ड 3ग और 4ख में दिया गया है ।

4.3 समग्र योजना और उपलब्धियों की जानकारी व मापन

प्रगति, पुनरीक्षण की विधि और उचित कार्य प्रणाली के आकलन के लिए क्रियाकलापों/पहलों, मापन और अवलोकन मानदंडों का विवरण परिशिष्ट के खण्ड 4ड. में दिया गया है। कार्यक्रम के लिए प्रत्येक पहल आवधिक पुनरीक्षण हेतु योजना बनाई गई है और कामकाज में विसंगति को दूर करने का काम उत्तरदायी प्रभागों को सौपा जाना चाहिए ।

4.4 संसाधनों की आवश्यकता

प्राथमिक सांख्यिकीय कर्मचारी और मध्य स्तर के पर्यवेक्षक अधिकारी मानव संसाधन हैं जिनकी संख्या कम है। परिशिष्ट के खण्ड 2 में दिए गए विवरणानुसार उपयुक्त नीतियों को दर्शाया जाएगा। वित्तीय संसाधनों से संबद्ध मामलों को प्रत्येक वर्ष की वार्षिक कार्य योजना के आधार पर मंत्रालय की वार्षिक योजनाओं में दर्शाया जाएगा ।

4.5 समग्र योजना और उपलब्धियां

इस नीतिगत योजना दस्तावेज के खण्ड 4ड. में विवरण दिया गया है ।

5. नीतिगत योजना और आरएफडी के मध्य संयोजन

परिशिष्ट के खण्ड 3क में वर्णित नीतियों और नीतिगत पहलों को प्रत्येक वर्ष परिणाम कार्यढांचे दस्तावेज (आरएफडी) में संगत कार्य योजनाओं और उद्देश्यों में उपयुक्त रूप से परिवर्तित कर दिया जाएगा। आरएफडी तैयार करते समय, उद्देश्यों, कार्यों और समय-सीमाओं को उपयुक्त रूप से व्यवस्थित किया जाएगा ।

6. प्रति विभागीय और प्रति कार्यात्मक मामले

6.1 संभाव्य चुनौतियों से संबंधित आयामों को बारहवीं योजना में शामिल किया जाना

यह नीतिगत योजना दस्तावेज में वर्णित प्राथमिकताओं के अनुसार मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 दस्तावेज की तैयारी का आधार बनेगा ।

6.2 संसाधन आबंटन और क्षमता निर्माण मामलों सहित प्रति विभागीय मामलों की पहचान और प्रबंधन

देश भर में सांख्यिकीय क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए और साथ ही मानकों और मानदंडों आदि के मूल्यांकन हेतु केंद्रीय एजेंसी होने के नाते एनएसओ की सफलतापूर्वक कार्य रचना के लिए प्रति विभागीय मामलों का प्रबंधन इसके अध्यादेश का पालन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य विभागों, दोनों के साथ समन्वय के सुदृढ़ीकरण और कार्मिकों का क्षमता निर्माण अनिवार्य है। इस भूमिका को पूरा करने का विवरण परिशिष्ट की धारा 3ए में दिया गया है ।

6.3 विभागों/कार्यालयों में प्रति कार्यात्मक संयोजन

योजना में वर्णित नीतिगत पहलों को एनएसओ के विभिन्न प्रभागों के बीच प्रति कार्यात्मक जुड़ावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि विभिन्न प्रभागों के बीच सहक्रिया और संबंध समाप्त नहीं हो, बल्कि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान इनमें और बढ़ोतरी हुई हैं। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि वरिष्ठ प्रबंधन टीम का नेतृत्व एकजुट है ।

6.4 संगठनात्मक पुनरीक्षण और एजेंसियों की भूमिका और वृहद् जन सेवा

संगठनों के लक्ष्यों की पहचान कर ली गई है और इनके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उपयुक्त प्रारूपों और आवश्यक प्रणालियों को भी चिन्हित किया गया है। ये सभी उपाय नीतिगत पहलों का हिस्सा होते हैं। मंत्रालय के लिए नागरिक चार्टर लागू है ।

7. निगरानी और पुनरीक्षण व्यवस्थाएं

7.1 पुनरीक्षण बैठकें: योजना में वर्णित प्रत्येक कार्यक्रम/नीतिगत पहलों को वार्षिक आधार पर कार्य योजनाओं में परिवर्तित किया जाएगा और इनका पुनरीक्षण आवधिक पुनरीक्षण बैठकों में एक औपचारिक निकाय द्वारा किया जाएगा । इन पुनरीक्षण निकायों की अध्यक्षता मासिक आधार पर एक अधिकारी, जिसका रैंक संयुक्त सचिव से कम न हो; द्विमासिक आधार एनएसओ के उप महानिदेशकों और तिमाही आधार पर एक सचिव के द्वारा की जाएगी । केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ पुनरीक्षण मंत्रालयों/विभागों में और राज्यों की राजधानियों में पदासीन केंद्रीय सांख्यिकीय परामर्शदाताओं/समन्वयकों के साथ तिमाही पुनरीक्षणों के अलावा केंद्रीय और राज्य के सांख्यिकी संगठनों के एक सम्मेलन के माध्यम से वार्षिक आधार पर होगा ।

7.2 आरएफडी लक्ष्यों पर आधारित निष्पादन की मॉनीटरिंग : परिणाम कार्यढांचा दस्तावेज (आरएफडी) नीतिगत दस्तावेज में यथा वर्णित और निर्धारित तिथियों के अनुसार विभिन्न मानदंडों/उपलब्धियों के आधार पर तैयार किया जाएगा। विभिन्न उद्देश्यों की प्रगति उक्त 8:1 के अनुसार आवधिक रूप में पुनरीक्षित की जाएगी और किसी भी प्रकार की कमियों को समाप्त करने/कम करने के लिए संभव प्रयास किए जाएंगे । नियमित मूल्यांकन के आधार पर साझेदारों के लाभ और हित के लिए नीति अधिसूचनाएं और अन्य मानदंड लागू किये जा सकते हैं ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भाग-2 : कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड के लिए नीतिगत योजना (2011-16)

1. आकांक्षा, लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य

1.1 परिचय

कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड (पीआई विंग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) के कार्यान्वयन के अतिरिक्त सरकार की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का निरीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड के तीन प्रभाग हैं जैसे :

(1) अवसंरचना और परियोजना निरीक्षण प्रभाग (आईपीएमडी)

(2) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड)

(3) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

1.2 पीआई विंग की आकांक्षा

राष्ट्रीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं का प्रभावी निरीक्षण करना ।

1.3 लक्ष्य

- सुव्यवस्थित प्रगति द्वारा उच्च निष्पादन स्तरों को प्राप्त करने के लिए अवसंरचना और बड़ी केंद्रीय परियोजनाओं को सुसाध्य बनाना और निरीक्षण करना, और बेहतर कार्यप्रणाली को अपनाना; और

- देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड), बीस सूत्रीय कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों और योजना के कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाना और निरीक्षण करना ।

1.4 उद्देश्य

- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) का निरीक्षण और कार्यान्वयन करना
- रु. 150 करोड़ और उससे अधिक की केंद्रीय परियोजनाओं का निरीक्षण और नियमित रिपोर्टों को जारी करना
- बीस सूत्रीय कार्यक्रम का निरीक्षण करना और नियमित रिपोर्टों को जारी करना।

1.5 कार्य

1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) का निरीक्षण और कार्यान्वयन करना
2. रु. 150 करोड़ और उससे अधिक की केंद्रीय परियोजनाओं का निरीक्षण और नियमित रिपोर्टों को जारी करना
3. अवसंरचना वाले क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन का निरीक्षण और नियमित रिपोर्टों को जारी करना
4. बीस सूत्रीय कार्यक्रम का निरीक्षण करना और नियमित रिपोर्टों को जारी करना।

2. परिस्थिति का आकलन

संसाधनों की उपलब्धता और कमियों पर विचार करना दोनों के संदर्भ में स्थिति का सही मूल्यांकन करना उपयुक्त कार्ययोजना और रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण हैं। यह साझेदारों को शामिल करने, सांख्यिकी ज्ञान और क्षमताओं को हासिल करने, संसाधन की जरूरतों को पता लगाते हुए योजना तैयार करने की संभावित रणनीति पर विचार करने के प्रवेश मार्ग और परिमाण का निर्धारण करता है ताकि विशेष योजनाओं को हाथ में लिया जा सके, विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार की जा सके, प्राथमिकताएं तय की जा सकें और उपलब्धि का पता लगाने, उसकी निगरानी और आकलन के लिए उचित मार्ग तय किया जा सके ।

2.1 बाहरी ताकतों से उत्पन्न अवसर

<u>आईपीएमडी</u>

- राजनीतिक शक्तियों द्वारा आईपीएमडी के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अधिक महत्व दिया गया और इस प्रकार जो मुद्दे कमजोर दिखाई दिये उनकी तरफ उच्च स्तर पर ध्यान गया ।
- आईपीएमडी द्वारा परियोजनाओं के समय पर पूरा होने से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बेहतर नतीजों की प्राप्ति

<u>एमपीलैड</u>

- एमपीलैड के माध्यम से लोगों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए सांसदों द्वारा दृढ प्रतिबद्धता
- एमपीलैड के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए बजट सहायता सुनिश्चित करना
- एमपीलैड योजनाओं के अंतर्गत उनके क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के सृजन हेतु जनता द्वारा भारी मांग
- आईपीएमडी और एमपीलैड द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं पर संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर बनाकर सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार लाना
- धन को शीघ्र जारी करने वाले बैंकों का इलैक्ट्रोनिक एकीकरण
- पर्यावरण अनुकूल परिसंपत्तियां जैसे जल संरक्षण, जल संचय, गैर-पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों आदि के निर्माण के अवसर

<u>बीस सूत्रीय कार्यक्रम</u>

- बीस सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार की मजबूत राजनीतिक प्रतिबद्धता
- उन्नत अर्थव्यवस्था के परिणामस्वरूप सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए और अधिक धन आवंटित किया जा सकता है ।
- हरित प्रौद्योगिकी अपनाकर पर्यावरण में सुधार करना

2.2 बाहरी ताकतों से उत्पन्न खतरे

<u>आईपीएमडी</u>

- बुनियादी ढॉचा परियोजनाओं की प्रकृति काफी जटिल हैं चुँकि इसमें भूमि अधिग्रहण की भारी मात्रा, विभिन्न प्रकार के समाशोधन और आपूर्ति संबंधित समस्याएं शामिल हैं ।
- जटिल समस्याओं की स्थिति का आकलन कठिन है चूंकि कई बार सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती ।
- परियोजना प्राधिकरण वास्तविक समस्याओं की जानकारी नहीं देते ।
- परियोजनाओं में देरी से परियोजना की लागत के साथ-साथ साझेदारों के लाभ पर भी काफी प्रभाव पड़ता है ।
- आईपीएमडी में पदासीन लोगों के पास पर्याप्त और उपयुक्त तकनीकी लोग उपलब्ध नहीं होते ।

- यदि काबिल व्यक्ति लंबे समय के लिए उपलब्ध न हों तो संगठनों में अपनाये गये क्षमता निर्माण उपाय प्रभावी नहीं होते ।
- विभिन्न पहलुओं पर केंद्र सरकार के मार्गदर्शनों में वर्णित आम मानकों पर कार्य करने के लिए राज्य प्रतिरोध कर सकते हैं ।
- परियोजनाओं में देरी लाने वाले कारक समाशोधन की प्रक्रिया में अधिक समय लेते हैं ।

एमपीलैड

- अन्य प्राथमिकताओं के कारण एमपीलैड योजना के विधिवत् कार्यान्वयन के लिए जिला प्राधिकरणों द्वारा रूचि की कमी/असमर्थता
- आचार संहिता के लागू हो जाने और परिणामात्मक प्रतिबंधों के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी
- वर्षों से मंहगाई के कारण क्षतिपूर्ति न होना
- मजदूरी दरों और अन्य लागतों में बेहताशा वृद्धि
- संसाधनों की कमी के कारण घटता विकास
- आवश्यकता आधारित जरूरतों के पूरा न होने के कारण एमपीलैड योजनाओं पर लोगों में असंतोष
- सूचना प्रौद्योगिकी में तेजी से आ रहे परिवर्तन से आंतरिक बदलाव होते हैं ।
- परिसंपत्तियों के अकस्मात निर्माण के कारण पर्यावरण पर प्रभाव
- कभी-कभार विभिन्न न्यायालयों में दायर याचिकाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में देरी कर सकती हैं ।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम

- केंद्र सरकार की प्राथमिकता में परिवर्तन के चलते, टीपीपी राज्य कार्यक्रमों के लिए कम महत्व का बनता जा रहा है
- राज्य की अर्थव्यवस्था सामाजिक विकास कार्यक्रमों पर प्रभाव डाल सकती है
- क्षेत्रीय राजनीति
- श्रम प्रधान रोजगार से पूंजी प्रधान रोजगार में परिवर्तन
- पर्यावरण का घटता स्तर जलवायु पर प्रभाव डालता है जिससे उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है

2.3 साझेदार और उनके कार्य

ऐसे प्लेयर्स या साझेदारों की संख्या काफी है, जो विभाग के तीन प्रभागों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा प्रभावित होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा मंत्रालय (वर्तमान में 16), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, सांसद, आपूर्तिकर्ता व वेंडर, जिला प्राधिकरण और सर्वसाधारण जनता शामिल है। पीआई विंग के तीन प्रभाग अपने साझेदारों के साथ संचार के विभिन्न माध्यमों

(बैठकों, सामूहिक चर्चा आदि) के द्वारा संवाद स्थापित करते हैं और अपनी महत्वकांक्षाओं को कैसे परस्पर पूरा कर सकते हैं, इसकी पहचान करते हैं। यह जानने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि साझेदार विभाग से तथा विभाग साझेदार से क्या अपेक्षा रखते हैं। नीतियों के कार्यान्वयन में, साझेदार के साथ भविष्य में क्या मेलजोल होना चाहिए इन पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया है ।

विवरण इस नीतिगत योजना के लिए परिशिष्ट के खण्ड 2 में दिया गया है ।

2.4 गुण व दोष

गुण

<u>आईपीएमडी</u>

- आईपीएमडी की अध्यक्षता अत्यधिक काबिल और अनुभवी तकनीकी व्यक्ति द्वारा की जाती है ।
- इसे केंद्रीय बजट द्वारा वित्त पोषित किया जाता है और इसी प्रकार उपयुक्त प्रावधानों की व्यवस्था की जा सकती है ।
- यह प्रभाग साझेदारों में अनुभव और ज्ञान बांटने में अपनी पारदर्शिता के लिए जाना जाता है ।
- विभिन्न क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध कार्यढांचा
- प्रभाग में खुलेपन की संस्कृति
- आईपीएमडी का एक ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीएमएस) है जो प्रत्येक माह ऑनलाइन आंकड़ों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण विश्लेषण में सहायता करता है ।
- आईपीएमडी परियोजना डाटाबेस का अनुसंधानकर्ताओं और मीडिया द्वारा गहन रूप से अवलोकन किया जाता है। यह विश्व का अपनी तरह का अनोखा और बड़ा डाटाबेस है ।

<u>एमपीलैड</u>

- अनुभवी प्रशासनिक कुशाग्रता
- सक्रिय दूरदर्शी नेतृत्व (प्रमुख प्रवर्तक) और परिणामोन्मुख प्रयास

- दिशा-निर्देश युक्त कार्यढांचे के अंतर्गत कार्य-संचालन हेतु मजबूत प्रशासनिक तंत्र/क्रियाकलाप को स्थापित करना और इसका जिलों/राज्यों में संवर्धन करना ।
- एमपीलैड के दिशा-निर्देश स्पष्ट रूप से कार्य ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जैसे उपयुक्त कार्य जिन्हें किया जा सकता है और संचालन प्रक्रिया तथा योजना निरीक्षण तंत्र इत्यादि
- योजना के बारे में अच्छी समझ है। मार्गदर्शिका को बेहतर समझने के लिए जिला/राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।
- एमपीलैड योजना का कामकाज अच्छा रहा है और इसमें वर्ष 2004-05 में पर्याप्त सुधार आया है जैसाकि धन के इस्तेमाल पर नजर डालें तो यह जारी की गई राशि के 90 प्रतिशत और उससे अधिक ही रहा है।
- अनुदान-सहायता के रूप में धन जारी करने के लिए निर्धारित बजट सहायता
- एमपीलैड कार्य निरीक्षण सॉफ्टवेयर जैसे उपाय किए गए हैं जिन्हें सर्वसुलभ बनाने के लिए जिला प्राधिकरणों द्वारा अपलोड किया जाना है जिनमें उनके कार्यों का विवरण शामिल है ।
- जिला स्तर, कार्यान्वयन एजेंसी स्तर, राज्य स्तर इत्यादि पर जबावदेही का मजबूत तंत्र दिशा-निर्देशों में पहले से ही निर्धारित किया गया है ।

<u>बीस सूत्रीय कार्यक्रम</u>

- लंबे अनुभव के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त सांख्यिकीय कुशल ज्ञान
- पीआई विंग के सभी प्रभागों के बीच संवाद बहुत अच्छा है ।
- गुणवत्तापूर्ण बेहतर संसाधन उपलब्ध हैं। पर्याप्त बजट सहायता उपलब्ध है ।
- केंद्र व राज्य सरकारों के स्तरों पर मजबूत स्थिति
- केंद्रीय नोडल मंत्रालय और राज्य सरकार की अच्छी आपसी समझ
- प्रभावकारी नियंत्रण के प्रति केंद्रीय नोडल मंत्रालय और राज्य सरकार का जवाब सकारात्मक होता है ।

दोष

<u>आईपीएमडी</u>

- तकनीकी क्षेत्र में नौकरियों के लिए खाली जगहों के कारण, इसके पास सभी कार्यों का प्रभावी रूप से निष्पादन करने के लिए बहुत सीमित संसाधन हैं। मानव संसाधन प्रभाग की आवश्यकताओं की पिछले 20 वर्षों से समीक्षा नहीं की गई है । प्रभाग में सहायक सचिवीय स्टाफ का स्तर बहुत ही निम्न है ।
- आईसीटी अनुप्रयोग में स्टाफ की कमी है ।
- आंतरिक स्वीकृति प्रक्रिया अव्यवस्थित है और अधिक समय लेने वाली है ।
- सहायक कर्मियों की कोई व्यवस्था नहीं है। अनुबंध सेवा पर आश्रित है ।

- कुशल कर्मचारियों के अभाव के चलते उन्नयन और वैधीकरण में परेशानी
- आईपीएमडी का कार्य एक पूरक और मददगार की प्रकृति का है। इसका परियोजनाओं पर सीधा नियंत्रण नहीं है। पीएमओ/कैबिनेट सचिवालय से दूर हमारी जानकारी आधारित आवश्यकताओं पर साझेदारों की प्रतिक्रिया काफी निराशाजनक है ।
- कुछ परियोजना उपक्रम अपने मंत्रालयों की संभाव्य अप्रिय प्रतिक्रिया के कारण मंत्रालय को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने में झिझकते हैं, जबकि उन्हें एमओएसपीआई द्वारा राष्ट्र के लिए किए जा रहे कार्य के प्रभाव के बारे में जानकारी है ।

एमपीलैड

- योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए जिला प्राधिकरणों पर निर्भरता
- कुछ जिलों में विभिन्न कारकों के कारण कार्रवाई में देरी
- एमपीलैड मार्गदर्शनों के प्रावधानों का पूरी तरह से प्रयोग कर जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में सुधार की गुंजाइश है ।
- योजना, आधारभूत लेखे और तुलन-पत्र से संबंधित आईटी प्रक्रियाओं पर मंत्रालय में स्टॉफ के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है ।
- प्रत्यक्ष निरीक्षण जैसे कार्यकलापों के लिए बजट की सहायता अप्रर्याप्त है ।
- संपूर्ण और सही विवरणों को वेबसाइट पर पूरी तरह नहीं डाला जाता है ।
- जिला/राज्य स्तरों पर उचित निरीक्षण की कमी
- व्यय, इत्यादि पर जिला प्राधिकरणों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराने में देरी

बीस सूत्रीय कार्यक्रम

- टीपीपी प्रभाग और इसके साथ-साथ राज्य तंत्र के कुछ स्टाफ कर्मियों में आईटी कुशलताओं की कमी पाई जाती है ।
- अपर्याप्त मानव संसाधन
- जिला स्तर पर कमजोर
- टीपीपी प्रभाग की जिला प्रशासन पर समझ कम है और लाभार्थी और जनता के बारे में समझ का अभाव है ।
- किसी भी साझेदारों पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाने के लिए मंत्रालय बाध्य नहीं है।

2.5 सीखने की कार्यसूची

- वर्तमान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ संयोजन
- कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के लिए निवेश संयोजन
- परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न साझेदारों की भूमिका

- निर्माण प्रक्रिया का मूल्यांकन और समाशोधन के लिए क्षेत्र विशेष प्रक्रियाएं
- अनुबंध प्रबंधन और प्रशासन
- धन की निगरानी/जारी करने से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों/प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण
- लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्रों की समुचित संवीक्षा हेतु तुलन-पत्रों/आय-व्यय विवरणों की आधारभूत जानकारी के लिए ट्रेनिंग/एक्सपोज़र
- टीपीपी के कार्यान्वयन में समस्या प्रधान क्षेत्रों की पहचान करना
- मासिक प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट की विश्लेषणात्मक सामग्री में सुधार
- आम जनता में लाभार्थियों से जानकारी

3. नीति की रूपरेखा

3.1 नीतियां और प्राथमिकताएं

साझेदार की अपेक्षाओं, बाहरी तत्वों के विश्लेषण और आंतरिक क्षमताओं की समझ के आधार पर पीआई विंग ने निम्नलिखित नीतियां और प्राथमिकताएं तय की हैं ।

(i) आईपीएमडी

नीतिगत पहल		**मान**
1.	केंद्रीय और राज्य स्तरों पर अंतर मंत्रालय संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिकाधिक सरल उपाय बताना	10
2.	वर्गीय मुद्दों से निपटने के लिए प्रणालीबद्ध सुधार लाना	10
3.	साझेदारों के साथ जानकारी तंत्र विकसित करना	10
4.	पीएसयू के सीएसआर तत्व की निगरानी	5
5.	प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर स्वीकृति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना	5
6.	परियोजना निर्माण की गुणवत्ता में वृद्धि	10
7.	प्रतिवेदन में समय अंतराल को कम करना	15
8.	पीपीपी परियोजनाओं का निरीक्षण	5
9.	राष्ट्रीय परियोजनाओं का विशेष निरीक्षण	10

10. परियोजना प्रबंधन पद्धतियों को मजबूत करना	10
11. क्षमता का विकास	10

(ii) एमपीलैड

नीतिगत पहल	**मान**
नीति सहयोग के साथ-साथ एमपीलैड मार्गदर्शिका का पुनरीक्षण	20
समय से धन जारी करना	
(क) जिला प्राधिकरणों से आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करना	20
(ख) धन का तेजी से स्थानांतरण	10
योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित निरीक्षण प्रक्रिया निर्धारित करना	10
ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था में सुधार	20
एमपीलैड परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का रख-रखाव	10
राज्य/जिला अधिकारियों का एमपीलैड मार्गदर्शिका पर प्रशिक्षण	10

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

नीतिगत पहल	**मान**
राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा मासिक सूचना का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण	10
सूचना का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण	5
राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति द्वारा मासिक रिपोर्ट का पुनरीक्षण	5
साझेदारों के साथ नियमित परामर्श और पुनरीक्षण बैठक	5
अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण	5
प्राप्त सूचना का संग्रहण और विश्लेषण	20
खराब प्रर्दशन का कारण जानना और सभी सम्बद्ध लोगों की जानकारी	5
निष्पक्ष एजेंसियों के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन कराना	15

अन्य विभाग द्वारा कराए गए इसी तरह के अध्ययनों के बारे में सूचना एकत्र करना	5
लाभ के अनुमान के साथ-साथ लक्ष्य निर्धारित करना	15
केंद्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्यों से छमाही प्रगति रिपोर्ट एकत्र करना	5

3.2 साझेदारों के साथ संलग्नता

साझेदार की संलग्नता इस नीतिगत योजना के परिशिष्ट के खण्ड 3ख और 4क में दिए विवरण के अनुसार बैठकों, ई-मेलों, प्रश्नावलियों इत्यादि के माध्यम से निरंतर बातचीत और चर्चा द्वारा प्राप्त की जाएगी ।

3.3 ज्ञान और क्षमताओं का विकास

इस नीतिगत योजना के परिशिष्ट के खण्ड 3ग और 4ख में दिए विवरण अनुसार प्रसिद्ध व्यवसायिकों, प्रबंधन संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से तथा कोयला, जल संसाधन, रेलवे, ऊर्जा जैसे मुख्य मंत्रालय, मंत्रालय के एनआईसी और लेखा महानियंत्रक (सीजीए), जिला प्राधिकरणों और क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों, एमओएसपीआई के एनएएसए एवं एनआईसी, केंद्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य सरकारों इत्यादि साथ बातचीत द्वारा ज्ञान को बढ़ाने की योजना का प्रावधान है ।

4. कार्यान्वयन योजना

4.1 संबंधित नीतियों को अपनाने के लिए आवश्यक संसाधनों की तुलना में साझेदारों के उत्तरदायित्व के साथ-साथ संभावित नीतियों की सूची निम्नलिखित है।

(i) आईपीएमडी

व्यक्ति	धन	बुनियादी ढांचा
- खाली पड़े तकनीकी पदों के लिए विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवर - पर्यावरण, वन और वन्यजीव संबंधी स्वीकृतियों जैसे सामान्य विषयों का जिम्मा लेने के लिए परामर्शदाताओं या एजेंसियों को नियुक्त करना - परियोजनाओं का विस्तृत विश्लेषण करने के लिए	"परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मजबूत निरीक्षण" के संबंध में प्लान स्कीम में बजट प्रावधान इस खर्च को पूरा करेगा ।	- सभी नियमित कर्मचारियों और परामर्शदाताओं को पर्याप्त कार्यालय स्थान प्रदान किया जाएगा । - परियोजना प्रबंधकों के प्रशिक्षण के लिए योजना के अंतर्गत, क्षमता निर्माण उपायों के समन्वय हेतु उद्योग के सहयोग से एक संस्थान स्थापित किया

परामर्शदाताओं को नियुक्त करना जो परियोजना निर्माण, मूल्यांकन और कार्यान्वयन का अनुभव रखते हों - सलाहकारी कार्यों के लिए विषय विशेषज्ञ - साझेदारों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक		जाए जिसमें प्रशिक्षण, कौशल विकास, पाठ्यक्रम विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन शामिल किया जाए ।

(ii) एमपीलैड

व्यक्ति	धन	बुनियादी ढांचा
विभाग की मूलभूत आवश्यकता अतिरिक्त श्रमबल के प्रावधान की है जो इस समय बहुत कम है ।	परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मजबूत निरीक्षण " पर योजना प्रणाली के तहत बजट प्रावधान इस खर्च को पूरा करेगा ।	अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता के मद्देनजर विभाग को अधिक स्थान चाहिए ।

(iii) **बीस सूत्रीय कार्यक्रम**

व्यक्ति	धन	बुनियादी ढांचा
विभाग में कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है। खाली पद भरें ।	वर्तमान योजना के लिए जितनी राशि दी गई है उसके अतिरिक्त कोई वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।	हार्डवेयर में सुधार और उनका रख-रखाव

4.2 स्थिति की जानकारी और मापन

प्रगति, पुनरीक्षण की प्रणाली और सुधारात्मक कार्रवाई के तरीकों के आकलन के लिए क्रियाकलापों/पहलों, मापनयोग्य और अवलोकन योग्य मानदंडों का विवरण परिशिष्ट के खण्ड 4ड़ में दिया गया है। कार्यक्रम के आकलन के लिए प्रत्येक आवधिक पुनरीक्षण के लिए इसकी योजना बनाई जा चुकी है और प्रदर्शन में विभिन्नता उत्तरदायी प्रभागों के द्वारा उचित कार्य के लिए सौंपी जाएगी।

5. नीतिगत योजना और आरएफडी के बीच संयोजन

<u>आईपीएमडी</u>

आईपीएमडी के आदेशानुसार वास्तविक समय आधार पर परियोजनाओं की स्थिति का संकलन और पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय, योजना आयोग, प्रशासनिक मंत्रालय को प्रतिवेदन भेजना, देरी से चल रही परियोजनाओं में अधिक समय और लागत से संबंधित मामलों से निपटना तथा संबद्ध प्राधिकरणों के साथ मामलों पर बात करना, परियोजनाओं के ईएफसी और पीआईबी प्रस्तावों की जांच, मंत्रालयों/पीएसयू और अन्य साझेदारों के परामर्श में व्यवस्थागत सुधार लाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि के आयोजन से परियोजना प्रबंधन क्रियाकलापों का अपनाना और क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों का वर्णन किया गया है।

<u>एमपीलैड</u>

इसमें कार्यान्वयन का मूल्यांकन, धन जारी करने के दस्तावेजों को प्राप्त करने, लोकसभा और राज्यसभा समितियों के साथ संवाद, राज्य स्तर के पुनरीक्षण, जिला स्तर के दौरे, एमपीलैड मार्गदर्शकों आदि में जिला/राज्य अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण के उद्देश्य से, वर्ष में दो बार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रीय विभागों के सचिवालयों के साथ अखिल भारतीय पुनरीक्षण बैठकें जैसे कार्यों का वर्णन किया गया है ।

<u>टीपीपी</u>

राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से मासिक सूचना के समय पर संग्रहण हेतु मार्ग तलाशना, जानकारी के तीव्र प्रवाह के लिए ऑनलाइन एमआईएस का प्रयोग, इस मंत्रालय में मासिक पुनरीक्षण प्रक्रिया में राज्य स्तरीय नियंत्रक मशीनरी को शामिल करना, साझेदारों के साथ परामर्श और संलग्नता, राज्यों की आधारभूत परिस्थिति का निर्धारण, राज्यों और केंद्रीय नोडल मंत्रालयों के साथ नियमित पुनरीक्षण बैठकें, राज्यों के साथ कम-से-कम एक राष्ट्रीय पुनरीक्षण बैठक जैसी नीतियों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है।

भविष्य के लिए आरएफडी दस्तावेजों को तैयार करते समय, नीतिगत योजना प्रेरणा का मुख्य स्त्रोत होगी क्योंकि नीतिगत योजना में निर्दिष्ट लक्ष्यों को हासिल किए जाने की आवश्यकता है ।

---

6. प्रति विभागीय और प्रति कार्यात्मक मामले

6.1 संभावित चुनौतियों से संबंधित आयामों को 12वीं योजना में शामिल किया जाना

आईपीएमडी

बड़ी और मुख्य आधारभूत परियोजनाओं में देरी के कारण समय व लागत को कम करने और आधारभूत कार्यों की निगरानी करने में आईपीएमडी के क्रियाकलाप यह सुनिश्चित करते हैं कि संभावित चुनौतियों पर 12वीं योजना में ध्यान केन्दित किए जाने की संभावना है जैसे उन्नति के लिए क्षमता विकास, बुनियादी ढांचे में उच्चतर निवेश, सार्वजनिक संसाधनों का प्रभावी प्रयोग, कुशलताओं, प्रौद्योगिकी और नये परिवर्तनों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने, परिवहन की आधारभूत सुविधाओं का तेज विकास, उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा संरक्षण, भविष्य की बुनियादी मांगों का मूल्यांकन, प्रशिक्षण (परियोजना प्रबंधन में) आदि ।

एमपीलैड

विकास हेतु क्षमतावर्धन (अवसंरचना के प्रावधान द्वारा), ग्रामीण जीवन में बदलाव, शहरीकरण प्रबंध, शिक्षा को अधिक सर्वसुलभ बनाना (योजना के तहत गठित विद्यालयों, कक्षाओं आदि के माध्यम से), स्वास्थ्य देखभाल (योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए अस्पतालों, एंबुलेंस, उपकरणों के माध्यम से) जैसी संभावित चुनौतियों को योजना में शामिल किया जाएगा ।

टीपीपी

सम्मिलित विकास के माध्यम से ग्रामीण रूपांतरण, शहरीकरण, पर्यावरण की देखरेख, सशक्तिकरण, शिक्षा के उन्नत साधन, स्वास्थ्य देखभाल आदि को संबोधित किया जाएगा। 12वीं योजना अवधि के दौरान गरीबों की जरूरतों को पूरा के लिए कार्यक्रमों को और मजबूत करने की जरूरत है ।

6.2 संसाधन आवंटन और क्षमता निर्माण मामलों समेत प्रति विभागीय मामलों की पहचान एवं प्रबंधन करना

आईपीएमडी

आईपीएमडी परियोजना नियोजन, निष्पादन और संरचनात्मक प्रदर्शन हेतु बुनियादी ढॉचा मंत्रालयों/उपक्रमों, योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय के साथ बातचीत करता है । यह परियोजना प्रबंधन मामलों पर विभिन्न उद्योग संस्थानों और परियोजना प्रबंधन एजेंसियों के साथ संपर्क में रहता है ।

एमपीलैड

एमपीलैड जिला प्राधिकरणों के लिए धनराशि जारी करता है और इनसे योजना की प्रगति की जानकारी लेता है । यह कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए राज्य नोडल विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित करता है । सांसद प्रमुख साझेदार होते हैं । इसके अलावा, प्रभाग प्रशासनिक मामलों पर सीजीए और एनआईसी के साथ भी संप्रेषण करता है ।

टीपीपी

कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर जानकारी के लिए टीपीपी प्रभाग केंद्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ संवाद/समन्वय करता है ।

6.3 विभागों/कार्यालयों में प्रति कार्यात्मक संयोजन

आईपीएमडी

आईपीएमडी नेशनल एकेडमी ऑफ स्टेटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन (एनएएसए) के साथ परियोजना प्रबंधन की क्षमता निर्माण प्रक्रिया में शामिल है। यह मंत्रालय के सांख्यिकी खंड के लिए विभिन्न संकेतकों के संकलन हेतु बहुमूल्य जानकारी भी उपलब्ध कराता है।

एमपीलैड

एमपीलैड प्रभाग को आंतरिक वित्त प्रभाग, वेतन एंव लेखा कार्यालय और एनआईसी के साथ तालमेल रखना होता है ।

टीपीपी

टीपीपी प्रभाग को मंत्रालय के आईएफडी और एनआईसी के साथ तालमेल कायम करना होता है ।

6.4 संगठनात्मक पुनरीक्षण और एजेंसियों की भूमिका और वृहद जनसेवा

आईपीएमडी

आईपीएमडी का कार्य और उत्तरदायित्व काफी तकनीकी और जानकारी/ज्ञान केंद्रित है। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान बड़े स्तर पर जनहित के मामले जैसे भूमि अधिग्रहण, कानून और व्यवस्था की समस्या आदि पर तुरंत संबंधित प्राधिकारियों के साथ कार्रवाई की जाती है । परियोजनाओं के वास्तविक समय विवरण को अपलोड करने के लिए आईपीएमडी ने ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीएमएस) सॉफ्टवेयर लगाया है जिसे दुनिया के किसी भी कोने में देखा जा सकता है ।

एमपीलैड

एमपीलैड योजना अपनी प्रकृति के हिसाब से सांसदों द्वारा जनसाधारण की व्यापक भागीदारी वाली एक आधारभूत स्तर की योजना है। सांसदों या जनसाधारण द्वारा शिकायतों/कठिनाइयों से जुड़े मामलों पर संबंधित जिला प्राधिकरणों/राज्य सरकारों में तुरंत कार्रवाई की जाती है। बेहतर पारदर्शिता और जबावदेही के लिए, एमपीलैड कार्यों की जानकारियां अपलोड करने के लिए एक वर्क्स मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है ।

टीपीपी

टीपीपी कार्यक्रमों को प्राथमिक तौर पर समाज के कमजोर वर्ग के लाभ के लिए तैयार किया गया है और इसलिए इन कार्यक्रमों को हर तरफ स्वीकार किया गया है।

7. निगरानी और पुनरीक्षण व्यवस्थाएं

आईपीएमडी

वर्तमान परियोजनाओं का एक राष्ट्रव्यापी स्तर का डाटाबेस ओसीएमएस के अंतर्गत तैयार किया गया है । आईपीएमडी को वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए परियोजना स्थलों पर बार-बार दौरे किए जाने की भी आवश्यकता होती है जो परियोजना में होने वाली देरी और लागत बढ़ने से रोकने के उपाय तलाशने में सहायक होगी । व्यवस्थागत सुधारों के लिए पूरी हो चुकी परियोजनाओं के उपरांत होने वाले मूल्यांकन सहित विशेष अध्ययन किये जाएंगे । परियोजनाओं के गुणवत्ता पूर्ण मूल्यांकन तथा नीतिगत मामलों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रबंधकों के साथ राष्ट्रीय पुनरीक्षण बैठक आयोजित करने की बात कही गई है ।

एमपीलैड

एमपीलैड योजना का पुनरीक्षण अखिल भारतीय पुनरीक्षण बैठक के माध्यम से किया जाता है जो कि वर्ष में दो बार आयोजित की जानी होती है। पुनरीक्षण और दौरे राज्यों/जिलों में किए जाते हैं। चयनित जिलों में एमपीलैड कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाता है। जिला अधिकारियों का प्रशिक्षण विभिन्न राज्यों में आयोजित किया जाना है । राज्य और जिला, दोनों स्तरों का नियमित पुनरीक्षण योजना के बेहतर कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होगा।

टीपीपी

अखिल भारतीय बैठक के आयोजन के अलावा, इसके अंतर्गत योजनाओं के प्रदर्शन के राज्यवार और योजनावार पुनरीक्षण को भी प्रस्तावित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मंत्रालय ऐसे पुनरीक्षणों के लिए स्वतंत्र विवेचक के रूप में तृतीय पक्ष एजेंसियों को भी शामिल कर सकता है ।

परिशिष्ट

(एमओएसपीआई के नीतिगत योजना का परिशिष्ट)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हेतु विस्तृत नीतिगत योजना (2011-16)

खंड 1: मंत्रालय की आकांक्षा, लक्ष्य, उद्देश्य और कार्य

1 क. परिचय

इस प्रलेख में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), भारत सरकार हेतु अगले 5 वर्षों (2011-16) के लिए नीतिगत योजना की रूपरेखा दी गई है । यह अगले 5 वर्षों में हित, महत्वपूर्ण मामलों, जरूरी प्राथमिकताओं तथा अनुमानित परिणाम के अहम क्षेत्रों की पहचान कराता है । इसमें बहुत जटिल परिस्थितियों में प्राय: अधिक शीघ्रता के साथ व्यापक स्तर की अपेक्षित सूचना हेतु बढ़ती हुई आकांक्षाओं को पूरा करने तथा आकंड़ों की गुणवत्ता में सुधार करने सहित इसमें किये गये उपाय तथा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अपनायी गई नीतियां शामिल हैं ।

1 ख. पृष्ठभूमि

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी 2) की 10वीं रिपोर्ट शीर्षक, "कर्मचारी प्रशासन का कायाकल्प - नयी ऊँचाइयों पर " नवंबर 8, 2008 को प्रकाशित की गई थी । अंतरराष्ट्रीय अनुभव तथा उभरती उत्कृष्ट पद्धतियों पर विचार करते हुए रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि अधिकतर देशों में कार्य निष्पादन करार एक बहुत ही सामान्य जवाबदेही प्रक्रिया है जिसने अपनी लोक प्रशासन व्यवस्था में सुधार किये हैं । यह कई तरह से किया जाता है- सुस्पष्ट अनुबंध से लेकर कम औपचारिक निर्धारित किये गये करार तक तथा आमतौर पर अधिक प्रयुक्त सिद्धांतों के रूप में । ऐसे करारों के आधार हैं- कुछ उद्देश्य जिन्हें हासिल किया जाना है, तथा इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध किये जाने वाले संसाधन, जवाबदेही एवं नियंत्रण उपाय, तथा स्वायत्ता और सिविल कर्मियों को प्रदान की जाने वाली लचीली प्रक्रिया इत्यादि ।

सरकार ने 4 जून, 2009 को संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस संबंध में एक घोषणा के बाद 11 सितंबर, 2009 को सभी सरकारी विभागों में कामकाज की निगरानी एवं मूल्यांकन पद्धति (पीएमईएस) स्थापित की है । इस पद्धति के अंतर्गत, प्रत्येक विभाग को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरूआत में, अपने भावी लक्ष्यों को साकार करने के लिए संबद्ध मंत्रालयों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं तथा इसी तरह के कार्यक्रम को शामिल करते हुए संबद्ध मंत्रालय के अनुमोदन से, एक परिणाम-कार्यढॉचा दस्तावेज (आरएफडी) तैयार करने की आवश्यकता है । आरएफडी संबंधित कार्यकलापों का निरीक्षण करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है जिनका उल्लेख आरएफडी में सफल संकेतकों के संदर्भ में किया गया है, जिनका उद्देश्य न केवल लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उपलब्धि के स्तर का निर्धारण करना है बल्कि कार्यनिष्पादन में समय-समय पर सुधार लाने के लिए एकजुट प्रयास करना भी है ।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भी आरएफडी तैयार किया है तथा उपलब्धि की प्रगति रिपोर्ट का निरीक्षण आरएफडी में सफल संकेतकों के संदर्भ में मासिक आधार पर किया जाता है । आरएफडी 2010-11 हेतु मध्यवार्षिक पुनरीक्षण हाल ही में पूरा किया गया है जो दर्शाता है कि सभी लक्ष्य उच्च अंकों के साथ प्राप्त किये गये तथा प्रगति की रिपोर्ट केबिनेट सचिवालय को सौंपी गई ।

1 ग. संगठनात्मक ढॉचा

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) सांख्यिकी विभाग एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद दिनांक 15.10.1999 को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया । मंत्रालय के दो खंड हैं जैसे

I. राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएसओ)

एनएसओ में संगणक केंद्र एवं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) सहित केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) शामिल है ।

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड

इस कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड के तीन प्रभाग हैं जैसे

(i) अवसंरचना एवं परियोजना निरीक्षण प्रभाग
(ii) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड)
(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

इसके अलावा, यहॉ एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) है जिसे भारत सरकार (एमओएसपीआई) के संकल्प द्वारा स्थापित किया गया तथा एक स्वायत्त संस्थान अर्थात् भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) जिसे संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है ।

नीचे वर्णित एमओएसपीआई के वर्तमान आदेश इसके "कार्य का आवंटन नियमावली" (एओबीआर) पर आधारित है । तथापि, एमओएसपीआई के कार्यकलापों में कुछ नये व महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को शामिल किये जाने हेतु एओबीआर का पुनरीक्षण अभी किया जाना है जिसमें सांख्यिकी अधिनियम 2008 के नये संगहण की अधिसूचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) का गठन शामिल है ।

I. राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन

1. देश में सांख्यिकीय प्रणाली के एकीकृत विकास के नियोजन एवं सुगमता हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना ।
2. सरकारी आंकडों के क्षेत्र में मानक एवं मानदंडों का निर्धारण एवं रखरखाव करना, अवधारणाएं, परिभाषाएं बनाना, आंकडे संग्रहण का वर्गीकरण एवं कार्यविधियां, आंकड़ों का उपयोग तथा उनके नतीजे जारी करना इत्यादि ।
3. आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने; आंकड़ों की उपलब्धता में अंतराल की पहचान करने अथवा सांख्यिकीय कार्य में पुनरावृत्ति तथा सुधारात्मक उपाय हेतु सुझाव देने; तथा विभिन्न आंकड़ों को प्रस्तुत करने में समय-सीमा को कम करने के उद्देश्य से सांख्यिकीय कार्यकलापों में संलग्न भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य एजेंसियों में समन्वय स्थापित करना ।
4. आंकड़ों के विश्लेषण तथा कार्यविधियों सहित सांख्यिकीय मामलों पर भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों साथ ही राज्य सरकारों को भी सलाह देना ।
5. सरकारी, अर्ध-सरकारी, निजी आंकड़े प्रयोक्ता/एजेंसियों तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों में राष्ट्रीय-स्तर की सांख्यिकीय सूचना का प्रचार करना ।
6. राष्ट्रीय लेखों की यूएन प्रणाली के अनुसार राष्ट्रीय लेखे तैयार करना तथा विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों के अनुसार इसका प्रचार करना ।
7. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएं तैयार करना एवं इन्हें प्रकाशित करना ।
8. औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) तैयार करना तथा इन्हें प्रकाशित करना ।
9. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) तथा आर्थिक गणना करना तथा इनके परिणामों को प्रकाशित करना ।
10. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के माध्यम से देश में सरकारी/प्रयुक्त आंकड़ों में सुधार करना ।
11. देश के सामाजिक-आर्थिक डाटाबेस को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर राष्ट्रव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षण तथा संबंधित कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार कर इन्हें संचालित करना और इनके परिणामों को प्रकाशित करना ।
12. बेहतर सैंपलिंग तकनीकों तथा अनुमान प्रक्रिया इत्यादि को विकसित करने के लिए प्रणाली संबंधी अध्ययनों एवं पायलट सर्वेक्षण करवाना ।
13. सांख्यिकीय प्रणालियों के विकास के लिए सभी अंतरराष्ट्रीय पहलों में भाग लेना तथा योगदान देना ।

14. सार्क सामाजिक घोषणापत्र के कार्यान्वयन का समन्वय एवं निगरानी करना ।
15. भारत में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की सांख्यिकीय जानकारी का जिम्मा लेना ।
16. एक स्रोत से प्रकाशित एवं अप्रकाशित विधिमान्य डाटा के सरल आकलन के लिए एक डाटा वेयरहाउस (आंकड़ा भंडार गृह) बनाना ।
17. सामाजिक-धार्मिक श्रेणियों के राष्ट्रीय डाटा बैंक का विकास करना तथा इसकी देखरेख करना ।
18. केंद्र एवं राज्य सरकारों, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों एवं अन्य के लिए सरकारी आंकड़े तथा सांख्यिकीय कार्यप्रणालियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम व इंटर्नशिप की रूपरेखा तैयार कर इन्हें संचालित करना ।
19. सरकारी आंकड़ों के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रशासन अकादमी (एनएएसए), ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.) को एक अग्रणी संस्थान के रूप में विकसित करना ।
20. यह सुनिश्चित करना कि भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1999 (1999 का 57) के प्रावधानों के अनुसार कार्य करता है ।
21. भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) एवं अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) संवर्गों का संचालन करना; तथा
22. आंकड़ों का संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) को प्रभावी बनाना ।

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड

23. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास प्रणाली (एमपीलैड) का कार्यान्वयन करना;
24. रु. 20 करोड़ तथा इससे अधिक की केंद्रीय परियोजनाओं का निरीक्षण एवं इसकी रिपोर्टों का नियमित प्रकाशन करना;
25. अवसंरचना वाले क्षेत्रों के निष्पादन का निरीक्षण करना, और रिपोर्टों का नियमित प्रकाशन करना; तथा
26. बीस सूत्रीय कार्यक्रम का निरीक्षण एवं इसकी रिपोर्टों का नियमित प्रकाशन करना ।

1 घ. मंत्रालय की आकांक्षा

विश्व में सर्वोत्तम तथा सबसे अधिक नवाचारी राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली बनना; तथा राष्ट्रीय संसाधनों का कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का प्रभावी रूप से निरीक्षण करना ।

1 ड. लक्ष्य

- विश्वसनीय एवं समयबद्ध आंकड़े उपलब्ध कराना तथा पहले से निर्धारित निर्णयों के लिए आंकड़ों की मांग का नियमित मूल्यांकन करना ;

- सक्रिय सामाआर्थिक के संदर्भ में उभरती आंकड़ों की मांग उपलब्ध कराना, प्रतिवादी का बोझ कम करना तथा आंकड़ों के संग्रहण व आवृत्ति में अनावश्यक दोहराव से बचना;
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय योजना के विभिन्न तत्वों द्वारा निर्मित आंकड़ों के लिए मानकों तथा कार्यप्रणालियों को अपनाना तथा विकसित करना तथा इसमें और सुधार के लिए इसके विकास में बढ़ोतरी करना व आंकड़ों में अंतर को कम करना;
- आंकड़े प्रदाताओं की गोपनीयता को बरकरार रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकीय योजना में सभी साझेदारों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखना व मजबूत करना और सरकारी आंकड़ों के सभी घटकों की सत्यनिष्ठा व निष्पक्षता में वृद्धि करना;
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय योजना के सभी घटकों के सुव्यविस्थत, कुशल और एकीकृत कार्य-संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व व समन्वय प्रदान करना;
- सांख्यिकी प्रणाली के सभी स्तरों पर कौशल संबंधी आवश्यकता का मूल्यांकन करते रहना, तथा मानव संसाधन क्षमता का विकास करना;
- सभी अंतरराष्ट्रीय पहलों में सक्रिय रूप से भागीदारी तथा योगदान देना तथा विश्व भर में सांख्यिकी प्रणाली के विकास का समर्थन करना;
- प्रणाली सुधार के माध्यम से उच्च कार्य-संपादन स्तर को प्राप्त करने के लिए अवसंरचना व बड़ी केंद्र परियोजनाओं को सुसाध्य बनाना एवं इनका निरीक्षण करना तथा उत्कृष्ट कार्यकलापों को अपनाना और;
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हेतु सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड), बीस सूत्रीय कार्यक्रम तथा परिणाम कार्यढॉचा दस्तावेज (आरएफडी) के कार्यान्वयन को सरल बनाना तथा निरीक्षण करना ।

1 च. उद्देश्य

- सरकारी एवं बाहरी योजनाकारों तथा नीति निर्माताओं पर कुछ अहम मानदंडों के बारे में उपलब्ध डाटा/सांख्यिकी उपलब्ध कराना
- वर्तमान डाटा समूहों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार लाना
- नीति निर्माताओं तथा योजनाकारों की मांग को पूरा करने के लिए उभरते क्षेत्रों पर नये डाटा समूह उपलब्ध कराना
- आंकड़ों को प्रस्तुत करने में समय-अंतराल को कम करना
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) का कार्यान्वयन तथा निरीक्षण करना
- 100 करोड़ रूपये और इससे अधिक की केंद्रीय परियोजनाओं को मॉनीटर करना और नियमित रिपोर्टें प्रकाशित करना ।
- बीस सूत्रीय कार्यक्रम का निरीक्षण करना, तथा नियमित रिपोर्टों का प्रकाशन

1 छ. कार्य

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में सांख्यिकीय प्रणाली के एकीकृत विकास के नियोजन तथा उसे सुसाध्य बनाने तथा सरकारी आंकड़ों के क्षेत्र में मानक एवं मानदण्डों का निर्धारण करने, अवधारणाएं, परिभाषाएं विकसित करने, आंकड़ों के संग्रहण व उपयोग करने, वर्गीकरण एवं कार्यविधियों का मूल्यांकन तथा परिणामों का प्रकाशन जारी करने वाली एक नोडल एजेंसी है । यह मंत्रालय सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) का कार्यान्वयन करने के अलावा, सरकार की बड़ी परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए भी उत्तरदायी है ।

खंड 2: परिस्थिति का आकलन

संसाधनों की उपलब्धता और कमियों पर विचार करना दोनों के संदर्भ में स्थिति का सही मूल्यांकन करना उपयुक्त कार्ययोजना और रणनीति तैयार करने में महत्वपूर्ण हैं। यह साझेदारों को शामिल करने, सांख्यिकी ज्ञान और क्षमताओं को हासिल करने, संसाधन की जरूरतों को पता लगाते हुए योजना तैयार करने की संभावित रणनीति पर विचार करने के प्रवेश मार्ग और परिमाण का निर्धारण करता है ताकि विशेष योजनाओं को हाथ में लिया जा सके, विस्तृत कार्यान्वयन योजना तैयार की जा सके, प्राथमिकताएं तय की जा सकें और उपलब्धि का पता लगाने, उसकी निगरानी और आकलन के लिए उचित मार्ग तय किया जा सके ।

2क. बाहरी कारकों का हम पर क्या असर होगा ?

I. एनएसओ

कारक	अवसर	आंशकाएं
राजनैतिक	1. सरकार की विकासात्मक नीतियों का पुनरीक्षण 2. सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को अपनाने के लिए नए क्षेत्रों की खोज	राज्यों/जिलों का पुनर्गठन (तुलनीयता प्रभावित कर सकती है और आंकड़ों को व्यवस्थित करना एक समस्या हो सकती है)
आर्थिक	1. तेज आर्थिक विकास 2. आय का बढ़ता स्तर	नए आंकड़ों की मांगों के साथ या आंकड़ों के प्रसार के लिए कड़ी समय-सीमा तय करके व्यवस्था पर दबाव बना सकता है ।
सामाजिक-सांस्कृतिक	सामाजिक विकास में सुधार की वजह से आंकड़ों की अधिक मांग और खास किस्म के आंकड़ों के लिए ताजा सर्वेक्षण	
प्रौद्योगिकीय	नई और अधिक प्रभावी कंप्यूटर और सूचना तकनीकी समाधानों की	सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति भविष्य में आंकड़ों

	उपलब्धता	के संग्रहण तरीकों में प्रत्यक्ष बदलाव उत्पन्न कर सकते हैं (आंकड़ा संग्रहीकरण, आंकड़ा प्रसंस्करण, आंकड़ा प्रबंधन, आंकड़ा प्रसार । नई विकसित तकनीकियों को अपनाने में एकदम से तैयार रहने के लिए यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण चुनौती है)।
कानूनी	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 के प्रावधान के अंतर्गत, अधिक से अधिक आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए अवसर और मांग को बढ़ावा देंगे ।	

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) आईपीएमडी

कारक	**अवसर**	**आशंकाएं**
राजनैतिक	- स्वीकृत समय सीमा और लागत के अंदर आधारभूत परियोजनाओं के कार्यान्वयन को अधिक महत्व देना । -महत्वपूर्ण चिह्नित मुद्दों की तरफ उच्च स्तर पर अधिक ध्यान दिया जाता है ।	बुनियादी ढॉचा परियोजनाओं की प्रकृति काफी जटिल होती हैं क्योंकि इसमें भारी मात्रा में भूमि अधिग्रहण, विभिन्न प्रकार की मंजूरी और आपूर्ति संबंधी कई समस्याएं शामिल होती हैं । - जटिल समस्याओं पर नज़र रखना कठिन होता है क्योंकि कई बार पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं होती है । - परियोजना प्राधिकरण वास्तविक समस्याओं की जानकारी नहीं देते ।
आर्थिक	परियोजनाओं के समय से पूरा होने पर अर्थव्यवस्था में उच्च आर्थिक लाभ	परियोजनाओं में देरी का प्रभाव परियोजना की लागत के साथ-साथ साझेदारों के लाभ पर भी पड़ता है।

प्रौद्योगिकी	- परियोजना प्रबंधन व्यवसायिक होती जा रही है। - अधिक मूल्य वाली जटिल परियोजनाओं को उप-प्रणाली का सहयोग मिलना चाहिए ताकि अनुबंध प्रबंधन, आपूर्ति प्रबंधन, लागत नियंत्रण प्रणाली, अधिप्राप्ति प्रबंधन, लागत अनुमान सॉफ्टवेयर, परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर और एमआईएस जैसे मुद्दों से निपटा जा सके । ।	- आईपीएमडी में महत्वपूर्ण पदभार संभालने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त तकनीकी लोग - संगठन में क्षमता निर्माण उपाय प्रभावित नहीं होंगे यदि योग्य व्यक्ति लम्बी अवधि तक उपलब्ध नहीं होते हैं ।
कानूनी	-राज्यों के पास पर्यावरण, वन, वन्य जीवन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास आदि के लिए अनुमति देने या मंजूरी देने के लिए विभिन्न पद्धतियां होती हैं। -खनन, लीज, समग्र संग्रहण के लिए कानूनी कार्यढांचे को राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है। -परियोजना प्राधिकरणों को केंद्र सरकार/राज्य सरकार/रक्षा, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण/ डीजीसीए आदि से विभिन्न तरह की मंजूरी लेनी पड़ती है। -पीपीपी परियोजनाओं का अभी भी एमओएसपीआई द्वारा निरीक्षण किया जाना है।	- राज्य विभिन्न पहलुओं पर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट सामान्य मानकों पर कार्य । - परियोजनाओं में देरी लाने वाले कारक मंजूरी की प्रक्रिया में ज्यादा समय लेते हैं ।

(ii) <u>एमपीलैड</u>

कारक	अवसर	आशंकाएं
राजनैतिक	• जनता को अधिक लाभ प्रदान करने की सुनिश्चितता के लिए संसद की सदस्यों की दृढ़ वचनबद्धता	• अन्य प्राथमिकताओं के कारण योजना के उचित कार्यान्वयन में जिला प्राधिकरणों की रूचि/योग्यता में कमी • आचार संहिता लागू होने के कारण योजना के कार्यान्वयन में देरी और परिणामस्वरूप प्रतिबंध
आर्थिक	• अनुदान सहायता जारी करने के लिए सुनिश्चित बजटीय सहयोग	• वर्षों से मुद्रास्फीति के कारण कोई क्षतिपूर्ति नहीं

		• मजदूरी दरों और अन्य कीमतों में अत्यधिक वृद्धि • संसाधन में बाधाओं के कारण विकास में कमी
सामाजिक-सांस्कृतिक	• इन क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए जनता द्वारा भारी मांग	• अपनी जरूरी मांगें पूरी न होने के कारण लोगों में असंतुष्टि
प्रौद्योगिकीय	• जिलों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर के विकास को प्रोत्साहन देकर सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार । • बैंकों का इलैक्ट्रॉनिक इंटिग्रेशन धन को शीघ्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है ।	• सूचना प्रौद्योगिकी में शीघ्र परिवर्तन के परिणामस्वरूप आंतरिक समायोजन भी होते हैं ।
पर्यावरण संबंधी	• जल संरक्षण, जल की कटाई, गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधनों इत्यादि जैसे पर्यावरण अनुकूल परिसंपत्तियों के निर्माण के अवसर	• परिसंपत्तियों के आकस्मिक निर्माण के कारण पर्यावरण पर प्रभाव
कानूनी	योजना का समर्थन किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सविंधान की शक्ति के अधीन माना ।	विभिन्न न्यायालयों में दायर याचिकाओं में कभी-कभार कार्यान्वयन की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

कारक	अवसर	आशंकाएं
राजनीतिक	नागरिकों के कल्याण के लिए केंद्रीय सरकार की दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता	केंद्र में सरकार की प्राथमिकता में बदलाव, टीपीपी राज्य कार्यक्रमों के लिए सेकेंडरी हैं।
आर्थिक	अर्थव्यवस्था को उन्नत करने हेतु सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए अधिक राशि का आबंटन किया जा सकता है ।	राज्य अर्थव्यवस्था सामाजिक विकास कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकती है।
सामाजिक-सांस्कृतिक	उन्नत सामाजिक विकास	क्षेत्रीय राजनीति
प्रौद्योगिकी	तकनीकी विकास से उत्पादकता में बढ़ोतरी	श्रम प्रधान रोजगार से पूंजी प्रधान रोजगार में परिवर्तन
पर्यावरण-संबंधी	हरित तकनीकियों को अपनाकर पर्यावरण में सुधार करना	पर्यावरण में गिरावट से जलवायु प्रभावित होती है, जिसका

		प्रभाव उत्पादकता पर पड़ता है ।
कानूनी	बेहतर जीवन के लिए आजीविका के अधिकार का निर्माण	-

2ख. हमारे साझेदार कौन हैं ?

आंकड़ों के क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों, अनुसंधान संस्थानों, वैयक्तिक अनुसंधानकर्ता, निजी निगमित क्षेत्र, व्यापार/उद्योग संस्थाएं, आंकड़े प्रदाता और मीडिया सहित विभिन्न साझेदार हैं। आंकड़ों के बारे में न केवल इनकी महत्वाकांक्षाओं को समझना महत्वपूर्ण है जो तेजी से बढ़ती जा रही हैं, बल्कि आंकड़ों की विकास प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका और भागीदारी के महत्व को पहचानना भी जरूरी है जो वास्तव में सकारात्मक सलाह और जानकारी प्रदान करने के लिए न केवल निर्णायक है, बल्कि आंकड़ों की अनावश्यक आलोचना और नकारात्मक प्रचार पर भी अंकुश लगाने के लिए भी जरूरी है। साझेदारों के साथ प्रभावी बातचीत सांख्यिकीय संगठनों की स्पष्टता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है जो जनता की बेहतर प्रतिक्रिया और आंकड़ों में उनका विश्वास हासिल करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आपस में एक दूसरे को मजबूत बनाने की प्रक्रिया आंकड़ों के संग्रह, आंकड़ों की सार्थकता में सुधार लाने, आंकड़ों की साझेदारी और आंकड़ों की प्रचार प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अतः साझेदारों के साथ व्यापक रूप से अधिकाधिक प्रभावी सांख्यिकीय प्रणाली विकसित करने में उनके सहयोग और सहभागिता को विशेषकर अधिकाधिक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण आंकड़े प्रदान करने और उन्हें समयानुकूल और प्रयोगकर्ता अनुकूल रूप से प्रचारित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनके साथ एकजुट होकर काम करने के तरीकों की पहचान करना महत्वपूर्ण है ।

I. एनएसओ

क्रम सं.	**प्राथमिकता वाले एनएसओ साझेदार**	**शक्तियां**		**हित**	
		वे हमारी मदद कैसे कर सकते हैं?	**ये हमें ब्लॉक कैसे कर सकते हैं?**	**वे हमसे क्या चाहते हैं?**	**हम उनसे क्या चाहते हैं?**

1.	अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, अनुसंधान संस्थान, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता	1. उभरते घटनाक्रम, एचआरडी दक्षताओं, अनुभवों को साझा करना, क्षमताओं, सहभागिता, सदभावना और विश्वसनीयता आदि पर अपेक्षित सूचना प्रदान करना । 2. तकनीकी/वित्तीय सहयोग से प्रशिक्षण क्षेत्रों की पहचान ।	1. आंकड़ें प्रदान करने और ज्ञान, अनुभव और दक्षताओं को साझा करने में सहयोग न देकर । 2. नए क्षेत्रों में प्रशिक्षण जहां संकाय उपलब्ध न हो ।	1. समय से और विश्वसनीय आंकड़े 2. उचित नेटवर्किंग, सूचना का आदान-प्रदान और तकनीकी/वित्तीय सहयोग 3. कार्यालयी सांख्यिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुबंध, पारस्परिक संवाद, और इसका विकास में सहयोग और उनके प्रयासों को मान्यता देना ।	1. सूचना और संकाय का आदान-प्रदान, तकनीकी सहयोग का प्रावधान 2. दक्षता, अनुभवों और विकास की दिशा में परस्पर आदान-प्रदान और सहयोग, दृश्यता और अनुभव में बढ़ोतरी । 3. आंकड़ों की गुणवत्ता और सामयिकता को सुधारने के लिए हमें समर्थ बनाने के लिए जानकारी (फीडबैक) ।
2.	केंद्रीय मंत्रालय/विभाग	1. राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आंकडों का संग्रहीकरण और प्रसार द्वारा 2. केंद्रीय मंत्रालयों को तकनीकी समितियों में सीएसओ को शामिल करना चाहिए और प्रशासनिक प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में तैयार आंकड़ों पर नियमित जानकरी उपलब्ध करानी चाहिए। 3. हमारी गतिविधियों के विस्तार के लिए हमें सुविधा उपलब्ध कराना ।	1. सभवतः अ-सहयोग/अपर्याप्त सहयोग/अस्वीकृति के द्वारा 2. प्रभावी उत्तर न देना और सहयोग न करना 3. हमारी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को धूमिल करना 4. आंकड़ों के प्रसार, गुणवत्ता, विश्वसनीयता, कार्यक्षेत्र और संभावनाओं को सीमित करना	1. तकनीकी मार्गदर्शन और कम से कम दखल 2. निर्णय लेने तथा नीति निर्माण के लिए अपनी सूचना आवश्यकता को पूरा करने के लिए समय से, संगत, तीव्र, लागत प्रभावी, व्यापक आंकड़ों का विधिवत विश्लेषण । 3. सांख्यिकी के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों में तकनीकी रूप से सक्षम सेवा । 4. समन्वय, संसाधन उन्नयन,	1. राष्ट्रीय नीतियों, प्राथमिकताओं तथा मानकों का अनुपालन । 2. नियमित सूचना के प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारिक तौर पर सहयोग करना । 3. विकासशील कार्यशील संबंध 4. देश में नोडल सांख्यिकीय एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए सीएसओ को समर्थ बनाना, सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार

		4. सरकार को हमारी उपयोगिता के बारे में सुनिश्चित करना 5. नीति तथा निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक रिकॉर्ड, मानव संसाधन, गुणवत्ता, सामयिकता, विस्तार , सामजस्य तथा एकीकरण द्वारा		सहभागिता तथा सांख्यिकीय कार्यकलापों पर सलाह, आंकड़ों की शेयरिंग इत्यादि । 5. क्षमता निर्माण	करने के लिए सहयोग तथा निकटस्थ समन्वय । 5. गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा सामयिकता, आंकड़ों की मांग, दृश्यता, कार्यक्षेत्र में वृद्धि तथा सुधार, निर्णय समर्थन में अनुसंधान इनपुट, आंकड़ों को साझा करना इत्यादि ।
3.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1. राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आंकडों का एकत्रीकरण और प्रसार 2. संग्रहण तथा संकलन राज्य प्रतिदर्श आंकडा तथा सर्वेक्षण की रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत करना 3. केंद्रीय एवं राज्य प्रतिदर्श आंकडों के संग्रहीकरण में सहयोग द्वारा 4.हमारे कार्यकलापों के विस्तार के लिए हमें सुविधा प्रदान करना 5. राज्य सरकारों को हमारी उपयोगिता के बारे में सुनिश्चित करना 6. अपनी नोडल एजेंसी की	1.सहयोग न देना/अपर्याप्त सहयोग/अनुपालन न होना 2.अकुशलता अथवा प्रयासों में कमी/तालमेल में कमी और देरी 3.हमारी प्रतिष्ठा/विश्वसनीयता को धूमिल करना ।	1. तकनीकी मार्गदर्शन, वित्तीय/फंडिंग सपोर्ट तथा कम से कम दखल 2. आंकड़ों के संग्रहण और उपयोग में विशेषीकृत प्रशिक्षण तथा आंकडों के उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर की आपूर्ति ।	1. राज्य द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को देखते हुए, राष्ट्रीय सांख्यिकीय नीतियां, तथा मानकों का अनुपालन करना । 2. राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों का समय पर उपयोग 3. मुख्य आंकड़ों पर नियमित डाटाबेस को तैयार कर सहायता कर सकते हैं, जो जमीनी स्तर की प्रशासन प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है । 4. उपयुक्त सांख्यिकीय प्रणाली तथा रिकॉर्ड्स का रखरखाव ।

		भूमिका निभाने के लिए एनएसओ को समर्थ बनाने के लिए आंकड़ों की गुणवत्ता और सामयिकता को देखते हुए एनएसओ के साथ तालमेल और सहयोग ।			5. अपनी नोडल एजेंसी की प्रभावशील भूमिका निभाने के लिए एनएसओ को समर्थ बनाने के लिए तालमेल और सहयोग ।
4.	उद्योग/व्यापार संघ और स्थापनाएं	उपयोगी सरकारी आंकड़ों के उपयोग का संग्रहण/आपूर्ति, प्रचार-प्रसार तथा संवर्धन; सरकारी आंकड़ों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सरकार को सहयोग देना; आंकड़ों की गुणवत्ता और समय पर जानकारी ।	सहयोग न देना, सही स्पष्टीकरण न देना तथा हित में मतभेद उत्पन्न होना	सरकारी सूचना आवश्यकता पर स्पष्टता और पारदर्शिता, सरकार के साथ संपर्क के लिए एकल खिड़की प्रणाली, समझने में आसान तथा प्रतिक्रिया अनुसूची, कम से कम दखल ।	विश्वसनीय सूचना की अनुकूल और सामयिक आपूर्ति; पारस्परिक मजबूत सहयोगपूर्ण व्यवस्था; जानकारी देना
5.	सर्वसाधारण/नागरिक	अपेक्षित ढंग से सूचना समर्थन के लिए अनुरोध किये जाने पर प्रतिक्रिया द्वारा	सहयोग न देना/कम सहयोग/विरोध; अप्रिय प्रतिक्रिया	सूचना की कम मांग; समाज को वास्तविक लाभ; सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना को एकत्र करने में दोहराव से बचना ।	सराहना तथा उत्तरदायित्व के साथ पूरा सहयोग; आंकड़ों के महत्व के बारे में समूह/समुदाय में जागरूकता लाना
6.	शैक्षिक संस्थान, अनुसंधान संगठन, निजी निकाय संगठन	सूचना/आंकड़ों की विश्लेषणता पर आधारित जानकारी प्रदान करना; सरकार के साथ साझेदारी स्थापित करना 2.अपने सहयोगियों के द्वारा आंकड़ों के संग्रहण में सहयोग	1.सरकारी क्षेत्र में सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों एवं सांख्यिकीय नौकरियों के बारे में आशंकित और गलत सूचना फैलाकर ।	1. अनुसंधान और परियोजनाओं के संचालन के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग तथा कार्यशालाएं, सम्मेलन इत्यादि आयोजित करना; सरकार के साथ साझेदारी संभावनाओं में बेहतर परख ।	1.सांख्यिकीय शिक्षा और अनुसंधान में क्षमता को बढ़ाने में सरकारी सहयोग का लाभकारी और भरपूर उपयोग, विश्लेषणात्मक आवश्यकता एवं नीति

		द्वारा 3. आंकड़ों की समय श्रेणियों के संदर्भ में अनुसंधानकर्ता अपनी जरूरत के बारे में बता सकते हैं जो कार्यसूची का गठन करने में हमारी मदद कर सकते हैं । 4.जागरूकता बढ़ाने में, सांख्यिकीय साक्षरता, आत्मविश्वास और भरोसा, कार्यक्षेत्र में वृद्धि तथा सुधार	2.सर्वेक्षण साधनों में शामिल होने के लिए अनुसंधानकर्ताओं की भारी मांग । 3. गलत आंकड़े तथा अस्पष्ट अविश्वसनीय आंकड़े	2. सरकार के समक्ष अपनी स्थिति प्रस्तुत करने के लिए अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए और अपने आंतरिक उपयोग के लिए संबंधित आंकड़े । 3. बैठकों के बारे में समयबद्ध सूचना व आमंत्रण और उनकी सही व्यवस्था 4. माइक्रो एवं मैक्रो डाटा, शैक्षणिक भागीदारी , विशिष्ट रूप से निर्मित आंकड़े उत्पाद	अनुसंधान के तकनीकी सामग्री में मूल्य वर्धन 2. सर्वेक्षणों और गणनाओं के लिए आंकड़ों के संग्रहण हेतु कार्यप्रणाली तथा साधनों के विकास के समय तकनीकी सहयोग/मार्गदर्शन 3. सर्वेक्षण साधनों पर विशेषज्ञ के विचार 4. तर्कपूर्ण आलोचना, आंकड़ों की मांग, दृश्यता, कार्यक्षेत्र में वृद्धि तथा सुधार, निर्णय समर्थन में अनुसंधान सामग्री
7.	गैर सरकारी संगठन (एनजीओ)	ये आंकड़ों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाकर तथा सरकार के प्रयासों को पूरा करने में सांख्यिकीय कार्यकलापों के लिए सामूहिक संसाधन उपलब्ध कराकर सहायता कर सकते है ।	---	संबंधित सांख्यिकीय अवधारणाएं, परिभाषाएं, कार्यप्रणालियों, बाधाओं को समझने में अपेक्षित स्पष्टता तथा निर्णय लेने तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया में एक साझेदार के रूप में भूमिका निभाकर	सरकारी आंकड़ों पर जनता में जागरूकता के संबंध में सहयोग और भागीदारी और सर्वेक्षण व मूल्यांकन कार्यकलापों में सरकार के साथ साझेदारी ।
8.	प्रतिदर्श सर्वेक्षणों/जनगणना सहित सांख्यिकीय कार्य को करने में	सौंपे गए कार्य को निष्पक्षता और दक्षतापूर्ण तरीके से करके	यूनियन हड़ताल, न्यायालय मामलों इत्यादि द्वारा	कर्मचारियों की समस्याओं का तुरंत समाधान और सेवा शर्तों; कैरियर संभावनाओं, बेहतर प्रशिक्षण इत्यादि में सुधार	सर्वेक्षण आंकड़ों के संग्रहण और संकलन में शुद्धता और समयबद्धता; और स्वस्थ कार्य संबंध ।

	शामिल अधिकारी				
9.	सार्वजनिक	1. आंकड़ों के संग्रहण में सांख्यिकीय एजेंसियों की सहायता करना । 2. प्राथमिक आंकड़े प्रदान करना । 3. जागरूकता, सांख्यिकीय साक्षरता, आत्मविश्वास और विश्वास में वृद्धि करना	1. प्रतिक्रिया न देना, गलत और अशुद्ध आंकड़े और व्याख्या 2. अविश्वसनीय सांख्यिकी	1.सामाआर्थिक परिस्थितियों को सही ढंग से तथा जहां तक संभव हो जनता द्वारा यथा दृष्टिगत दर्शाने वाले आंकड़े 2. जागरूकता, मूल्यांकन, गोपनीयता तथा सांख्यिकीय साक्षरता 3. जागरूकता बढ़ाने में भागीदारी, जरूरत आधारित आंकड़ों का प्रचार	अच्छी प्रतिक्रिया, तर्कसाध्य आलोचना, आंकड़ों की मांग, दृश्यता
10.	विभिन्न समितियों में प्रतिष्ठित व्यक्ति	1. हमारी उपयोगिता के बारे में सरकार को सुनिश्चित करना 2. तर्कसाध्य सुझावों/परामर्श के माध्यम से हमारी प्रणाली में सुधार कर हमारी सहायता कर सकते हैं ।	द्वेषपूर्ण आलोचना द्वारा हमारी प्रतिष्ठा/विश्वसनीयता को धूमिल कर	इनकी सिफारिशें लागू हो ।	1. सही मार्ग दिखाना 2. अधिक समय और भागीदारी प्रदान करना
11.	योजना आयोग	योजना पद्धतियों की समय से मंजूरी	-- प्रस्तावों की अस्वीकृति; -- मंजूरी में देरी	1. विभिन्न योजनाओं के लिए समयबद्ध और व्यापक प्रस्ताव 2. आवंटित फंड का सदुपयोग 3. वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों के संबंध में सूचना व्यवस्था 4. योजनाबद्ध योजनाओं का उचित कार्यान्वयन	1. योजना पद्धतियों की समय से मंजूरी, और 2. उचित दृष्टिकोण से हमारे प्रस्तावों की जांच

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) आईपीएमडी

क्रम सं.	प्राथमिकता वाले आईपीएमडी साझेदार	शक्तियां		हित	
		ये हमारी मदद कैसे कर सकते हैं?	**ये हमें ब्लॉक कैसे कर सकते हैं?**	**वे हमसे क्या चाहते हैं?**	**हम उनसे क्या चाहते हैं?**
1	बुनियादी ढॉचा मंत्रालय (वर्तमान में 16)	-समय से सूचना प्रदान करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश देना । -मंत्रालय द्वारा उठाये गये मुद्दें और समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई - सभी निर्णय लेने तथा परियोजनाओं पर बैठकों का पुनरीक्षण करने के लिए इस मंत्रालय को आमंत्रित कर	-समस्याओं का समाधान करने के लिए मंत्रालय द्वारा किये गये अनुरोध पर प्रतिक्रिया न देकर -आवश्यक सूचना की आपूर्ति में देरी -एमओएसपीआई को महत्वपूर्ण बैठकों में आमंत्रित ना करके	-बुनियादी ढॉचा तथा परियोजनाओं की प्रदर्शन रिपोर्ट का समय से प्रस्तुतीकरण -मूल्यांकन में सहयोग तथा सुझावों के साथ विलंबित परियोजनाओं का पुनरीक्षण - अंतर मंत्रालय प्रकृति की समस्याओं का समाधान करने में सहायता	-क्षेत्र में नीति और अन्य मुद्दों पर पर्याप्त सूचना - महत्वपूर्ण मुद्दों/परियोजनाओं पर निर्णय लेने में मंत्रालय का सहयोग - सूचना को समय से जारी करना
2.	केंद्र/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-ओसीएमएस पर ऑनलाइन सूचना भेजने का संचालन -अनुभव की गई समस्याओं का संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराना -एमओएसपीआई द्वारा सही प्रकार	-पर्याप्त ऑनलाइन सूचना प्रदान न करके -सकारात्मक जवाब न देना	-अंतर-मंत्रालयी समन्वय बैठकों के आयोजन में सहयोग -क्षेत्रों से बाहर के मौलिक सिद्धांतों से संबंधित मुद्दों	-ओसीएमएस पर समस्त सूचना के साथ समयबद्ध रिपोर्टिंग -समाधान की गई/स्थगित समस्याओं समेत अनुभव की

		से पुनरीक्षण करना -कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) सहित परियोजना प्रबंधन प्रयासों का समर्थन करना		को चर्चा में लाना तथा इनके समाधान के लिए सुझाव प्रदान करना ।	गई समस्याओं का विवरण उपलब्ध कराना । - प्रस्तावित लागत तथा समय के साथ उन समस्याओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराना जो अगले तीन महीनों में अनुभव की जा सकती हैं ।
3.	प्रधानमंत्री कार्यालय	-समय से एमओएसपीआई को रिपोर्ट और सूचना प्रदान करने के लिए सभी मंत्रालयों को निर्देश देना -जटिल समस्याओं का कभी-कभार पुनरीक्षण	अन्य संलग्नताओं के कारण प्राथमिकता को स्वीकृति न मिलना	- अधिक समय एवं लागत के संदर्भ में केंदीय क्षेत्र की परियोजनाओं की मॉनीटरिंग पर नियमित रिपोर्ट तथा अवसंरचना प्रदर्शन की मॉनीटरिंग ।	-आईपीएमडी द्वारा निर्दिष्ट कमियों की कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों को कभी-कभार पत्र भेजना -प्रभाग के कुशल संचालन में पीएमओ का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होगा ।
4.	केबिनेट सचिवालय	-अंतर-मंत्रालयी समस्याओं को सुलझाने में -अति समय व लागत वाली परियोजनाओं का पुनरीक्षण	**-** अधिक समय व लागत के दृष्टिकोण से, अन्य संलग्नताओं के कारण प्राथमिकता वाले घटकों को स्वीकृति न मिलना ।	**-**विशिष्ट परियोजनाएं जिनमें ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है का विवरण उपलब्ध कराना -समस्याओं के निदान के लिए अधिक प्रयास करना	**-**एमओएसपीआई की सूचना आवश्यकताओं के लिए मंत्रालयों द्वारा समयबद्ध प्रतिक्रिया में सहयोग

5.	वित्त मंत्रालय	-उन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता देना जो पूरी होने वाली हैं । -ईएफसी और पीआईबी द्वारा परियोजनाओं पर मंजूरी प्राप्त करते हुए मंत्रालयों के सुझावों पर विचार करना	**-**सामान्य बजट में परेशानियां -ईएफसी/पीआईबी प्रक्रिया में इस मंत्रालय के सुझावों पर महत्व न देना ।	**-**	**-**क्षमता निर्माण में सहायता
6.	योजना आयोग	-अवंसरचना क्षेत्रों के प्रदर्शन के विश्लेषण को उपयोगी बनाना -संबंधित समस्याओं पर विचार करना -आगामी परियोजनाओं के लिए अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं पर विचार करना	-लागू नहीं -लागू नहीं	-12वीं योजना का निर्माण करने में योगदान देना	-केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान
7.	निर्माण उद्योग प्रतिनिधि/संघ	ये क्षमता तथा परियोजनाओं में देरी के कारण उत्पन्न अन्य बाधाओं संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान देकर सहायता कर सकते हैं ।	-अपेक्षित सूचना को हमारे लिए उपलब्ध न कराके	-मध्यस्थता के लिए अनुबंध प्रबंधन और संबंधित संस्थानिक प्रबंध परियोजाओं में सुधार वाले क्षेत्र में सहयोग	-विभिन्न मामलों पर सूचना के लिए हमारे निवेदनों पर तीव्र प्रतिक्रिया
8.	प्रशिक्षण संस्थान एवं संघ	परियोजनाओं के बेहतर हस्तांतरण के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण के क्षेत्र की पहचान करना	-सहयोग में कमी	-परियोजना प्रबंधन के विस्तार में सांस्थानिक सहयोग	- परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट अध्ययनों में सहयोग - परियोजना प्रबंधकों के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए

					पाठ्यक्रम के विकास में सहयोग
9.	आपूर्तिकर्ता एवं वेंडर्स	-परियोजनाओं के लिए साधन एवं सामग्री की समय से आपूर्ति में सहयोग द्वारा	-परियोजनाओं के लिए उपकरणों एवं सामग्री की आपूर्ति में देरी	-विवादों को निपटाने के लिए सांस्थानिक सहायता तंत्र का निर्माण	- परियोजनाओं की समय से आपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय के निवेदन पर सहयोग और जानकारी
10	सांसद/विधायक	राज्य संबंधित समस्याओं को सुलझाने में सहायता -श्रम संबंधित समस्याओं को सुलझाने में सहायता -कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं को सुलझाने में सहायता	----------	----------	----------
11	व्यावसायिक संस्थान जैसे आईआईटी/आईआईएम	-परियोजना प्रबंधन अनुशासन के विकास के क्रियान्वयन में सहायता द्वारा	-जानकारी में कमी	-सांस्थानिक/वित्तीय सहायता	-परियोजना प्रबंधकों के प्रशिक्षण के लिए सांस्थानिक तंत्र के विकास में भागीदार बनना तथा परामर्शकों, संविदाकारों, वेंडर्स, इत्यादि का क्षमता निर्माण

(ii) **<u>एमपीलैड</u>**

क्रम सं.	प्राथमिकता वाले एनएसओ साझेदार	शक्तियां		हित	
		ये हमारी मदद कैसे कर सकते हैं?	**ये हमें ब्लॉक कैसे कर सकते हैं?**	**वे हमसे क्या चाहते हैं?**	**हम उनसे क्या चाहते हैं?**
1	सांसद	• जिला प्राधिकरणों को समय पर कार्यों की सिफारिश • इनके द्वारा सिफारिश किये गये कार्यों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग • कार्यान्वयन में देरी/अनियमितताओं के बारे मे मंत्रालय को जानकारी प्रदान करना । • नीति बदलावों के लिए सुझाव देना, योजना से लोगों के लिए अधिक लाभ उत्पन्न करना	• सासंदों द्वारा कार्यों की सिफारिश न करने के कारण योजना के कार्यान्वयन में बाधा आती है ।	• धन को समय से जारी करना • नीतिगत प्रयास जिससे यह सुनिश्चित हो कि योजना का लाभ लोगों को मिल रहा हैं । • कार्यों के तीव्र निष्पादन के लिए जिला/राज्य के अधिकारियों पर जोर देना	• जिला प्राधिकरणों हेतु कार्यों की समय से सिफारिश करना • सांसदों द्वारा अपने स्तर पर सिफारिश किये गये कार्यों के कार्यान्वयन का विश्लेषण • कार्यान्वयन में देरी/अनियमिततओं के बारे मे मंत्रालय को जानकारी प्रदान करना
2	जिला प्राधिकरण	• सांसदों द्वारा सिफारिश किये गये	• सिफारिशों की अनुचित जांच तथा अनुपयुक्त	• नीति मामलों पर निर्देशन तथा योजना	• सांसदों द्वारा सिफारिश किये गये

		कार्यों की उचित जॉच/ छानबीन • दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट समय के अंदर दिशा-निर्देशानुसार उपयुक्त कार्यों पर मंजूरी • सक्षम एवं उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर कार्यों को भली-भांति कार्यान्वित करना । • गुणवत्ता की जॉच सहित कार्यों के कार्यान्वयन का नियमित विश्लेषण करना • मंत्रालय तथा सांसदों को समय से सूचना प्रदान करना ।	कार्यों की मंजूरी • सिफारिशों की प्रोसेसिंग में देरी • कार्यान्वयन में देरी तथा अपर्याप्त मॉनीटरिंग	के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण देना • मासिक प्रगति रिपोर्टों (एमपीआर) का प्रस्तुत न करना /प्रस्तुति में देरी, उपयोगिता प्रमाणपत्र/लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्र इत्यादि तथा धन जारी करने में बाधा	कार्यों की उचित जॉच/संवीक्षा • दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट समय के अंदर उपयुक्त कार्यों पर मंजूरी • सक्षम एवं उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा उचित कार्यान्वित करना • गुणवत्ता की जॉच सहित कार्यों के कार्यान्वयन का नियमित विश्लेषण करना • मंत्रालय तथा सांसदों को समयबद्ध सूचना प्रदान करना ।
3	राज्य नोडल विभाग	• जिला प्राधिकरणों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की बेहतर	• निगरानी में कमी	• मंत्रालय इनके साथ नियमित रूप से संपर्क में रहे और	• जिला प्राधिकरणों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की

		मॉनीटरिंग • धन जारी करने से संबंधित दस्तावेजों की समय से प्रस्तुति के लिए जिलाअधिकारियों के साथ कार्य करना ।		इन्हें नवीनतम विकास की जानकारी प्रदान करता रहे	बेहतर मॉनीटरिंग • फंड जारी करने से संबंधित दस्तावेजों के समय से प्रस्तुतिकरण के लिए जिला प्राधिकरणों के साथ कार्य करना ।
4	कार्यान्वयन एजेंसियां	• योजना का उचित, समयबद्ध तथा गुणवत्ता युक्त कार्यान्वयन	• अनुपयुक्त तथा देरी से कार्यान्वयन	• स्पष्ट तथा विस्तृत दिशा-निर्देश	• योजना का उचित, समयबद्ध तथा गुणवत्ता युक्त कार्यान्वयन

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

क्रम सं.	**प्राथमिकता वाले एनएसओ साझेदार**	**शक्तियां**		**हित**	
		ये हमारी मदद कैसे कर सकते हैं?	**ये हमें ब्लॉक कैसे कर सकते हैं?**	**वे हमसे क्या चाहते हैं?**	**हम उनसे क्या चाहते हैं?**
1	केंद्रीय नोडल मंत्रालय	लक्ष्यों का निर्धारण तथा धन को समय से जारी करना	धन जारी करने में देरी	कार्यक्रम के विश्लेषण की नियमित रिपोर्ट	निर्धारित लक्ष्य, जारी किये गए धन तथा उपलब्धियों के बारे में सूचना
2	राज्य सरकारें	योजनाओं की उपयुक्त	जिला प्रशासन को धन जारी	कार्यक्रम की मॉनीटरिंग की	प्रगति रिपोर्ट

		मॉनीटरिंग एवं कार्यान्वयन	करने में देरी	नियमित रिपोर्ट	
3	जिला प्रशासन	योजना का उचित कार्यान्वयन तथा रिपोर्टों का समय से प्रस्तुतिकरण ।	धन का सही उपयोग न होना	-	राज्य सरकारों से संबद्ध विभागों को नियमित प्रगति रिपोर्ट भेजना
4	लाभार्थी	कार्यक्रम में भागीदारी	उदासीनता दिखाना या सहयोग न देना	सही जागरूकता तथा प्रभावी संबंध	सुधार के लिए जानकारी और सुझाव
5	जनसाधारण	योजनाओं की अनुकूलता और प्रगति के बारे में जानकारी तथा राय देना	योजनाओं का विरोध	सामान्य जनता के हित में कल्याणकारी कार्य	योजनाओं को प्रोत्साहन देना

2ग. हमारे गुण व दोष क्या हैं?

I. एनएसओ

घटक	**गुण**	**दोष**
1. क्षमताएं	प्रशिक्षित भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस)/अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) कार्मिक के रूप में उच्च स्तरीय सांख्यिकीय कौशल	आंकड़ों के संग्रहण, आंकड़ों के नियोजन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में, विशेष रूप से राज्य स्तर पर विभिन्न अधिकारियों का क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण को और मजबूत किये जाने की आवश्यकता है ।
2. आंतरिक संप्रेषण		
3. संसाधनों की पर्याप्तता	पर्याप्त वित्तीय संसाधन	सरकारी व्यवस्था में मानव शक्ति में कमी के चलते तथा सांख्यिकीय कार्मिकों की असंतोषजनक पहचान के कारण संसाधनों की भारी कमी
4. पारदर्शिता	पर्याप्त पारदर्शिता और खुलेपन की प्रवृत्ति	
5. आंतरिक एकजुटता		
6. खुलेपन की प्रवृत्ति	नयी चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए व्यवस्था में	

	पर्याप्त खुलेपन की प्रवृत्ति है ।	
7. कार्यप्रणालियां एवं प्रक्रियाएं	डाटाबेस के रखरखाव के लिए प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं बहुत ही कुशल हैं और लाभप्रद सेवा प्रदान करती है ।	
8. जवाबदेही		समयानुसार तथा यूजर्स द्वारा अपेक्षित प्रारूप में दोनों के लिए आंकड़ों के उपयोग में अधिक सावधानी और जवाबदेही की आवश्यकता है ।
9. डाटाबेस	योजना के पास पर्याप्त डाटाबेस हैं ।	आंकड़ों के प्रचार-प्रसार में सामयिकता में सुधार करने की आवश्यकता है ।
10. निर्णय लेने में तीव्रता		निर्णय लेने की प्रक्रिया में तीव्रता की आवश्यकता है ।
11. स्टेकहोल्डर्स की समझ	अधिकतर साझेदारों का मानना है कि मंत्रालय को अपनी आवश्यकताओं की बहुत अच्छी समझ है यद्यपि कुछ मामलों में यहां सुधार की गुंजाइश है । आंकड़ों से संबंधित मामलों में यह प्रभावी नियंत्रण बनाने के लिए कार्य करता है ।	
12. सुपुर्दगी का ट्रैक रिकार्ड	आंकड़े/सांख्यिकी का प्रचार-प्रसार संतोषजनक है ।	आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों के प्रचार-प्रसार के लिए समय-सीमा
13. जानकारी व ज्ञान	सांख्यिकी का पारम्परिक ज्ञान तथा सरकारी आंकड़ों में इसका प्रयोग काफी अच्छा है ।	नवीनतम तकनीकों में कार्मिकों के कार्य-कौशल में वृद्धि तथा क्षमता निर्माण की आवश्यकता है ।
14. परिसंपत्तियों का रखरखाव		परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए कुछ और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ।

III. कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) आईपीएमडी

घटक	**गुण**	**दोष**

1. क्षमताएं	-आईपीएमडी की अध्यक्षता अत्यधिक काबिल तथा अनुभवी तकनीकी व्यक्ति द्वारा की जाती है ।	तकनीकी क्षेत्र में नौकरियों के लिए खाली जगह के कारण, इसके पास सभी कार्यकलापों को प्रभावी रूप से निष्पादित करने के लिए सीमित संसाधन हैं । मानव संसाधन प्रभाग की आवश्यकताओं की पिछले 20 सालों से समीक्षा नहीं की गई है । प्रभाग में सहायक सचिवालय स्टाफ का स्तर बहुत निम्न है ।
2. आंतरिक संप्रेषण	सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए प्रयुक्त वेब आधारित एमआईएस, जो अनौपचारिक है तथा यूनिट के अंदर सूचना को ऑनलाइन जारी करता है । जटिल मामले शीघ्र निपटाए जाते हैं ।	आईसीटी अनुप्रयोग में स्टाफ की कमी
3. संसाधनों की पर्याप्तता	केंद्रीय बजट के माध्यम से फंड प्रदान किया जाता है और इसलिए उपयुक्त प्रावधान बनाए गये हैं ।	आंतरिक स्वीकृति प्रक्रिया व्यवस्थित नहीं है और अधिक समय लेने वाली है ।
4. पारदर्शिता	प्रभाग को साझेदारों में अनुभव तथा ज्ञान का आदान-प्रदान करने हेतु अपनी पारदर्शिता के लिए जाना जाता है ।	
5. आंतरिक एकजुटता	विभिन्न कार्यकलापों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढॉचा	जानकारी की कमी के होने से, इनका प्रयोग प्रभावी रूप से नहीं होता ।
6. खुलेपन की संस्कृति	प्रभाग में खुलेपन की संस्कृति	अधिक सुधार की आवश्यकता
7. कार्य प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं	आईपीएमडी के पास ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड मॉनीटरिंग सिस्टम (ओसीएमएस) है जो प्रत्येक माह ऑनलाइन आंकड़ों की शीघ्र एवं गुणवत्ता विश्लेषण में सहायता करता है ।	सहायक कर्मियों की कोई व्यवस्था नहीं है । अनुबंध सेवा पर निर्भरता ।
8. जवाबदेही	मजबूत	आवश्यक विषयों में विफलता
9. डाटाबेस	आईपीएमडी का परियोजना डाटाबेस उच्च अनुसंधानकर्ताओं तथा मीडिया द्वारा देखा जाता है ।	-कुशल कर्मचारियों के अभाव के चलते श्रेणीकरण और वैधीकरण में परेशानी

	यह अपनी तरह का एक अनोखा और बड़ा डाटाबेस है ।	
10. सोच-समझकर निर्णय लेना	अच्छा	निम्न स्तर के कर्मचारी सही मायने में काम सौंपने में सक्षम नहीं होते ।
11. साझेदारों की समझ	मजबूत	- आईपीएमडी का कार्य एक पूरक और मददगार की प्रकृति का है । इसका परियोजनाओं पर सीधा नियंत्रण नहीं है । पीएमओ/कैबिनेट सचिवालय से दूर हमारी जानकारी आधारित आवश्यकताओं पर साझेदारों की प्रतिक्रिया काफी निराशाजनक होती है । -कुछ परियोजना उपक्रम अपने स्वयं के मंत्रालयों की अप्रिय प्रतिक्रिया के कारण मंत्रालय को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने में झिझकते हैं, जबकि उन्हें एमओएसपीआई द्वारा राष्ट्र के लिए किए जा रहे कार्य के प्रभाव के बारे में जानकारी ।
12. सुपुर्दगी का ट्रैक रिकार्ड	मजबूत साख और विश्वसनीयता	उच्च स्तर पर निरंतर बदलाव
13. नियंत्रण	अच्छा	और मजबूती की आवश्यकता है ।
14. जानकारी व ज्ञान	बहुत अच्छा, ज्ञान प्रबंधन द्वारा	स्टाफ की कमी एक बड़ी चुनौती है ।
15. मौसम जलवायु	**-**	**-**
16. परिसंपत्तियों का रखरखाव	**-**	**-**

(ii) <u>एमपीलैड</u>

घटक	**गुण**	**दोष**

1. क्षमताएं	अनुभवी प्रशासनिक कौशल	योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए जिला प्राधिकरणों पर निर्भरता
2. आंतरिक संप्रेषण	सक्रिय और परिणामोन्मुखी प्रयासों के लिए दूरदर्शी नेतृत्व (प्रमुख प्रवर्तक)	
3. प्रणालियां एवं प्रक्रियाएं	दिशा-निर्देशों के कार्यढ़ांचे के अंतर्गत संचालन हेतु मजबूत प्रशासन तंत्र/कार्यकलाप तंत्र और जिलों/राज्यों में इसको बढ़ावा देना ।	
4. प्रोसेसिंग की गति	मंत्रालय स्तर पर तीव्र	कुछ जिलों में विभिन्न कारकों के कारण प्रोसेसिंग में देरी
5. नियंत्रण	एमपीलैड दिशा-निर्देशों में कार्यढ़ांचे का स्पष्ट उल्लेख है, उपयुक्त कार्य जो किये जा सकते हैं, योजना की संचालन प्रक्रिया और मॉनीटरिंग तंत्र	यहॉ एमपीलैड दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के पूरी तरह से उपयोग द्वारा जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन में सुधार की गुंजाइश है ।
6. ज्ञान	योजना की अच्छी समझ है । दिशा-निर्देशों की बेहतर समझ के लिए जिला/राज्य के अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।	योजना तथा बेसिक अकाउंट्स व तुलन-पत्र से संबंधित आईटी प्रक्रियाओं पर मंत्रालय में स्टाफ के लिए कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है ।
7. सुपुर्दगी का ट्रैक रिकार्ड	एमपीलैड योजना का कामकाज अच्छा रहा है और इसमें वर्ष 2004-05 में पर्याप्त सुधार आया है जैसा कि यदि धन के इस्तेमाल पर नजर डालें तो यह जारी की गई राशि के 90 प्रतिशत और उससे अधिक ही रहा है ।	
8. संसाधन की पर्याप्तता	सहायता अनुदान के रूप में धन जारी करने के लिए बजटीय सहायता सुनिश्चित करना ।	वास्तविक निरीक्षण जैसे कार्यकलापों के लिए बजटीय सहायता पर्याप्त नहीं है ।
9. पारदर्शिता	पहल जैसे एमपीलैड वर्क्स मॉनीटरिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें कार्यों का विवरण सभी तक पहुँचाने के लिये जिला प्राधिकरणों द्वारा वेबसाइट में डाला जाना है ।	

10. जवाबदेही	जिला स्तर, कार्यान्वयन एजेंसी स्तर, राज्य स्तर इत्यादि में मजबूत जवाबदेही तंत्र को पहले से ही दिशा-निर्देशों में पहले से ही निर्धारित किया गया है ।	जिला/राज्य स्तरों पर सही निगरानी की कमी है ।
11. डाटाबेस	मंत्रालय द्वारा जारी किये गये धन के प्रमाणित एवं दीर्घकालिक डाटाबेस तथा जिलों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित व्यय इत्यादि । इसके अलावा, जिलों से ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने के लिए एक नया ऑनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्टिंग सिस्टम शुरू किया गया है ।	व्यय इत्यादि पर जिला प्राधिकरणों द्वारा सूचना के प्रस्तुतीकरण में देरी ।
12. साझेदारों की भागीदारी	नियमित संप्रेषण तंत्र के माध्यम से जैसे पुनरीक्षण बैठकें, राज्यों/जिलों में दौरे, लोकसभा, राज्यसभा समिति बैठकें इत्यादि ।	

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

घटक	**गुण**	**दोष**
क्षमताएं	लंबे अनुभव के साथ उच्च गुणवत्ता सांख्यिकीय कौशल (प्रभाग में आईएसएस अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा) ।	ई-कम्युनिकेशन दो तरफा मुद्दा है । टीपीपी प्रभाग के कुछ अधिकारियों तथा स्टेट मशीनरी में आईटीटी कौशल की कमी है ।
आंतरिक संप्रेषण	पीआई विंग के सभी प्रभागों के बीच संचार का स्तर बहुत अधिक है ।	
पर्याप्त संसाधन	गुणात्मक अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं । पर्याप्त बजट सहायता उपलब्ध है ।	अपर्याप्त मानवशक्ति
निर्णय लेना	केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का स्तर भी मजबूत है ।	जिला स्तर पर कमजोर है ।
साझेदारों की समझ	केंद्रीय नोडल मंत्रालय और राज्य सरकार में अच्छी समझ	टीपीपी प्रभाग को जिला प्रशासन की समझ थोड़ी कम

		है ।
नियंत्रण	प्रभावी नियंत्रण के लिए केंद्रीय नोडल मंत्रालय तथा राज्य सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया	मंत्रालय को किसी भी साझेदार पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं है ।

2घ. हमें क्या सीखने की आवश्यकता है?

I. एनएसओ

सबसे महत्वपूर्ण **हमें क्या सीखने की आवश्यकता है** **कम महत्वपूर्ण**	**<u>सबसे महत्वपूर्ण क्या है और हम बहुत कुछ जानते हैं</u>** **<u>(आवश्यक ज्ञान कार्यावली)</u>** • राष्ट्रीय खातों का संकलन • उत्पादन और मूल्य सूचकांक का संकलन; • बड़े पैमाने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण का संचालन • सांख्यिकीय रिपोर्टों का संकलन एवं प्रकाशन	**<u>सबसे महत्वपूर्ण क्या है परंतु हम बहुत कम जानते हैं</u>** **<u>(आवश्यक ज्ञान कार्यावली)</u>** • आंकड़ों के संग्रहण और इसके प्रचार-प्रसार में अंतरराष्ट्रीय कार्यकलाप; • साझेदारों के साथ समन्वय तथा इनकी संलग्नता; • संप्रेषण एवं प्रस्तुतिकरण कौशल; • महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सैटेलाइट अकाउंट; • आंकड़ों के प्रचार-प्रसार के समय-अंतराल को कम करना; • सांख्यिकीय कार्यकलापों का दस्तावेजीकरण; • डाटा यूजिंग अडवांस्ड स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर का विश्लेषण
	कम महत्वपूर्ण क्या है परंतु बहुत जानते हैं	**कम महत्वपूर्ण क्या है और हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं**

बहुत ज्यादा **हम इसके बारे में कितना सही जानते हैं** **बहुत कम**

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) आईपीएमडी

अत्यंत महत्वपूर्ण **हमें क्या सीखने की आवश्यकता है**	**<u>आवश्यक</u>** -विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियां (क्लीयरेंस) -विभिन्न राज्यों में भूमि अधिग्रहण के मामले -परियोजना प्रबंधक व संविदाकार तथा अन्य भागीदारों का प्रशिक्षण -कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता -मुख्य इनपुट आपूर्तियां और उपकरण इत्यादि -परियोजना चक्र की प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण	**<u>समीक्षात्मक ज्ञान कार्यावली</u>** -मौजूदा अवसंरचना परियोजनाओं के साथ संयोजन -कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के साथ इनपुट संयोजन -परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए विभिन्न भागीदारों की भूमिका -निर्माण, मूल्यांकन और स्वीकृतियों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट प्रक्रियाएं -संविदात्मक प्रबंधन और प्रशासन
कम महत्वपूर्ण		

बहुत ज्यादा **हम इसके बारे में कितना सही जानते हैं** **बहुत कम**

(ii) एमपीलैड

अत्यंत महत्वपूर्ण **हमें क्या सीखने की आवश्यकता है**	**<u>आवश्यक</u>** • योजना के दिशा-निर्देशों तथा अन्य पहलुओं की समझ	**<u>समीक्षात्मक ज्ञान कार्यावली</u>** • निगरानी/फंड को जारी से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोगों/प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण • लेखा परीक्षा प्रमाणपत्रों की बेहतर संवीक्षा के लिए तुलन-पत्र/आय-व्यय विवरण की प्रारंभिक समझ के लिए प्रशिक्षण/प्रदर्शन
कम महत्वपूर्ण	• क्षेत्रीय प्रक्रिया तथा बुनियादी स्तर की कार्यान्वयन प्रक्रियाओं का ज्ञान	

बहुत ज्यादा **हम इसके बारे में कितना सही जानते हैं** **बहुत कम**

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

अत्यंत महत्वपूर्ण **हमें क्या सीखने की आवश्यकता है**	**आवश्यक** • टीपीपी समस्याओं वाले क्षेत्रों का अनुभव आधारित ज्ञान	**समीक्षात्मक ज्ञान कार्यावली** • आईटी मामलों में स्टाफ का प्रशिक्षण • टीपीपी के कार्यान्वयन में समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करना । • टीपीपी का प्रभाव • मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट के विश्लेषणात्मक संघटक में सुधार करना • सामान्य जनता में लाभार्थियों द्वारा जानकारी
कम महत्वपूर्ण	• कार्यक्रम के बारे में राज्यों से जानकारी	• सूचना के तीव्र संचार के लिए प्रौद्योगिकीय प्रोत्साहन की जरूरत

बहुत ज्यादा **हम इसके बारे में कितना सही जानते हैं** **बहुत कम**

खंड 3: नीति की रूपरेखा

3क. बाहरी बलों एवं आंतरिक क्षमताओं के विश्लेषण पर आधारित प्रयासों/पहल की पहचान करना

1. एनएसओ

नीतियां	**नीतिगत पहल**
1.1 प्रतिदर्श सर्वेक्षणों और सूचकांक आदि तैयार करने के लिए कार्यविधियों सहित राज्य के डीईएस को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना	• राज्य अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का दस्तावेज बनाना • राज्य अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना • राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न पहलुओं पर कार्यशालाएं और व्यावहारिक सत्रों का आयोजन करना • नियम-पुस्तिकाओं, मार्गदर्शनों/प्रक्रियाओं, प्रणालियों, अवधारणाओं, परिभाषाओं आदि से संबंधित दस्तावेजों को तैयार करना और इन्हें राज्य सरकारों में वितरित करना।
1.2 क्षेत्रीय असमानताओं का अनुमान और सूचकांक तैयार करने के लिए कार्यविधि प्रदान करना	• समयबद्ध प्रारूप में प्रणाली और सभी संबंधित मामलों को तैयार करने के लिए राज्य डीईएस और केंद्रीय मंत्रालयों के विशेषज्ञों सहित इस उद्देश्य हेतु विशेषज्ञ समूह का गठन करना,एक नियम-पुस्तिका तैयार करना तथा इसे राज्यों में वितरित करना, और • केंद्र/राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना ।

1.3 सर्वेक्षण तथा अनुसंधान अध्ययनों को कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ।	• इसके लिए आईएसएसपी की केंद्रीकृत प्रायोजित योजना में प्रावधान किया जा सकता है । • प्लान स्कीम ''क्षमता विकास'' से अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित करने के मौजूदा कार्यकलाप में उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है ताकि किसी पसंदीदा विषय पर अनुसंधान अध्ययन करने के लिए राज्य डीईएस को दिए गए अनुदान इसमें शामिल किए जा सकें। इस उद्देश्य के लिए गठित समूह में राज्यों/केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है ।
1.4 राज्यों के साथ सीएसओ के विभिन्न प्रभागों के समन्वय/संवाद में सुधार करना ।	• राज्य के डीईएस के साथ समन्वय को एनएसएसओ (एफओडी), राज्य की राजधानी के उप महानिदेशक के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए जिसे नियमित रूप से जानकारी दी जा सकती है। राज्य के डीडीजी से जानकारी प्राप्त करने और उनके साथ नियमित बैठक के लिए उपयुक्त निगरानी तंत्र गठित किया जाना चाहिए। एनएसओ के सभी प्रभागों को जानकारी राज्य की राजधानियों में एनएसएसओ (एफओडी) के निदेशकों के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए। • सभी प्रभाग उनसे संबंधित कार्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर राज्यों को सहायता की जरूरत पड़ती है और इसी के अनुसार प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित कर सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर के रूप में सहायता प्रदान कर सकते हैं, उप-योजनाओं का मसौदा तैयार कर सकते हैं । ।
1.5 जिला स्तरीय अनुमान तैयार करने के लिए राज्यों को मदद की व्यवस्था	• केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अनुमान उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रयास किए जाए । • केंद्र को राज्यों की क्षमता के विकास में उनकी मदद करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए । • केंद्र द्वारा अखिल भारतीय सर्वेक्षण कराए जाते हैं उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए ताकि जिला और यहां तक कि निचले स्तर के अनुमान उपयुक्त हों, इन्हें राज्यों द्वारा तैयार किया जा सके । • अनुमानों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए एनएसएस/एएसआई के केंद्र और राज्यों के नमूना आंकड़ों को एकत्र करने के लिए राज्यों को सक्षम बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।

1.6 स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, व्यापार, निर्माण आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सैटेलाइट अकाउंट को बढ़ावा ।	• सैटेलाइट अकाउंट्स तैयार करने पर कार्य की पहल करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों से निपट रहे मंत्रालयों के सामने मामलों को रखना । • इस तरह के कार्य के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में नियुक्त सांख्यिकीय परामर्शदाताओं को उत्तरदायी ठहराया जा सके । • विभिन्न क्षेत्रों के सैटेलाइट अकाउंट्स को तैयार करने के लिए जहां कहीं उपलब्ध नहीं है, सीएसओ द्वारा मार्गदर्शिका निर्धारित की जाए और आंकड़ों की आवश्यकता आदि के लिए इन्हें संबंधित सांख्यिकीय परामर्शदाताओं के साथ साझा किया जाए । • केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में संबंधित अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं।
1.7 उप-राष्ट्रीय स्तर की योजना के लिए ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर अनुमान लगाना/आंकड़े एकत्र करना ।	• ब्लॉक और पंचायत स्तर पर योजना के लिए आंकड़ों की जरूरत को समझने और एक प्रायोजित योजना के रूप में बीएसएलएलडी की योजना को सुनियोजित रूप से तैयार किये जाने की आवश्यकता है ।
1.8 गरीबी का अनुमान लगाने के लिए राज्यों हेतु आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।	• केंद्रीय प्रतिदर्श के लिए एनएसएस आंकड़े पहली रिपोर्ट के जारी होने के बाद या क्षेत्रीय कार्य पूरा होने के एक वर्ष बाद जो भी पहले हो, राज्यों को उपलब्ध कराए जाए । • केंद्र और राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्र करने के साथ संबंधित सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने सहित राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों के उपयोग के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई जाए ।
1.9 केंद्र शासित प्रदेशों तथा राज्यों के लिए अलग से एनएसएस आंकड़ें प्रकाशित करना ।	• केन्द्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए एनएसएस परिणामों को जारी करने के लिए कार्यविधि और प्रतिदर्श आकार आदि की जांच और इसे उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।
2. आंकड़ों की गुणवत्ता	
2.1 मंत्रालय के सभी सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना जैसे आईआईपी, एएसआई आंकड़ें ;	• **<u>आईआईपी</u>** • आईआईपी आंकड़ों की आंतरिक समरूपता का अध्ययन करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां आंकड़ों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है- फिर भले ही वह आंकड़ों के संग्रहण की समस्या हो या उपयोग से सम्बन्धित समस्या

	• गुणवत्ता सुधार के लिए प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण और सुधार किए गए आंकड़ों के प्रसंस्करण कार्यकलाप आदि जैसे कदम उठाना • समस्या वाले क्षेत्र को जानने के लिए आंकड़ा स्त्रोत एजेंसियों और आंकड़ों के उपयोगकर्ता के साथ नियमित बैठकों की एक प्रणाली विकसित करना • **<u>एएसआई</u>** • योजना के नियमित अपडेट के लिए राज्य की राजधनियों के डीडीजी के माध्यम से चीफ इंस्पेक्टर्स ऑफ फैक्ट्रीज (सीआईएफ) के साथ समन्वय में सुधार लाना • सैम्पल डिजाइन में सुधार लाने के लिए प्रणालीबद्ध अध्ययन करना • आंकड़ों के संग्रहण में क्षेत्रीय स्टाफ के लिए सशक्त प्रशिक्षण संचालित करना
2.2 राज्यों द्वारा प्रशासनिक आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करना;	• वार्षिक आधार पर प्राथमिक और आवश्यक प्रयासों के लिए कुछ आंकड़ों की पहचान की जा सकती है • प्रारूपों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, प्रसंस्करणों, कंप्यूटराजेशन आदि का निरीक्षण करने के उद्देश्य से केंद्रीय प्रशासनिक विकास, राज्य के डीईएस, राज्यों में लाइन विभाग और एनएसएसओ (एफओडी) के राज्य की राजधानी के उप महानिदेशक के तहत नियुक्त संबंधित सांख्यिकीय परामर्शदाताओं के संदर्भ में सभी साझेदारों की नियमित बैठकें आयोजित करना ।
2.3 अनुबंध पर नियुक्ति की बजाय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों को संचालित करने के लिए स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कदम उठाना;	• वास्तविक आवश्यकताओं को देखते हुए अन्वेषक के पद हेतु आरआरएस में संशोधन किया जाए ताकि पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो और तदनुसार भर्ती की जाए । • क्षेत्रीय स्तर पर स्थायी स्टाफ की भर्ती के वैकल्पिक तरीके निकाले जाए तथा डीओपीटी और एसएससी को एसएसएस स्टाफ की भर्ती हेतु विशेष प्रणाली के लिए मंजूर किया जाए ।
2.4 एएसआई ढॉचे को अपडेट रखने के उपाय निकालना;	• यथा उपरोक्त 2.1 के अनुसार
2.5 विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकीय लेखा परीक्षा कराना ।	• इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त संस्थानिक कार्य ढॉचा विकसित किया जाना चाहिए; • सांख्यिकीय लेखा परीक्षा के लिए विधिवत् प्रक्रिया का विस्तार एवं मानकीकरण किया जाना चाहिए; • विषय विशिष्ट लेखा परीक्षकों की एक टीम तैयार की जानी चाहिए; • सांख्यिकीय लेखा परीक्षा के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए, और प्रायोगिक आधार पर तुरंत कुछ मामलों को लिया जाना चाहिए ।

3. समय-सीमा में सुधार	
3.1 मासिक संकेतक/रिपोर्ट एक माह से कम समय सीमा के अंतराल के अंदर जारी की जानी चाहिए ।	• जैसा कि स्त्रोत एजेंसियों से आंकड़ों की समय पर उपलब्धतता उन्हें समय पर जारी करने में एक प्रमुख बाधा है, अत: अप्राप्त जानकारी को भरने की प्रक्रिया स्पष्ट हो ताकि एक माह की अधिकतम समय-सीमा को कम किया जा सके । • स्त्रोत एजेंसियों द्वारा आंकड़ों को समय से उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को लागू किया जाना चाहिए और मंत्रालयों/विभागों में पदासीन सांख्यिकीय परामर्शदाताओं को उक्त प्रयोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाना चाहिए ।
3.2 तिमाही संकेतक/रिपोर्ट तीन महीने से कम समय अंतराल में जारी की जानी चाहिए ।	
3.3 वार्षिक संकेतक/रिपोर्ट एक वर्ष से कम समय सीमा के अंदर जारी की जानी चाहिए ।	
3.4 सभी सर्वेक्षणों की रिपोर्ट जैसे एनएसएस सामाआर्थिक सर्वेक्षण, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक गणना आदि को क्षेत्रीय कार्य के पूरा होने के बाद एक वर्ष की अधिकतम अवधि में जारी किया जाना चाहिए ।	• डीपी केंद्रों में अनुसूचियों की प्राप्ति के लिए एक समय-सूची, डीपी केंद्र द्वारा आंकड़ों के उपयोग व रिपोर्टों के मसौदे के लिए एसडीआरडी की आपूर्ति और वार्षिक कार्य योजना के हिस्से के रूप में इसे बाध्य रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए ।
3.5 क्षेत्रीय स्तर के पूरा होने के एक वर्ष बाद रिपोर्टों के आने की उम्मीद की जाती है । इकाई स्तर के आंकड़ों को भी क्षेत्रीय कार्य पूरा होने के एक वर्ष के अंदर, जो भी पहले हो, जारी किये जाने चाहिए ।	• यूनिट स्तर के आंकड़े पहली रिपोर्ट के प्रकाशित होने के उपरांत अथवा क्षेत्र कार्य के पूरा होने के एक वर्ष के अंदर, जो भी पहले हो, जारी किए जाने चाहिए ।
3.6 वर्ष के आंरभ में सभी	• विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़े/रिपोर्ट/प्रकाशन जारी किये गये

रिपोर्टों/प्रकाशन/आंकड़े समूहों को जारी करने के लिए सभी प्रभागों द्वारा एक कैलेंडर निकाला जाए और उसे एमओएसपीआई की वेबसाइट में अपलोड किया जाना चाहिए ।	केलेंडर सभी को सांख्यिकीय रिपोर्टों इत्यादि के उद्देश्य से तैयार किया जाना चाहिए और विभिन्न मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों में पदासीन सांख्यिकीय परामर्शदाताओं के परामर्श में आम सहमति से समय-सारणी बनाई जाए और इसे कड़ाई से लागू किया जाए ।
3.7 वर्ष के जुलाई माह से प्रारंभ एनएसएस सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों की प्रतिदर्श सूची सभी संबंधितों को निश्चित रूप से जून तक उपलब्ध कराई जानी चाहिए, यदि पहले न हो तो ।	• एनएसएसओ को राज्य सरकारों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रतिदर्श सूची, फ्रेम, अनुसूचियों, निर्देशों आदि को उपलब्ध कराने के लिए एक केलेंडर तैयार करना चाहिए और साथ ही उसे बाध्य रूप से लागू करना चाहिए ।
3.8 एक वर्ष हेतु राष्ट्रीय लेखों के अंनतिम एवं अंतिम नतीजे अधिकतम 18 महीने की समय-अवधि के अंदर उपलब्ध कराये जाए ।	• सीएसओ को 18 माह की अवधि को बाध्य रूप से पूरा करने के लिए प्रक्रियाओं की जांच करनी चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए ।
नये आंकडों का समूह	
4.1 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी;	• सांकेतिक सूची केवल वर्तमान और सूचक सूची है। उभरते मामलों को ध्यान में रखते हुए इसे समय-समय पर अपडेट किए जाने की आवश्यकता है ।
4.2 वितरक व्यापार;	• आंकड़ों के नए समूहों के निर्माण के लिए एक नीति विकसित की जानी चाहिए। इसमें नए आंकड़े समूहों को तैयार करने की आवश्यकता शामिल की जानी चाहिए, यह कार्य एओबीआर के अनुसार एनएसओ या

4.3 अंतरराष्ट्रीय व्यापार सेवाएं; 44 घरेलू सेवा क्षेत्र; 4.5 वार्षिक आधार पर रोजगार-बेरोजगारी तथा वेतन सांख्यिकी;	अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाएगा । • नए आंकड़े समूहों के निर्माण के लिए एक सुस्थापित तंत्र होना चाहिए। नए आंकड़ों को जारी करने की प्रक्रियाओं को प्रणाली, परिभाषा/अवधारणा, संस्थानिकीरण, वैधता, अंकेक्षण आदि के द्वारा अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ।
4.6 तिमाही आधार पर अर्थव्यवस्था के स्तर पर व्यापी टर्नओवर सूचकांक;	
4.7 बड़े उद्यमों का राष्ट्रीय व्यवसाय पंजीकरण 4.8 नियमित आधार पर किसानों की परिस्थिति; 4.9 भारत में बुजुर्गों की दशा का मूल्यांकन; 4.10 भारत में अपराध की स्थिति; 4.11 बाल मजदूरी; 4.I2 व्यवसाय का वार्षिक सर्वेक्षण (निर्माण एवं गैर-निर्माण क्षेत्र दोनों को शामिल करते हुए वर्तमान उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के विपरीत) 4.13 बागवानी सांख्यिकी	

4.14 निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण	
एनएसओ की समन्वय भूमिका	
5.1 भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा उत्पादित आंकड़ों के आवधिक पुनरीक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित करना;	• भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों में पदासीन सांख्यिकीय सलाहकारों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित करना; • विषय विशिष्ट अंकेक्षकों के सहयोग से उत्पादित आंकड़ों का पुनरीक्षण • लेखा परीक्षकों की सिफारिशों की निगरानी के लिए एक तंत्र का गठन ।
5.2 राज्य/केंद्र मंत्रालयों तथा अन्य साझेदारों के साथ संवाद कायम करना;	• सीएसओ एवं एनएसएसओ के प्रत्येक प्रभाग को नियमित आधार पर राज्य के डीईएस के साथ परस्पर संवाद की नीति बनाई जाए; • राज्य की राजधानियों में पदासीन उप महानिदेशकों को समन्वय संबंधी मामलों की पुनरीक्षा के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर निदेशक एवं डीईएस के साथ नियमित रूप से जैसे पंद्रह दिन में एक बार बैठक का आयोजन करना चाहिए ।
5.3 अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बढ़ाना ।	• प्रभागवार संपर्क की अपेक्षा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क कायम करने के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाना चाहिए; • एनएसओ के अधिकारियों को सर्वोत्तम कार्यकलापों को सीखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठनों में नियुक्त किया जाए ।
5.4 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य के डीईएस को आदर्श परिभाषाएं, अवधारणाएं एवं कार्यप्रणाली उपलब्ध कराना;	• विभिन्न विषयों पर, पहले से ही निर्धारित नियम-पुस्तिकाओं को तैयार करने का कार्य समयबद्ध प्रणाली के तहत पूरा किया जाना चाहिए । • नये विषयों पर पुस्तिकाएं तैयार की जाए और इन्हें केंद्र/राज्य एजेंसियों में वितरित करना चाहिए ।
5.5 आंकड़ों के महत्वता के बारे में जागरूकता लाने तथा सांख्यिकीय कार्मिक एवं सांख्यिकीय संगठन दोनों की छवि में	• सांख्यिकीय सूचना का प्रत्येक भाग को बड़े स्तर पर प्रकाशित किया जाना चाहिए; • संबंधित अधिकारियों को आंकड़ों के विश्लेषण तथा स्पष्ट रिपोर्टों/नोट्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसे जनहित में प्रेरित करने हेतु पर्याप्त रूप से प्रसारित किया जाए ।

सुधार लाने के लिए स्पष्टता में सुधार हेतु उपयुक्त नीतियों का विकास करना;	इसके लिए चैनल्स जैसे वेबसाइट, प्रिंट मीडिया, न्यूजलेटर इत्यादि को प्रयोग में लाया जाए । • सांख्यिकीय अधिकारियों को देश के अंदर अकादमिक सम्मेलनों तथा समारोहों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए । • प्रत्येक सांख्यिकीय उत्पाद को जनता में जारी करने के लिए आंकड़े प्रसार प्रणाली के तहत एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में उपयुक्त प्रचार-प्रसार के उपाय अपनाये जाने चाहिए ।
5.6 एनएसओ/केंद्रीय सरकार से राज्य के डीईएस तथा इसके विपरीत: कर्मियों के आदान-प्रदान करने के लिए प्रणाली का निर्माण करना ।	• सीओसीएसएसओ जैसे मंच पर इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाए तथा तदनुसार सेवा नियमों के तहत उपयुक्त संशोधन किये जाने चाहिए ।
5.7 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा सभी सांख्यिकीय मामलों में राज्य के डीईएस की भागीदारी होनी चाहिए ।	• इस दिशा में पहला कदम, राज्यों में सामान्य सांख्यिकीय संवर्ग होने का मामला राज्यों के साथ एनएसओ द्वारा काफी प्रयासों के बाद अपनाया गया है इनका आवश्यक रूप से पालन किया जाना चाहिए
केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य के डीईएस की तुलना में एनएसओ की भूमिका	
6.1 एमओएसपीआई की भूमिका सलाहकार, मानदंडों का निर्धारण, समन्वय, लेखा परीक्षा/गुणवत्ता की जॉच करने तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने वाली होनी चाहिए ।	• एनएसओ को तकनीकी मामलों पर सलाह देने एवं समन्वय को सक्षम बनाने के लिए विशिष्ट संबद्ध क्षेत्रों में क्षमता विकास एवं विशेषज्ञता को बढ़ावा देना चाहिए । • एनएसओ को अपने कार्य को विषयवार व्यवस्थित करना चाहिए ताकि तकनीकी विशेषज्ञता विकसित की जा सके और इसका रखरखाव किया जा सके ।
6.2 एनएएसए के माध्यम से राज्य/केंद्रीय सांख्यिकीय कार्मिकों की क्षमता का विकास करना ।	• एनएएसए को राज्य/केंद्रीय सांख्यिकीय अधिकारियों की विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करना ।

II कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) आईपीएमडी

नीतियां	नीतिगत पहलों का विवरण
1. केंद्रीय राज्य स्तर पर अंतर-मंत्रालयी समस्याओं के समाधान के लिए अधिक सरल उपाय सुझाना ।	-अंतर-मंत्रालयी तथा राज्य स्तर की परियोजनाओं का ब्यौरा प्रदान करने के लिए परियोजना उद्यमों को प्रोत्साहित करना । -एमओएसपीआई स्तर पर हस्तक्षेप हेतु नोट्स तैयार करना । समाधान न होने पर, मामले को सीओएस तथा पीएमओ तक ले जाना ।
2. वर्गीय मामलों से निपटने के लिए व्यवस्थित सुधार लाना	-हर तरह के वर्गीय मामलों एवं समस्याओं हेतु प्रणाली के दोषों का विश्लेषण करने के लिए वर्गीय मतभेद वाले मुद्दों पर सूचना एकत्र करना -इस प्रकार के जटिल विषयों को निपटाने के लिए क्षमता का विकास करना -संबंधित एजेंसियों तथा परियोजना समर्थकों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श करना - कुछ विशेष समस्याओं से निपटने के लिए सुझावों के साथ दृष्टि पत्र तैयार करना -इन मुद्दों पर सीओएस/कैबिनेट के विचारार्थ नोट तैयार करना
3. साझेदारों के साथ मिलकर एक जानकारी (फीडबैक) प्रणाली तैयार करना	-वर्तमान प्रणाली का पुनरीक्षण करना -एक नयी प्रणाली का विकास करना अथवा मौजूदा प्रणाली में संशोधन करना -प्रणाली के संचालन के लिए उठाए जाने वाले कदम
4. परियोजना के निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करना	-अनुमोदन के स्तर पर कमियों का बाध्य रूप से मूल्यांकन करना -सभी मुद्दों और बाध्यताओं को दूर करना -परियोजना के जोखिम का मूल्यांकन तथा उनका प्रस्ताव
5. रिपोर्टिंग के समय अंतराल को कम करना	-भरपूर उपयोग के लिए ओसीएमएस यूजर्स को पर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना -समयबद्ध ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए सभी परियोजना को निरंतर रूप से स्मरण पत्र भेजना

6. पीपीपी परियोजनाओं का निरीक्षण	-सरकार के आदेश प्राप्त करना
7. राष्ट्रीय परियोजनाओं का विशेष निरीक्षण	-इन परियोजनाओं के कार्य निष्पादन का विस्तृत विश्लेषण
8. परियोजना प्रबंधन कार्यकलापों को मजबूत बनाना	दृष्टि पत्र तैयार करना । एचआरडी एवं डीओपीटी के मंत्रालय से परामर्श करना । गणना पर आधारित, योजना पद्धति का विकास
9. क्षमता विकास	-स्टाफ की स्थिति का पुनरीक्षण तथा तकनीकी अधिकारियों के रिक्त पदों को भरना -विशेष एजेंसियों/विशेषज्ञों की नियुक्ति पर विचार करना तथा इन नीतियों पर कार्य करने के लिए परामर्शकों की नियुक्त करना -कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता और इनकी कौशल क्षमता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना

(ii) एमपीलैड

	नीतिगत पहलुओं का विवरण
(i) नीति संबंधी सहयोग प्रदान करना तथा एमपीलैड दिशा-निर्देशों का पुनरीक्षण	• साझेदारों के साथ नियमित परामर्श करना • विचार एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए लोकसभा तथा राज्य सभा समितियों के साथ बातचीत करना • कार्यान्वयन का नियमित पुनरीक्षण कराना तथा राज्य/जिला अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करना कार्यान्वयन पर निरीक्षण रिपोर्टों से जानकारी
धन समय से जारी करना क) जिला प्राधिकरणों से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त करना ख) धन का तेजी से स्थानांतरण	• धन जारी करने के लिए दस्तावेजों का समय से प्रस्तुतिकरण हेतु प्रणाली/तंत्र की स्थापना • जिला अधिकारियों द्वारा मासिक प्रगति रिपोर्ट को ऑनलाइन डालने को बढ़ावा

	• धन के ई-स्थानांतरण का प्रचालन
योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उचित निगरानी तंत्र तय करना	• जिला/राज्य स्तर पर नियमित पुनरीक्षण तथा दौरों का जिम्मा लेना • राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ अखिल भारतीय पुनरीक्षण बैठक का आयोजन स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से देश के विभिन्न जिलों में प्रत्यक्ष निरीक्षण कराना
ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम प्रणाली में सुधार करना	• व्यय एवं वास्तविक उपलब्धि से संबंधित तीव्र एवं सही आंकड़े प्रदान करने के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट की ऑनलाइन प्रस्तुति • प्रकाशन, मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा कार्य निरीक्षण योजना के लिए कार्य निरीक्षण योजना एकीकृत सॉफ्टवेयर का संपूर्ण एवं सही विवरण
एमपीलैड परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का रखरखाव	• गुणवत्ता के लिए प्रणाली को सख्ती से लागू करना • तृतीय पक्ष गुणवत्ता निरीक्षण का जिम्मा लेना • एमपीलैड के तहत सृजित परिसंपत्तियों का रखरखाव
राज्य/जिला अधिकारियों के एमपीलैड दिशानिर्देशों पर प्रशिक्षण	• राज्य/जिला अधिकारियों के एमपीलैड दिशानिर्देशों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम कराना

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

नीतियां	**नीतिगत पहलों का विवरण**
टीपीपी-06 का प्रभावी निरीक्षण	• राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मासिक सूचना का समय से प्रस्तुतिकरण • सूचना का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण • राज्य स्तर पुनरीक्षण समिति द्वारा मासिक रिपोर्ट का पुनरीक्षण • साझेदारों के साथ नियमित परामर्श तथा पुनरीक्षण बैठकें आयोजित करना • अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे
सुधार के लिए निवारण उपायों पर सुझाव देना	• प्राप्त सूचना का संकलन तथा विश्लेषण • असंतोषजनक प्रदर्शन के कारणों का मूल्यांकन करना तथा सभी संबंधितों को जानकारी देना

टीपीपी-06 के अंतर्गत शामिल विभिन्न मदों के प्रभाव का आकलन करना	• स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से प्रभावित मूल्यांकन अध्ययनों का संचालन • अन्य विभाग द्वारा संचालित किसी भी समान प्रकार के अध्ययनों के बारे में सूचना एकत्र करना
परिणामोन्मुखी लक्ष्य	• योजना के कार्यक्षेत्र का मूल्यांकन तथा प्रत्येक वर्ष के लिए लाभार्थियों की संख्या का आकलन • लाभों के आकलन सहित लक्ष्यों को निर्धारित करना ।
अर्ध-वार्षिकी पुनरीक्षण रिपोर्ट	• केंद्रीय नोडल मंत्रालयों एवं राज्यों से अर्ध-वार्षिकी प्रगति रिपोर्ट एकत्र करना
लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा करना	• लक्ष्यों का समय से पूरा करने के लिए केंद्रीय नोडल मंत्रालय को सहमत करना
स्टाफ का तकनीकी कौशल	• स्टाफ के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण
जिला स्तर पर योजना का असंतोषजनक संचालन	• जिला स्तर पर राज्य सरकारों को प्रभावी नियंत्रण बनाने के लिए तैयार करना
लक्ष्य निर्धारण की विधि	• आवश्यकता आधारित लक्ष्य निर्धारण
अपर्याप्त मानव शक्ति	• टीपीपी प्रभाग के लिए अतिरिक्त मानव शक्ति
बाहरी एजेंसी के रूप में टीपीपी प्रभाग	• एमओएसपीआई के टीपीपी प्रभाग को कार्यक्रम में एक सहभागी के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा ।

3ख हम अपने साझेदारों को किस प्रकार नियुक्त करेंगे ।

1. एनएसओ

साझेदार (2ख से)	**प्रशन जो हमें पूछने चाहिए**	**पारस्परिक मेलजोल के तरीके**	**कब**	**इसे करने के लिए कौन उत्तरदायी होंगे**
अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, अनुसंधान संस्थान, व्यक्तिगत	• कार्यप्रणालियों में किस प्रकार के पुनरीक्षण/सुधार	1. बैठकें 2. सम्मेलन	वार्षिक अथवा द्वि-वार्षिक	एनएसओ के संबंधित विषय मामले प्रभाग

अनुसंधानकर्ता	की आवश्यकता है; • एकत्रित किए गए आंकड़ें तथा आंकड़ों की गुणवत्ता से संबंधित जानकारी को किस प्रकार मजबूत किया जाए; • राष्ट्रीय हित में अनुसंधानकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करना	3. समितियां 4. अध्ययन दौरे		
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों	• कार्यप्रणालियों में किस प्रकार के पुनरीक्षण/सुधार की आवश्यकता है; • किस प्रकार के मुख्य आंकड़ों की आवश्यकता है; • कृपया अपनी प्रशासनिक समस्याएं, आंकड़े उत्पादन/प्रसार के बारे में बताएं ।	1. सांख्यिकीय सलाहकारों के साथ बैठकें 2. केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठनों का सम्मेलन	• वार्षिक आधार पर सम्मेलन • द्वि-वार्षिक आधार पर बैठकें	केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ)
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	• कार्यप्रणालियों में किस प्रकार के पुनरीक्षण/सुधार की आवश्यकता है; • किस प्रकार के मुख्य आंकड़ों की आवश्यकता	1. सांख्यिकीय सलाहकारों के साथ बैठकें 2. केंद्रीय तथा राज्य सांख्यिकीय संगठनों का	वार्षिक/द्वि-वार्षिक/तिमाही	एनएसओ

	है; • कृपया अपनी प्रशासनिक समस्याएं, आंकड़े उत्पादन/प्रसार के बारे में बताएं । • आंकड़ों के क्षेत्र से संबद्ध आपकी वित्तीय बाधाएं क्या हैं तथा इसका आंकड़े संग्रहण, उपयोग तथा आंकड़ों के समूह का प्रसार करने में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है	सम्मेलन 3. एनएसओ के संबद्ध विषय अधारित प्रशासनिक प्रभागों के साथ बैठकें 4. सम्मेलन, कार्यशालाएं इत्यादि		
उद्योग/व्यापार संघ तथा स्थापनाएं	आंकड़े उपलब्ध कराने में ये किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं; ये हमारे आंकड़ों का उपयोग किस प्रकार करते हैं ।	-- विभिन्न स्तरों पर आंकड़े उपयोगकर्ताओं का समय-समय पर सम्मेलन कराना ; -- विज्ञापन एवं प्रचार -- कार्यशालाएं आयोजित करना	वार्षिक	एनएसओ
जनता/नागरिक	आंकड़े उपलब्ध कराने में ये किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं;	--आंकड़े उपयोगकर्ताओं का सम्मेलन; -- प्रिंट इलैक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन -- कार्यशालाएं	वार्षिक	एनएसओ
अकादमिक संस्थान, अनुसंधान संगठन, निजी	■ कार्यप्रणालियों इत्यादि को विकसित करने में ये	■ बैठकें ■ सम्मेलन	वार्षिक/द्वि-वार्षिक	एनएसओ

निकाय संगठन	किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं; ■ प्रणाली द्वारा उपलब्ध आंकड़ों पर ये किस प्रकार अधिक प्रभावी जानकारी दे सकते हैं; ■ क्या इन्हें किसी विशेष आंकड़ों की आवश्यकता होती है; ■ क्या इन्हें प्रशिक्षण इत्यादि द्वारा किसी विशेष सहयोग या समर्थन की आवश्यकता होती है ।	■ समितियां ■ सेमिनार/कार्यशालाएं		
एनजीओ	• आंकड़े एकत्र करने में सहायता	• बैठकें • सम्मेलन • सेमिनार/कार्यशालाएं	वार्षिक/द्वि-वार्षिक	एनएसओ
सर्वेक्षण/जनगणना सहित सांख्यिकीय कार्य पूरा करने में शामिल अधिकारी	ईमानदारी के साथ अपना कार्य करना; समस्याएं, मामले	■ स्टाफ बैठकें ■ कार्य निरीक्षण	तिमाही/द्वि-वार्षिक	एनएसओ
सार्वजनिक	सूचना प्रदान करने में सहयोग	• प्रिंट/इलैक्ट्रोनिक मीडिया • घर-घर जाकर सम्पर्क	• वार्षिक • घरेलू सर्वेक्षणों के	एनएसओ

			संचालन के दौरान	
विभिन्न समितियों में प्रतिष्ठित व्यक्ति	• शीघ्रता से निर्णय लेने में सहयोग • सर्वेक्षण साधनों की यथार्थता, विषयानुकूलता तथा सुसपष्टता सुनिश्चित करना ।	• बैठकें • सम्मेलन • कार्यशालाएं/सेमिनार	• नियमित	एनएसओ
योजना आयोग	• आंकड़ों में गैप तथा नये उभरते क्षेत्रों का फीडबैक देना जहां सरकार के अंतर्गत योजना और नीति निर्माण के लिए आंकड़ों की आवश्यकता है ।	• बैठकें • सम्मेलन	• नियमित	एनएसओ

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन

I. आईपीएमडी

साझेदार (2ख से)	प्रशन जो हमें पूछने चाहिए	पारस्परिक मेलजोल के तरीके	कब	इसे करने के लिए कौन उत्तरदायी होंगे
बुनियादी ढॉचा मंत्रालय (वर्तमान में 16)	(i) हम गुणवत्ता सूचना के प्रसार में किस प्रकार सुधार कर सकते हैं ? (ii) अंतर-मंत्रालयी समस्याओं	-वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें -लिखित संप्रेषण -राष्ट्रीय परामर्श	-प्राय: -प्रत्येक माह	मंत्रालय पदाधिकारी

	के सकंल्प को किस प्रकार गति सकते हैं ? (iii) राज्य स्तर की समस्याओं के निवारण के लिए हम किस प्रकार से एक सामान्य प्रणाली का सृजन तथा इसका उपयोग कर सकते हैं?	-श्रमबल	छ: माह में एक बार	
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	(i) आपकी क्या समस्याएं हैं? (ii) मंत्रालय इनके लिए क्या कर सकता है? (iii) हम जटिल समस्याओं को किस प्रकार सुलझा सकते हैं?	-पत्र -उनसे पुनरीक्षण प्रक्रिया के माध्यम से -राष्ट्रीय विचार-विमर्श में आमंत्रित करके	प्राय: -प्रत्येक माह -छ: माह में एक बार	मंत्रालय पदाधिकारी
प्रधानमंत्री का कार्यालय	-विशेष सूचना संबंधी आवश्यकता के लिए पूछना -इस मंत्रालय को सशक्त कैसे किया सकता है?	सचिव स्तर की बैठक के माध्यम से	समय-समय पर	सचिव/वरिष्ठ अधिकारी
कैबिनेट सचिव	-विशेष सूचना संबंधी आवश्यकता के लिए पूछना -इस मंत्रालय को सशक्त कैसे किया सकता है?	सचिव स्तर की बैठक के माध्यम से	समय-समय पर	सचिव/वरिष्ठ अधिकारी
वित्त मंत्रालय (पीएफ-II)	क्या शासकीय स्तर पर निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन पर्याप्त है ?	बैठक	समय-समय पर	सचिव/वरिष्ठ अधिकारी

योजना आयोग	पूछना कि क्या उपलब्ध करायी गई सूचना पर्याप्त है ? क्या आईपीएमडी योजना कार्यान्वयन को सरल बना सकती है ?	बैठक	समय-समय पर 12वीं योजना तैयार करने के दौरान	सचिव/वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर
निर्माण उद्योग प्रतिनिधि	हमें निर्माण उद्योग की क्षमता और निष्पादन को सुधारने के लिए किन क्षेत्रों पर विचार करने की आवश्यकता है?	बैठक	समय-समय पर	अधिकारी स्तर पर
प्रशिक्षण संस्थान एवं संस्थाएं	परियोजना प्रबंधन ज्ञान को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है?	बैठक राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श	समय-समय पर	अधिकारी स्तर पर
आपूर्तिकर्ता एवं वेंडर्स	आपकी समस्याएं क्या हैं? समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय है?	बैठक राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श	समय-समय पर	अधिकारी स्तर पर
संसद/विधायिका के सदस्य	हम समस्याओं के निवारण के लिए इनकी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं?	बैठक परामर्श	समय-समय पर	मंत्री/सचिव वरिष्ठ स्तर
व्यवसायिक संस्थान जैसे आईआईटी/आईआईएम	हम परियोजना प्रबंधन स्रोतों का विस्तार किस प्रकार कर सकते हैं?	बैठक परामर्श	समय-समय पर	अधिकारी स्तर पर

(ii) एमपीलैड

साझेदार (2ख से)	प्रशन जो हमें पूछने चाहिए	पारस्परिक मेलजोल के	कब	इसे करने के लिए कौन उत्तरदायी

		तरीके		**होंगे**
संसद के सदस्य	क्या इनके पास बेहतर कार्यान्वयन/नीति परिवर्तन हेतु कोई सुझाव है क्या योजना के कार्यान्वयन में कोई देरी/अनियमितताएं हैं	लोकसभा और राज्यसभा समितियों के पत्राचार और बैठकों के माध्यम से । इनके कार्यों की प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर बैठकें	नियमित राज्य स्तर पर वर्ष में एक या दो बार तथा कम से कम तीन माह में एक बार, यदि जिला स्तर पर एक माह में न हो ।	बैठकों के लिए लोकसभा और राज्यसभा समितियां एवं पत्र-व्यवहार के माध्यम से सुझाव प्राप्त करने के लिए मंत्रालय उत्तरदायी होंगे राज्य और जिला प्राधिकरण
जिला प्राधिकरण	• कार्यान्वयन की स्थिति • कार्यान्वयन में आने वाली समस्याएं तथा बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव	• मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से, • बैठकों का पुनरीक्षण एवं क्षेत्रीय दौरे • स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष निगरानी • राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श	दिशा-निर्देशों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श जब आवश्यकता हो तथा अन्यों के लिए आवधिक रूप से	एमपीआर रिपोर्ट तथा एमओएसपीआई हेतु जिला प्राधिकरण
राज्य नोडल विभाग	• इनके राज्यों में कार्यान्वयन की स्थिति • जिला प्राधिकरणों द्वारा बेहतर कार्यान्वयन के लिए नीति परिवर्तन/दिशा-निर्देश हेतु	• अखिल भारतीय पुनरीक्षण बैठकें • राज्य पुनरीक्षण • राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श	आवधिक आवधिक दिशा-निर्देशों के संशोधन पर	मंत्रालय मंत्रालय मंत्रालय

	सुझाव • इनके संबद्ध राज्यों में कार्यान्वयन का पुनरीक्षण	• जिला प्राधिकरणों सहित राज्य-स्तर पुनरीक्षण	एक बार आवधिक	राज्य सरकारें
कार्यान्वयन एजेंसियां	• कार्यों के कार्यान्वयन की स्थिति	• जिला प्राधिकरणों द्वारा बैठकों का पुनरीक्षण • जिला प्राधिकरणों द्वारा क्षेत्रीय दौरे/निरीक्षण	• मासिक (तीन माह में कम से कम एक बार) • जिला अधिकारी ट्रस्ट/सोसाइटियों के सभी कार्यों के निरीक्षण सहित प्रति वर्ष कार्यान्वयन के तहत आने वाले कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों का निरीक्षण करेंगे	जिला प्राधिकरण

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

साझेदार (2ख से)	प्रशन जो हमें पूछने चाहिए	पारस्परिक मेलजोल के तरीके	कब	इसे करने के लिए कौन उत्तरदायी होंगे
केंद्रीय नोडल मंत्रालय	• निगरानी में सुधार करने के लिए सुझाव • बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझाव	सामान्य पत्राचार तथा बैठकों का पुनरीक्षण	नियमित	टीपीपी प्रभाग तथा केंद्रीय नोडल मंत्रालय

राज्य सरकारें	• मॉनीटरिंग में सुधार करने के लिए सुझाव • असंतोषजनक निष्पादन के कारण • प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में अंतर के कारण तथा सूचना प्रदान करने मे देरी	-वही-	नियमित	टीपीपी प्रभाग तथा राज्य सरकार
जिला प्रशासन	• असंतोषजनक निष्पादन के कारण	राज्य सरकार के माध्यम से	नियमित	टीपीपी प्रभाग तथा राज्य सरकार
लाभार्थी	• क्या योजना के इच्छित लाभ मिल रहे हैं • योजना के सुधार के लिए सुझाव	मूल्यांकन अध्ययन	जब आवश्यक हो	टीपीपी प्रभाग
जन सामान्य	• योजना का सामान्य कार्य निष्पादन • योजना में संशोधन	पत्रों एवं ई-मेल के माध्यम से प्राप्त जनता की प्रतिक्रिया और जनता के प्रतिनिधियों के विचार	नियमित	टीपीपी प्रभाग

3ग हम अपने ज्ञान और क्षमता में बढ़ोतरी किस प्रकार कर सकते हैं?

1. **एनएसओ**

हमें क्या सीखने की आवश्यकता है (2 घ से)	**हम कहॉ से और किसके द्वारा सीख सकते हैं**	**हम इसे कैसे आयोजित करेंगे**	**कौन उत्तरदायी है**

1. आंकड़ों के संग्रहण तथा प्रचार में अंतरराष्ट्रीय कार्यकलापों का प्रदर्शन	विश्व में जैसे यूरोस्टेट, ओईसीडी, स्टेट कनाडा, यूएनएसडी आदि में सर्वोत्तम सांख्यिकीय योजना ।	• इनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, प्रदर्शन/अध्ययन दौरों के 1-2 हफ्तों के लिए कम से कम 1 साल तक अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करना; • बातचीत, व्याख्यान इत्यादि के लिए ऐसी प्रणालियों से विशेषज्ञों को आंमत्रित करना ।	एनएएसए, सीएसओ
2. साझेदारों के साथ समन्वय में सुधार और उनका विनियोजन	इस दस्तावेज में कही भी निर्दिष्ट सभी साझेदार	• साझेदारों के साथ खुला सत्र का आयोजन • एनएसएस रिपोर्ट के जारी करने के समय वार्षिक आधार पर डाटा यूजर्स सम्मेलन का आयोजन • नियमित बैठकों का आयोजन • निर्णय लेने की प्रक्रिया में साझेदारों की भागीदारी	एनएसओ
3. संप्रेषण एवं प्रस्तुतिकरण कौशल	प्रबंधन विशेषज्ञ	• एक विशिष्टीकृत मॉडयूल का विकास करना तथा एनएएसए में नियमित कोर्स संचालित करना • अधिकारियों को प्रबंधन संस्थानों में प्रतिनियुक्त करना	एनएएसए, सीएसओ
4. अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों	• अंतरराष्ट्रीय कार्यकलाप	• संबंधित साहित्य उपलब्ध	सीएसओ

के सैटेलाइट अकाउंट्स	• संबंधित यूएन एजेंसियां	कराना • कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करना	
5. आंकड़ों के प्रसार में समय अंतराल को कम करना	• अंतरराष्ट्रीय कार्यकलाप	• सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय कार्यकलापों को अपनाना • अंतरराष्ट्रीय साहित्य उपलब्ध कराना • आईटी उपकरणों का उपयोग • प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	सीएसओ
6. महत्वपूर्ण सांख्यिकीय कार्यकलापों का दस्तावेजीकरण	• विशेषज्ञ	• विशेषज्ञों को नियुक्त करना	सीएसओ
7. आंकड़ों के उपयोग हेतु आधुनिक सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर का विश्लेषण	• विशेषज्ञ	• कंप्यूटर सेंटर/एनएएसए में प्रशिक्षण का संचालन	कंप्यूटर सेंटर, सीएसओ

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) आईपीएमडी

हमें क्या सीखने की आवश्यकता है (2 घ से)	**हम कहॉ से और किसके द्वारा सीख सकते हैं**	**हम इसे कैसे आयोजित करेंगे**	**कौन उत्तरदायी है**
मौजूदा बुनियादी ढॉचा परियोजनाओं से संबंधित कार्य	कोयला, जल संसाधन, रेलवे, विद्युत जैसे मुख्य मंत्रालय	बैठकें, संपर्क	आईपीएमडी अधिकारी
कार्यान्वयन के अंतर्गत आने वाली बुनियादी ढॉचा परियोजनाओं से संबंधित जानकारी	कोयला, जल संसाधन, रेलवे, विद्युत जैसे मुख्य मंत्रालय	बैठकें, संपर्क	आईपीएमडी अधिकारी

परियोजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए विभिन्न साझेदारों की भूमिका	सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन चरण पर प्रत्येक परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियां	बैठकें, संपर्क	आईपीएमडी अधिकारी
सूत्रीकरण, मूल्यांकन तथा मंजूरी हेतु क्षेत्र विशिष्ट प्रक्रियाएं	सभी संबंधित मंत्रालयों से	बैठकें, संपर्क	आईपीएमडी अधिकारी
संविदा प्रबंधन तथा प्रशासन	सीआईडीसी तथा मुख्य निर्माण प्लेयर्स	बैठकें, संपर्क	आईपीएमडी अधिकारी

(ii) एमपीलैड

हमें क्या सीखने की आवश्यकता है (2 घ से)	**हम कहॉ से और किसके द्वारा सीख सकते हैं**	**हम इसे कैसे आयोजित करेंगे**	**कौन उत्तरदायी हैं**
निगरानी/धन जारी करने से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग/प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण	मंत्रालय का एनआईसी एवं महालेखा नियंत्रक (सीजीए)	आंतरिक बैठकें/कार्यशालाएं	मंत्रालय
लेखा-परीक्षा प्रमाणपत्रों की बेहतर संवीक्षा के लिए तुलन-पत्रों/आय-व्यय विवरणों की प्रारंभिक समझ हेतु प्रशिक्षण/अनुभव	इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई)	बैठकें/कार्यशालाएं	मंत्रालय
क्षेत्रीय स्तर के कार्यकलापों का ज्ञान तथा बुनियादी स्तर पर की जाने वाली कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली	जिला प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारी	पुनरीक्षण बैठकें एवं क्षेत्रीय दौरे	मंत्रालय

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

हमें क्या सीखने की आवश्यकता है (2 घ से)	**हम कहॉ से और किसके द्वारा सीख सकते हैं**	**हम इसे कैसे आयोजित करेंगे**	**कौन उत्तरदायी है**
आईटी विषयों पर स्टाफ का प्रशिक्षण	एमओएसपीआई का एनएएसए और	प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करना	टीपीपी प्रभाग

	एनआईसी		
टीपीपी के कार्यान्वयन में समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करना ।	केंद्रीय नोडल एजेंसियां तथा राज्य सरकारें	सामान्य पत्राचार तथा पुनरीक्षण बैठकें	टीपीपी प्रभाग
मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट के विश्लेषणात्मक संघटक का सुधार करना	योजना आयोग एवं अन्य मंत्रालय	मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श	टीपीपी प्रभाग
लाभार्थियों तथा सामान्य जनता से जानकारी लेना ।	सामान्य पत्राचार तथा मीडिया की भागीदारी	नियमित गतिविधियां	टीपीपी प्रभाग
टीपीपी के प्रभाव का मूल्यांकन करना	राज्य सरकारें तथा निजी परामर्शी संगठन	जब भी आवश्यकता हो	टीपीपी प्रभाग
शीघ्र सूचना प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी घटकों में तीव्रता लाने की आवश्यकता है	एनआईसी तथा निजी परामर्शी संगठन	जब भी आवश्यकता हो	टीपीपी प्रभाग

3घ. प्राथमिकताएं क्या हैं ?

I. एनएसओ

पहल	**उपयुक्तता (परिणाम और प्रभाव)**	**व्यवहार्यता (कार्यान्वयन में सरलता)**	**स्वीकार्यता (साझेदारों द्वारा)**	**कुल प्राथमिकता**	**प्रतिशत मान**
1. योजनाकारों और नीति निर्माताओं को आंकडे/सांख्यिकी उपलब्ध कराना	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√√	25%

2. आंकडे/सांख्यिकी की गुणवत्ता में सुधार करना	√√√√	√√√	√√√√√	√√√√	15%
3. आंकडे/सांख्यिकी के प्रसार में समय-अंतराल को कम करना	√√√√	√√	√√√√√	√√√√√	25%
4. उभरते क्षेत्रों में नए आंकड़े उलपब्ध कराना	√√√√	√√	√√√√√	√√√	10%
5. केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों के साथ समन्वय में सुधार करना	√√√√	√√√	√√√√√	√√√√	10%
6. साझेदारों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना	√√√√	√√	√√√√√	√√√√	15%

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) आईपीएमडी

पहल	**उपयुक्तता (परिणाम और प्रभाव)**	**व्यवहार्यता (कार्यान्वयन में सरलता)**	**स्वीकार्यता (साझेदारों द्वारा)**	**कुल प्राथमिकता**	**प्रतिशत मान**
1. केंद्रीय और राज्य स्तरों पर अंतर-मंत्रालय समस्याओं को सुलझाने के लिए अधिक से अधिक सरल मानदंड उपलब्ध कराना	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√	10%

2. वर्गीय मुद्दों से निपटने के लिए प्रणालीबद्ध सुधार लाना	√√√	√√√	√√√	√√√	10%
3. साझेदारों के साथ जानकारी तंत्र का विकास	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√	10%
4. पीएसयू के सीएसआर तत्व का निरीक्षण	√√	√√	√√	√√	5%
5. जारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर स्वीकृति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना	√√	√√	√√	√√	5%
6. परियोजना निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करना	√√√	√√√	√√√	√√√	10%
7. रिपोर्ट में समय अंतराल को कम करना	√√√	√√√	√√√	√√√	15%
8. पीपीपी परियोजनाओं का निरीक्षण	√√	√√	√√	√√	5%
9. राष्ट्रीय परियोजनाओं का विशेष निरीक्षण	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√	10%
10. परियोजना प्रबंधन कार्यकलापों को मजबूत करना	√√√	√√√√	√√√	√√√	5%
11. क्षमता का विकास	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√	10%

(ii) एमपीलैड

पहल	उपयुक्तता	व्यवहार्यता (कार्यान्वयन	स्वीकार्यता (साझेदारों	कुल	प्रतिशत मान

	(परिणाम और प्रभाव)	में सरलता)	द्वारा)	प्राथमिकता	
(i) नीति सहयोग के साथ-साथ एमपीलैड की पुनरीक्षण मार्गदर्शिका प्रदान करना	√√√√√	√√√√	√√√√√	√√√√√	20%
धन समय से जारी करना (क) जिला प्राधिकरणों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त करना (ख) धन का तीव्र हस्तांतरण	√√√√	√√√√	√√√√√	√√√√√	20% 10%
योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उचित निगरानी प्रक्रिया निर्धारित करना	√√√√	√√√√	√√√√	√√√√√	10%
ऑनलाइन निगरानी तंत्र की प्रक्रिया में सुधार	√√√√	√√√√	√√√√√	√√√√√	20%
एमपीलैड परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का रख-रखाव	√√√√	√√√√	√√√√√	√√√√	10%
राज्य/जिला अधिकारियों की एमपीलैड मार्गदर्शिका पर प्रशिक्षण	√√√√√	√√√√√	√√√√√	√√√√√	10%

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

पहल	उपयुक्तता (परिणाम और प्रभाव)	व्यवहार्यता (कार्यान्वयन की सुविधा)	स्वीकार्यता (साझेदारों द्वारा)	कुल प्राथमिकता	प्रतिशत मान

राज्य सरकार/केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा मासिक सूचना को समय पर जमा करना	√√√√√	√√√√	√√√√	√√√√√	10%
सूचना को ऑनलाइन जमा कराना	√√√	√√√	√√√√	√√√√√	5%
राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति द्वारा मासिक रिपोर्ट का पुनरीक्षण	√√√√	√√√√	√√√	√√	5%
साझेदारों के साथ नियमित परामर्श और पुनरीक्षण बैठकों का आयोजन	√√√√	√√√	√√√	√√√	5%
अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे	√√√	√√	√√√	√√√	5%
प्राप्त सूचना का संकलन और विश्लेषण	√√√√√	√√√	√√√√√	√√√√	20%
खराब प्रर्दशन का कारण जानना और सभी पर संबंधित जानकारी देना	√√√√√	√√	√√√√√	√√√√	5%
निष्पक्ष एजेंसियों के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन करना	√√√√	√√√	√√√√	√√√√	15%
अन्य विभाग द्वारा अन्य समान संचालित अध्ययनों के बारे में सूचना एकत्र करना	√√	√√	√√√	√√√	5%
लाभ के अनुमान के साथ-साथ लक्ष्यों को निश्चित करना	√√√	√√	√√	√√	15%

केंद्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्यों से छमाही प्रगति रिपोर्ट एकत्र करना	√√√	√√√	√√	√√	5%

खंड 4 - योजना कार्यान्वयन

4क. साझेदारों की संलग्नता

I. एनएसओ

साझेदार का नाम	कब	कैसे
अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, अनुसंधान संस्थान, व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता	वार्षिक या द्वि-वार्षिक	1. बैठकें 2. सम्मेलन 3. समितियां 4. अध्ययन दौरे
केंद्रीय मंत्रालय/विभाग	• वार्षिक आधार पर सम्मेलन • द्वि-वार्षिक आधार पर बैठकें	1. सांख्यिकी सलाहकारों के साथ बैठकें 2. केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलन
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	वार्षिक/द्वि-वार्षिक/तिमाही	1. सांख्यिकीय सलाहकारों के साथ बैठकें 2. केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलन 3. एनएसओ के संबंधित विषय के मामलों के प्रशासनिक प्रभागों के साथ बैठकें 4. सेमिनार, कार्यशाला इत्यादि

उद्योग/व्यापार संघ और स्थापनाएं	वार्षिक	• -- आंकड़ा उपयोगकर्ता सम्मेलन • -- प्रिंट मीडिया में विज्ञापन • -- कार्यशालाएं
जनता/नागरिक	वार्षिक	• -- आंकड़ा उपयोगकर्ता सम्मेलन • -- प्रिंट मीडिया में विज्ञापन • -- कार्यशालाएं
शैक्षिक संस्थान, अनुसंधान संगठन निजी निकाय संगठन	वार्षिक/द्वि-वार्षिक	▪ बैठकें ▪ सम्मेलन ▪ समितियां ▪ सेमिनार/कार्यशालाएं
एनजीओ	वार्षिक/द्वि-वार्षिक	• बैठकें • सम्मेलन • सेमिनार/कार्यशालाएं
सर्वेक्षणों/गणना सहित सांख्यिकीय कार्य को पूरा करने के लिए शामिल अधिकारी	तिमाही/द्वि-वार्षिक	▪ कर्मचारी बैठकें ▪ क्षेत्रीय दौरे
जनता	• वार्षिक • घरेलू सर्वेक्षणों के आयोजन के दौरान	• प्रिंट/इलैक्ट्रानिक मीडिया • घर-घर जाकर संपर्क
विभिन्न समितियों के प्रतिष्ठित व्यक्ति	नियमित	• बैठकें • सम्मेलन • सेमिनार/कार्यशालाएं
योजना आयोग	नियमित	• बैठकें • सम्मेलन (सीओसीएसएसओ इत्यादि)

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) **आईपीएमडी**

साझेदार का नाम	**कब**	**कैसे**
बुनियादी ढॉचा मंत्रालय	- नियमित निरीक्षण के लिए प्रत्येक माह	- पत्रों के माध्यम से
केंद्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	- प्रत्येक माह अधिक समय और कीमत की चयनित परियोजना उपक्रमों की रिपोर्टिंग - कार्यान्वयन संबंधी समस्या आने पर	- पत्रों के माध्यम से, फोन पर बातचीत यदि जरूरत हो तो क्षेत्र का दौरा करना
प्रधानमंत्री	- विशेष स्थिति में, जब आवश्यकता हो	- पत्रों/विशेष नोट के माध्यम से
मंत्रिमंडल सचिवालय	- अंतर-मंत्रालयी समस्याओं को सुलझाने के लिए जब आवश्यकता हो - प्रत्येक माह विशेष रिपोर्ट	- मासिक प्रकाशित रिपोर्ट और विशेष नोट द्वारा
वित्त मंत्रालय	- समस्या के आधार पर - ईएफसी तैयार के लिए परामर्श -. क्षमता निर्माण के लिए परामर्श	- पत्रों/ईएफसी पर टिप्पणियों द्वारा - ईएफसी नोट द्वारा
निर्माण उद्योग/संघ	- जब आवश्यक हो	- अनुबंध प्रबंधन को मजबूत करने के रूप में सहयोग - मध्यस्थता के लिए संस्थानिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहयोग
प्रशिक्षण संस्थान और संघों/आईआईटी और आईआईएम	-परियोजना प्रबंधन को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय परामर्श द्वारा - परियोजना प्रबंधन में प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के विभिन्न प्रकार के पाठ्यचर्या का विकास	- पत्रों और व्यक्तिगत संपर्क द्वारा - एचआरडी और डीओपीटी मंत्रालय के सहयोग द्वारा भी

आपूर्तिकर्ता और वेंडर	- विशिष्ट परियोजनाओं की समस्याओं को हल करने के लिए विशेष अनुरोध द्वारा - कौशल विकास के लिए क्षमता निर्माण	-पत्रों द्वारा -योजनाओं द्वारा जो क्षमता निर्माण के लिए योजना के अंतर्गत प्रतिपादित हो सकती हैं।

(ii) एमपीलैड

साझेदार का नाम	कब	कैसे
सांसद	• नियमित • राज्य स्तर पर वर्ष में एक या दो बार और कम से कम तिमाही में एक बार, यदि जिला स्तर पर माह में एक बार न हो ।	• पत्राचार और लोक सभा और राज्य सभा समितियों की बैठकें द्वारा • अपने कार्यों की प्रगति के पुनरीक्षण के लिए राज्य ओर जिला स्तर पर बैठकें
जिला प्राधिकरण	मासिक प्रगति रिपोर्टों के लिए आवधिक, पुनरीक्षण, बैठकें, क्षेत्रीय दौरे, स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण और एक बार राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श	• मासिक प्रगति रिपोर्टों द्वारा • पुनरीक्षण बैठकें • क्षेत्रीय दौरे • स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष निरीक्षण • राष्ट्रीय परामर्श
राज्य नोडल विभाग	अखिल भारतीय पुनरीक्षण बैठकों के लिए आवधिक, राज्य पुनरीक्षण, राष्ट्रीय परामर्श के लिए एक बार और जिला प्राधिकरणों के साथ राज्य-स्तरीय पुनरीक्षण	• अखिल भारतीय पुनरीक्षण बैठकें • राज्य पुनरीक्षण • राष्ट्रीय परामर्श • जिला प्राधिकरणों के साथ राज्य-स्तरीय

		पुनरीक्षण
कार्यान्वयन एजेंसियां	1. मासिक (तीन माह में कम से कम एक बार) 2. जिला प्रशासन ट्रस्टी/सोसाइटियों के सभी कार्यों की जांच के साथ प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयन के अंतर्गत कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों की जांच करेगा	• जिला प्राधिकरणों द्वारा पुनरीक्षण बैठकें • जिला प्राधिकरणों द्वारा स्थान का निरीक्षण

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

साझेदार का नाम	**कब**	**कैसे**
केंद्रीय नोडल मंत्रालय	वार्षिक पुनरीक्षण बैठकें और जब आवश्यकता हो	पुनरीक्षण बैठकें और संचार के सामान्य माध्यम
राज्य सरकार	-वही-	-वही-
जिला प्रशासन	आवश्यकता पड़ने पर	राज्य सरकारों के माध्यम से
लाभार्थी/जनता	-वही-	क्षेत्रीय दौरे और अध्ययन प्रभाव के मूल्यांकन के साथ-साथ जानकारी एकत्र करना

4ख. सीखने की कार्यसूची

I. एनएसओ

क्या	**कब**	**कैसे**
1. आंकड़ों के संग्रहण तथा प्रसार में अंतरराष्ट्रीय कार्यकलापों का प्रदर्शन	• समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर- 6 महीनों के अंदर • अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति- वर्ष में एक बार	• विश्व में उत्कृष्ट सांख्यिकीय प्रणाली के साथ एमओयू के हस्ताक्षर, तथा वर्ष में कम से

	• विशेषज्ञों को आंमत्रित करना- तिमाही आधार पर	कम एक-दो हफ्तों के लिए प्रदर्शन/अध्ययन दौरों पर अधिकारियों को नियुक्त करना; • बातचीत, व्याख्यान इत्यादि के लिए इन प्रणालियों से विशेषज्ञों को आमंत्रण
2. साझेदारों के साथ समन्वय में सुधार तथा उनका विनियोजन	• वर्ष में एक बार • वर्ष में एक बार • बैठकों में नियमित रूप से • बैठकों में नियमित रूप से	• साझेदारों के साथ खुले सत्र का आयोजना • एनएसएस रिपोर्टों के जारी करने के समय वार्षिक आधार पर आंकड़े उपयोगकर्ता सम्मेलन का आयोजन • नियमित बैठकें आयोजित करना • निर्णय लेने की प्रक्रिया में साझेदारों की भागीदारी
3. सम्प्रेषण तथा प्रस्तुतिकरण कौशल	• विशिष्टीकृत मॉड्यूल का विकास करना - 6 माह के अंदर • पाठ्यक्रमों का संचालन करना- तिमाही • द्वि-वार्षिक आधार पर	• विशिष्टीकृत मॉड्यूल का विकास करना तथा एनएएसए में नियमित रूप से पाठ्यक्रमों का संचालन करना • प्रबंधन संस्थानों में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति
4. अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सैटेलाइट अकाउंट्स	• छः माह • तिमाही आधार पर	• संबंधित साहित्य उपलब्ध कराना • कार्यशालाएं/सेमिनार का आयोजन
5. आंकड़ों के प्रसार में समय-अंतराल को कम करना	• जारी/चालू प्रक्रियाएं • छः माह • जारी/चालू प्रक्रियाएं • जारी/चालू प्रक्रियाएं	• सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय कार्यकलापों को अपनाना • अंतरराष्ट्रीय साहित्य उपलब्ध कराना • आईटी उपकरणों का उपयोग • प्रशिक्षण उपलब्ध कराना
6. महत्वपूर्ण सांख्यिकीय कार्यकलापों का दस्तावेजीकरण	एक वर्ष	विशेषज्ञों की संलग्नता

7.आंकड़ों का उपयोग करने के लिए आधुनिक सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर	जारी/चालू प्रक्रिया	कंप्यूटर सेंटर/एनएएसए में प्रशिक्षण का आयोजन

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) आईपीएमडी

क्या	**कब**	**कैसे**
-मौजूदा बुनियादी ढॉचा परियोजनाओं के साथ संयोजन	प्रति माह	उचित रूप से संबद्ध आपूर्तियों को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक माह अवसंरचनात्मक निष्पादन का मूल्यांकन करते हुए ।
-कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं से संबंधित जानकारी	निर्माण चरण में तथा कार्यान्वयन के मध्य चरण के दौरान	सुनिश्चित करना कि प्रतिबद्धताएं प्रगतिपूर्ण ढंग से हैं ।
-परियोजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए विभिन्न साझेदारों की भूमिका	निरंतर रूप से । तीन माह में कम से कम एक बार	सुनिश्चित करना कि कार्य दर/आपूर्तियां योजनाबद्ध हैं ।
-सूत्रीकरण, मूल्यांकन तथा समाशोधन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट प्रक्रियाएं	निर्माण चरण पर । पुनरीक्षण हर पॉच वर्ष में किया जाना आवश्यक है ।	केंद्रीय अधिकारिता समिति के निर्देश के अनुसार । आईपीएमडी संबंधित सुझाव देगा ।
-सविंदा प्रबंधन तथा इसका प्रशासन	निरंतर । हर तिमाही	आईपीएमडी द्वारा मॉनीटरिंग के एक भाग के रूप में

(ii) एमपीलैड

क्या	**कब**	**कैसे**
निगरानी/धन जारी करने से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग/प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण	वर्ष में एक बार	मंत्रालय तथा सीजीए के मंत्रालय की एनआईसी के द्वारा आंतरिक बैठकें/कार्यशालाएं **(विस्तार) ।**
लेखा परीक्षा प्रमाणपत्रों की बेहतर संवीक्षा करने के	वर्ष में एक बार	आईसीएआई के साथ बैठकें/कार्यशालाएं **(इंस्टीट्यूट**

लिए तुलन-पत्रों/आय-व्यय विवरण की प्रारंभिक समझ के लिए प्रशिक्षण/प्रदर्शन		**ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया)**
क्षेत्रीय स्तर के कार्यकलापों का ज्ञान तथा बुनियादी स्तर पर की जाने वाली कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली	नियमित	जिला प्राधिकरणों तथा क्षेत्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा पारस्परिक कार्य तथा ज्ञान के लिए क्षेत्रीय दौरे के माध्यम से

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

क्या	कब	कैसे
टीपीपी समस्याग्रस्त क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान	निरंतर प्रक्रिया	विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तथा जानकारी
कार्यक्रम के बारे में राज्यों से जानकारी	जैसा ऊपर निर्दिष्ट है	-वही-
टीपीपी के मूल्यांकन का प्रभाव	जब आवश्यक हो	स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा अध्ययन
सूचना के शीघ्र संचार के लिए प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है ।	जैसा ऊपर निर्दिष्ट है	आईटी को अपनाना
आईटी मामलों में स्टाफ का प्रशिक्षण	जैसा ऊपर निर्दिष्ट है	प्रशिक्षण कार्यक्रम
टीपीपी के कार्यान्वयन में समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान	जैसा ऊपर निर्दिष्ट है	राज्यों से जानकारी
मासिक प्रगति रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट के विश्लेषणात्मक संघटक में सुधार	जैसा ऊपर निर्दिष्ट है	विश्लेषण तथा तुरंत समाधान

4ख. सीखने की कार्यसूची

I. एनएसओ

जनता	धन	बुनियादी ढांचा
1. सांख्यिकीय अन्वेषक (प्राथमिक कार्मिक) 2. मिडिल स्तर के सांख्यिकीय अधिकारी	1.वार्षिक तथा पांच वर्षीय योजना प्रस्तावों के अनुसार	1. कार्यालय भवन 2. कार्यालय साधन

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) आईपीएमडी

जनता	धन	बुनियादी ढांचा
-विभिन्न विषयों के पेशेवरों को खाली पड़े तकनीकी पदों में नियुक्त करना -पर्यावरण, वन तथा वन्यजीवन में अंतर के वर्गीय विषयों को देखने के लिए कंसल्टेंट्स अथवा एजेंसियों को नियुक्त करना । -परियोजनाओं का विस्तृत विश्लेषण करने वाले कंसल्टेंट्स नियुक्त करना, जिन्हें परियोजना निर्माण, मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन का अनुभव हो - सलाहकारी कार्यों के लिए विषय-विशिष्ट विशेषज्ञ - साझेदारों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक	"परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मजबूत निरीक्षण" पर योजना प्रणाली के तहत बजट प्रावधान में मूल्य शामिल होगा ।	-सभी नियमित स्टाफ और कंसल्टेंट्स के लिए प्रर्याप्त कार्यालय स्थान उपलब्ध कराना । -परियोजना प्रबंधकों के प्रशिक्षण के लिए योजना प्रणाली के अंतर्गत क्षमता विकास उपायों के समन्वय के लिए उद्योग के सहयोग के साथ एक संस्थान की स्थापना की जाए, जिसमें प्रशिक्षण, कौशल विकास, पाठ्यक्रम विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन इत्यादि शामिल हो ।

(ii) एमपीलैड

जनता	धन	बुनियादी ढांचा
प्रभाग की प्राथमिकता में अतिरिक्त मानवशक्ति का प्रावधान है, जो अभी बहुत कम है	"परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मजबूत निरीक्षण" पर योजना प्रणाली के तहत बजट प्रावधान में मूल्य शामिल होगा ।	मानवशक्ति की अतिरिक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रभाग के लिए अधिक स्थान मुहैया कराना ।

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

जनता	धन	बुनियादी ढांचा
प्रभाग में अपर्याप्त स्टाफ । खाली पदों को भरना ।	कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि फंड की आवश्यकता मौजूदा योजना से पूरी की जाएगी ।	हार्डवेयर का सुधार एवं रखरखाव करना

4ड. मापन तथा अवलोकन

I. एनएसओ

प्रगति का निर्धारण करने के लिए मापन तथा अवलोकन	पुनरीक्षण की विधि	सुधारात्मक कार्यविधि
वार्षिक कार्य योजना की प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रति वर्ष मासिक एवं तिमाही लक्ष्य निर्धारित करना ।	मासिक आधार पर महानिदेशकों के स्तर पर पुनरीक्षण बैठकें तथा; सचिव स्तर पर तिमाही पुनरीक्षण ।	बैठकों में निर्देश/मार्गदर्शन देना तथा मासिक बैठकों में प्रगति का पुनरीक्षण करना ।

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) आईपीएमडी

	प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मापन तथा अवलोकन	पुनरीक्षण की विधि	सुधारात्मक कार्य की विधियां
	-प्रगति का निर्धारण करने के लिए संकेतक -क्षमता निर्माण o प्रस्ताव तैयार करना o अनुमोदन प्राप्त करना o प्रतिनियुक्ति o कार्य सौंपना o प्रत्येक माह निरीक्षण **-सरल उपायों का विकास** o समस्या तथा एजेंसियों की पहचान करना o विचार-विमर्श हेतु एक मंच तैयार करना o दस्तावेज़ तैयार करना o सुधारात्मक उपाय अपनाना **- जानकारी प्रणाली का विकास** o मौजूदा प्रणाली का पुनरीक्षण o संशोधित प्रणाली तैयार करना o अनुमोदन प्राप्त करना o कार्यान्वयन o निगरानी **-परियोजना निर्माण की गुणवत्ता में सुधार** o अनुमोदन चरण पर सभी संबद्ध पहलुओं की जॉच के लिए जॉच-सूची तैयार करना o सभी मुद्दों और बाधाओं को सामने लाना o जोखिम प्रबंधन के लिए उपायो की जॉच	(i) यूनिट स्तर पर साप्ताहिक पुनरीक्षण (ii) सभी नीतियों की गतिविधियों/कार्यकलापों की जॉच करना (ii) धन जारी करना तथा व्यय की जॉच करना (iv) मासिक रिपोर्ट	(i) किये गये सभी पर्यवेक्षण का अनुवर्तन (फोलोअप) करना तथा इसके लिए सुधारात्मक उपायों को अपनाना (ii) व्यक्ति से पुनरीक्षण के विवरण की जॉच करवाई जाए ।

	o ईएफसी तथा पीआईबी के सभी सदस्यों को टिप्पणियां प्रदान करना **-रिपोर्टों की गुणवत्ता में सुधार करना तथा समय-अंतराल को कम करना** o सभी ओसीएमएस यूजर्स को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना । o समयबद्ध रिपोर्टिंग के लिए परियोजना उद्यमों के साथ निरंतर फॉलोअप करना । o रिपोर्टों के ढांचे तथा प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता के पुनरीक्षण के लिए विशेषज्ञों की सेवा लेना **-आंतरिक क्षमता का विकास** o खाली पदों को भरने के लिए प्रशासन को राजी कराना o विशेष एजेंसियों, विशेषज्ञों तथा परामर्शकों की नियुक्ति पर विचार करना o स्टाफ तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उनके कार्य की गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता में सुधार करना ।		

(ii) एमपीलैड

प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए मापन और अवलोकन	पुनरीक्षण की विधि	सुधारात्मक कार्य की विधियां

नीतिक पहल और मार्गदर्शनों का पुनरीक्षण, जिला/राज्य अधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण के प्रभाव आदि प्रकृति में गुणवत्तापूर्ण हैं और इन्हें मात्रा के रूप में नहीं आंका जा सकता। योजना के कार्यान्वयन जैसे कारकों को निर्गमन पर उपयोगिता के प्रतिशत और स्वीकृति पर पूरे किए गए कार्य के प्रतिशत से मापा जाता है। धन जारी करने का कार्य विशेष वर्ष की किश्तों के पिछले कार्य द्वारा देखा जाता है।	अखिल भारतीय पुनरीक्षण बैठकें राज्य पुनरीक्षण जिलों में क्षेत्रीय दौरे कराना एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से देश के विभिन्न जिलों में एमपीलैड कार्यों की प्रत्यक्ष निगरानी ।	कार्यान्वयन को सुधारने के लिए नीति बदलाव की आवश्यकता, जो निरंतर जारी प्रक्रिया है। तीव्र कार्यान्वयन के लिए राज्य/जिला प्राधिकरणों के लिए निर्देश और फंड जारी करने के लिए दस्तावेजों को प्रस्तुत करना । सुधारात्मक कार्य करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों, जिला प्राधिकरणों और निर्देशित द्वारा मॉनिटरिंग रिपोर्टों की जांच के आधार पर कार्य करना ।

(III) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

प्रगति का निर्धारण करने के लिए मापन और अवलोकन	**पुनरीक्षण की विधि**	**सुधारात्मक कार्य की विधियां**
मापदंड जिनके लक्ष्य तय नहीं हैं।	केंद्रीय नोडल मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट	केंद्रीय नोडल मंत्रालयों के लिए लिखना
प्राप्त किये गये सामूहिक लक्ष्य	राज्यों और केंद्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा प्रगति रिपोर्ट	केंद्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए लिखना
प्राप्त किये गये लक्ष्यों का प्रतिशत	राज्यों और केंद्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा प्रगति रिपोर्ट	केंद्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए लिखना
प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण में देरी	राज्यों द्वारा प्रगति रिपोर्ट	राज्य सरकारों के लिए लिखना

4च. समग्र योजना और महत्वपूर्ण अवस्था

I.एनएसओ

नीतियां	क्रियाकलाप	समन्वयन के बिंदु	महत्वपूर्ण अवस्था और पुनरीक्षण बिंदु
1.1 प्रतिदर्श सर्वेक्षणों और सूचियां आदि तैयार करने के लिए कार्यविधियां सहित राज्य के डीईएस को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना	• राज्य अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का दस्तावेज बनाना • राज्य अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन • राज्यों की जरूरतों के हिसाब से विभिन्न पहलुओं पर कार्यशालाएं और व्यावहारिक सत्रों का आयोजन • नियमावली, मार्गदर्शिका/ कार्यविधियों, अवधारणाओं, परिभाषाओं आदि से सबंधित दस्तावेजों को तैयार करना और इन्हें राज्य सरकारों में वितरित करना ।	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव, ✓ राज्य के डीईएस	कुशल जनशक्ति का विकास, गुणात्मक और सुधारात्मक आंकड़ा ढ़ांचा। आंकड़ा आवरण पर नई चुनौतियों का सामना करने के लिए कौशल में सुधार हेतु समय समय पर पुनरीक्षण
1.2 क्षेत्रीय असमानताओं का अनुमान और सूचकांक तैयार करने के लिए कार्यविधि उपलब्ध कराना ।	• समयबद्ध प्रारूप में कार्यविधि और सभी संबंधित मामलों को तैयार करने के लिए राज्य के डीईएस और केंद्रीय मंत्रालयों के विशेषज्ञों सहित इस उद्देश्य के लिए विशेषज्ञ समूह का गठन करना; • पुस्तिकाएं तैयार करना और इन्हें राज्यों में वितरित करना; और • केंद्रीय/राज्य अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव, ✓ राज्य के डीईएस	सरकार की हस्तक्षेप नीति के लिए क्षेत्रीय/असमानताओं पर आंकड़े/सांख्यिकी/अनुमान उपलब्ध कराना ।

	आयोजित करना		
1.3 सर्वेक्षणों और अनुसंधान अध्ययनों को कराने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना	• इसके लिए आईएसएसपी की केंद्रीयकृत प्रायोजित योजना में प्रावधान किया जा सकता है और राज्यों को इन्हें अपने एसएसएसपी में शामिल किया जाना चाहिए । • प्लान स्कीम ''क्षमता विकास'' से अनुसंधान अध्ययन प्रायोजित करने के मौजूदा कार्यकलाप में उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है ताकि किसी पसंदीदा विषय पर अनुसंधान अध्ययन करने के लिए राज्य डीईएस को दिए गए अनुदान इसमें शामिल किए जा सकें । इस उद्देश्य के लिए गठित समूह में राज्य/केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है।	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय प्रमुख और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव, ✓ राज्य के डीईएस	कार्यकलापों को करने के लिए क्षमताओं में सुधार हेतु राज्यों में सुधारात्मक सांख्यिकी प्रणाली
1.4 राज्यों के साथ सीएसओ के विभिन्न प्रभागों का समन्वय/संवाद में सुधार करना ।	• राज्य के डीईएस के साथ समन्वय को एनएसएसओ (एफओडी) के राज्य की राजधानी के डीडीजी के माध्यम से मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, जिन्हें नियमित रूप से जानकारी दी जा सकती है । राज्य डीडीजी से जानकारी प्राप्त करने के लिए और उनके साथ नियमित बैठकें के लिए एक उपयुक्त निगरानी तंत्र गठित किया जा सकता है। एनएसओ के सभी प्रभागों को जानकारी के लिए एनएसएसओ (एफओडी), राज्य की राजधानी के डीडीजी के साथ लगातार संपर्क में रहना चाहिए। • सभी प्रभाग उनसे संबंधित कार्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर राज्यों को सहायता की जरूरत	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय प्रमुख और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव, ✓ राज्य के डीईएस	एक प्रभावी समन्वयन प्रणाली का विकास

	पड़ती है और इसी के अनुसार प्रशिक्षण/कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के रूप में सहायता प्रदान कर सकते हैं, उप-योजनाओं का मसौदा तैयार कर सकते हैं ।		
1.5 जिला स्तरीय अनुमान तैयार करने के लिए राज्यों को मदद की व्यवस्था	• केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अनुमानों को उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय स्तर के प्रयास किए जाने चाहिए; • केंद्र को, राज्यों की क्षमता के विकास में उनकी मदद करनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर, वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए; • इसके अतिरिक्त, केंद्र द्वारा अखिल भारतीय सर्वेक्षण कराए जाते हैं उन्हें संशोधित किया जाना चाहिए ताकि जिला और यहां तक कि निचले स्तर के अनुमान उपयुक्त हो और इन्हें राज्यों द्वारा तैयार किए जा सकें; • अनुमानों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए एनएसएस/एएसआई के केंद्र और राज्यों के प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्र करने के लिए राज्यों को सक्षम बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त तंत्र स्थापित करना चाहिए ।	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव, ✓ राज्य के डीईएस	उप-राष्ट्रीय स्तरों पर योजना के लिए आंकड़ों की उपलब्धतता।
1.6 स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, व्यापार, निर्माण इत्यादि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सैटेलाइट अकाउंट्स को बढ़ावा देना ।	• सैटेलाइट अकाउंट्स को तैयार करने पर कार्य की पहल करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों से निपट रहे मंत्रालयों के सामने मामले को रखना • इस तरह के कार्य के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव;	महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आर्थिक लाभों का मूल्यांकन और योजना उद्देश्यों हेतु जीडीपी, रोजगार, पूंजी निर्माण इत्यादि

	पदासीन सांख्यिकीय सलाहाकारों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है; • विभिन्न क्षत्रों के सैटेलाइट अकाउंट्स तैयार करने के लिए जहां कहीं उपलब्ध नहीं है, सीएसओ द्वारा मार्गदर्शिका निर्धारित की जाए और आंकड़ा इत्यादि की आवश्यकता के लिए इन्हें संबंधित सांख्यिकीय परामर्शदाताओं के साथ साझा किया जाए; • केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में संबंधित अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए सीएसओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए ।	✓ संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सांख्यिकीय सलाहाकार	के लिए उनका सहयोग
1.7 उप-राष्ट्रीय स्तर की योजना के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर अनुमान लगाना तथा आंकड़ें तैयार करना ।	• ब्लॉक और पंचायत स्तरीय योजना के लिए आंकड़ो की जरूरत को समझने और एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में बीएसएलएलडी की योजना को सुनियोजित रूप से तैयार करने की आवश्यकता है ।	✓ सीएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष /और डीजी, सीएसओ और सचिव; ✓ राज्य के डीईएस	उप-राष्ट्रीय स्तरीय योजना के लिए आंकड़े
1.8 गरीबी का अनुमान लगाने के लिए राज्यों हेतु आंकड़ों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना ।	• केंद्रीय प्रतिदर्श के लिए एनएसएस आंकड़ें क्षेत्रीय कार्य के पूरा होने के एक वर्ष के अंदर अथवा पहली रिपोर्ट के जारी होने के पश्चात, जो भी पहले हो, राज्यों को उपलब्ध कराये; • केंद्र और राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों को एकत्र करने के साथ संबंधित सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने सहित राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों के उपयोग के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई जाए ।	✓ एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष डीजी, एनएसएसओ और सचिव, ✓ राज्य के डीईएस	इस उद्देश्य के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराना
1.9 केन्द्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए अलग से एनएसएस	• केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए एनएसएस परिणामों के परिणामों को जारी करने	✓ एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष डीजी, एनएसएसओ और	योजना और नीति निर्माण के लिए संबंधित आंकड़े उपलब्ध

आंकड़े प्रकाशित करना ।	के लिए कार्यविधि और प्रतिदर्श आकार आदि की जांच और इसे उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाना चाहिए ।	सचिव, ✓ राज्य के डीईएस	कराना
2. आंकड़ों की गुणवत्ता			
2.1 आईआईपी, एएसआई आंकड़ों की तरह मंत्रालय के सभी सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना;	• **<u>आईआईपी</u>** • आईआईपी डाटा की आंतरिक समरूपता का अध्ययन करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां आंकड़ों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है - फिर भले ही वह आंकड़े एकत्र करने की समस्या है या आंकड़ों के उपयोग से संबंधित समस्या हो • गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण और सुधार किये गये आंकड़ों के प्रसंस्करण कार्यकलाप आदि जैसे कदम उठाना । • समस्या वाले क्षेत्रों को जानने के लिए आंकड़ा स्त्रोत एजेंसियों और आंकड़ा उपयोगकर्ता के साथ नियमित बैठकों की एक प्रणाली विकसित करना **<u>एएसआई</u>** • योजना के नियमित अपडेट के लिए राज्य की राजधानी के उप महानिदेशकों के माध्यम से चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्टरीज़ (सीआईएफ) के साथ समन्वय में सुधार लाना; • प्रतिदर्श डिजाइन में सुधार लाने के लिए प्रणालीबद्ध अध्ययन कराना; • आंकड़ों के संग्रहण में क्षेत्रीय कर्मियों के प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी बनाना;	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव	औद्योगिक आंकडा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के सांख्यिकीय कार्य में सुनिश्चित सुधार करना

2.2 राज्यों द्वारा प्रशासनिक आंकड़ों की गुणवत्ता सुधार;	• वार्षिक आधार पर प्राथमिक और आवश्यक प्रयासों के लिए कुछ आंकड़ों की पहचान की जा सकती है; • प्रारूपों, परिभाषाओं, अवधारणाओं, प्रसंस्करणों, कंप्यूटराइजेशन आदि के निरीक्षण के लिए केंद्रीय प्रशासनिक विभाग, राज्य के डीईएस, राज्यों में लाइन विभाग और एनएसएसओ (एफओडी) के राज्य की राजधानी के डीडीजी के तहत नियुक्त संबंधित सांख्यिकीय परामर्शदाताओं के संदर्भ में सभी साझेदारों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना ।	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव, ✓ राज्य के डीईएस, और ✓ केंद्रीय मंत्रालयों /विभागों में नियुक्त सांख्यिकीय सलाहाकार	अधिक प्रभावी योजना और नीति निर्माण के लिए विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों के बारे में बेहतर तस्वीर प्राप्त करना।
2.3 प्रतिदर्श सर्वेक्षण के लिए अनुबंध नियुक्ति के बजाए स्थायी कर्मचारी को रखने के कदम उठाना ।	• अन्वेषकों के पद के लिए आरआर में वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संशोधन किया जाना चाहिए ताकि पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो और भर्ती की जा सके । • क्षेत्रीय स्तर पर स्थायी स्टाफ की भर्ती के लिए वैकल्पिक तरीका निकाला जाए और डीओपीटी और एसएससी को एसएसएस स्टाफ की भर्ती के विशेष माध्यम से कराने के लिए राजी किया जाए ।	✓ एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष, डीजी, एनएसएसओ, एएस और सचिव	प्रतिदर्श सर्वेक्षण कराने के लिए संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से उचित व्यवस्था विकसित करना
2.4 एएसआई ढांचे को सुधारने के लिए कदम उठाना	• उपर्युक्त 2.1 के अनुसार	उपर्युक्त 2.1 के अनुसार	उपर्युक्त 2.1 के अनुसार
2.5 विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकीय लेखा-परीक्षा कराना	• इस उद्देश्य के लिए एक उचित संस्थानिक कार्यढांचा विकसित करना चाहिए; • सांख्यिकीय लेखा-परीक्षण के लिए एक उपयुक्त	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ	इनमें सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाने हेतु आंकड़ों समूहों में खामियों की जांच कर पता

	प्रक्रिया का विस्तार और मानकीकरण किया जाना चाहिए; • विषय विशिष्ट लेखा परीक्षकों की एक टीम तैयार की जानी चाहिए; • सांख्यिकीय लेखा-परीक्षण के लिए प्राथमिक क्षेत्रों को पहचान की जानी चाहिए और व्यवहारिक आधार पर कुछ मामलों को लिया जाना चाहिए ।	और सचिव; ✓ एनएससी	लगाना
3. समय-सीमा में सुधार			
3.1 एक माह की समय-सीमा में सभी मासिक संकेतक/रिपोर्टों को जारी किया जाना चाहिए । 3.2 तीन माह से कम के समय अंतराल के साथ तिमाही संकेतक/रिपोर्टों को जारी किया जाना चाहिए । 3.3 एक वर्ष से कम के समय अंतराल के साथ वार्षिक संकेतक/रिपोर्टों को जारी किया जाना चाहिए ।	• जैसा कि स्रोत एजेंसियों से आंकड़ों की समय पर उपलब्धता उन्हें समय पर जारी करने में एक प्रमुख बाधा है, अत: अप्राप्त जानकारी को भरने की प्रक्रिया स्पष्ट हो ताकि एक माह की अधिकतम समय-सीमा को कम किया जा सके । • स्रोत एजेंसियों द्वारा आंकड़ों को समय से उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को लागू किया जाना चाहिए और मंत्रालयों/विभागों में पदासीन सांख्यिकीय परामर्शदाताओं को उक्त प्रयोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाना चाहिए ।	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव,	सरकार द्वारा जहां आवश्यक हो, तुरंत हस्तक्षेप के लिए सांख्यिकी और प्रणाली का समय से जारी करना
3.4 सभी सर्वेक्षणों की रिपोर्ट जैसे एनएसएस सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना इत्यादि को क्षेत्रीय कार्य पूरा होने के बाद एक	• डीपी सेंटरों में अनुसूचियों की प्राप्ति के लिए समय-सूची, डीपी सेंटर द्वारा आंकडों के उपयोग तथा रिपोर्टों के मसौदे तैयार करने के लिए एसडीआरडी में आपूर्ति की जानी चाहिए तथा वार्षिक कार्य योजना के एक महत्वपूर्ण हिस्से के	✓	

वर्ष की अधिकतम अवधि में जारी किया जाना चाहिए ।	रूप में इसकी सख्ती से निगरानी की जाए ।		
3.5 इकाई स्तर के आंकड़े क्षेत्र कार्य पूरा होने के एक वर्ष के तुरंत बाद जारी किए जाने चाहिए क्योंकि क्षेत्र कार्य पूरा होने के एक वर्ष के अंदर रिपोर्ट आने की उम्मीद की जाती है ।	• पहली रिपोर्ट जारी होने के बाद या क्षेत्र कार्य के पूरा होने के एक वर्ष के अंदर, जो भी पहले हो, यूनिट स्तर के आंकड़े जारी किए जाने चाहिए ।	✓	
3.6 वर्ष के आरंभ में सभी प्रभागों द्वारा सभी रिपोर्टों/प्रकाशनों/आंकड़ों को जारी करने के लिए एक केलेंडर निकाला जाए और इसे एमओएसपीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।	• विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से भारत सरकार जारी आंकड़े/रिपोर्ट/प्रकाशन जारी किये गये केलेंडर सभी को सांख्यिकीय रिपोर्टों आदि के लिए तैयार किया जाना चाहिए और विभिन्न मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों में पदासीन सांख्यिकीय परामर्शदाताओं के साथ विचार-विमर्श द्वारा एक आम सहमति से समय-सूची तैयार कर उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए । • प्रशासनिक कदमों द्वारा तथा स्थानांतरण नीति के माध्यम से वादाखिलाफी करने वाले की आलोचना की जानी चाहिए।	✓	
3.7 वर्ष के जुलाई माह से प्रारंभ एनएसएस सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों की प्रतिदर्श सूची सभी संबंधितों को निश्चित रूप से जून तक यदि इससे पहले नहीं, उपलब्ध करायी जानी चाहिए।	• एनएसएसओ को राज्य सरकारों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रतिदर्श सूची, ढांचा, समय-सारणी, निर्देशों आदि को उपलब्ध कराने के एक कैलेंडर तैयार करना चाहिए और उसे बाध्य रूप से लागू करना चाहिए ।		

3.8 एक वर्ष के लिए राष्ट्रीय लेखों के अनंतिम और वित्तीय परिणाम अधिकतम 18 महीनों की समय अवधि में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	• सीएसओ को 18 माह की अवधि को बाध्य रूप से पूरा करने के लिए इन प्रक्रियाओं की जांच करनी चाहिए और आवश्यक कदम उठाने चाहिए		
नये आंकड़ा समूह			
4.1 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी; 4.2 वितरक व्यापार; 4.3 सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार; 4.4 घरेलू सेवा क्षेत्र; 4.5 वार्षिक आधार पर रोजगार-बेराजगार और मजदूरी सांख्यिकी 4.6 तिमाही आधार पर आर्थिक स्तर की टर्नओवर सूची 4.7 बड़े उद्यमों के राष्ट्रीय व्यापार रजिस्टर 4.8 नियमित आधार पर किसानों की शर्तें 4.9 भारत में बजुर्ग व्यक्तियों की स्थिति का मूल्यांकन 4.10 भारत में अपराध की स्थिति 4.11 बाल मजदूरी 4.12 व्यापार का वार्षिक सर्वेक्षण (निर्माण और गैर-निर्माण दोनों क्षेत्रों को शामिल करते हुए वर्तमान	• सांकेतिक सूची केवल वर्तमान और सूचक सूची है उभरते मुद्दों पर ध्यान देने के लिए समय-समय पर इसे अपडेट किये जाने की आवश्यकता है; • आंकड़ों के नए समूहों के निर्माण के लिए एक नीति विकसित की जानी चाहिए । इसमे नए आंकड़े समूहों को तैयार करने की आवश्यकता शामिल की जानी चाहिए, यह कार्य एओबीआर के अनुसार एनएसओ या अन्य विभागों/मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा । • नए आंकड़े समूहों के निर्माण के लिए एक सुस्थापित तंत्र होना चाहिए । नए आंकड़ों को जारी करने की प्रक्रियाओं को कार्यप्रणाली, परिभाषा/अवधारणा, संस्थानिकरण, वैध, लेखा परीक्षण आदि के द्वारा अंतिम रूप दिया जाना चाहिए ।	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव, ✓ राज्य के डीईएस; ✓ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में नियुक्त सांख्यिकीय सलाहाकार	जटिल विकास परिदृश्य में लगातार आंकड़ों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सांख्यिकीय प्रणाली तैयार करना । आंकड़ों के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त प्रावधानों और लचीली प्रक्रिया को भी शामिल करना ।

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के विपरीत)			
4.13 बागवानी सांख्यिकी			
4.14 निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण			
एनएसओ की समन्वयन भूमिका			
5.1 भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/ विभागों द्वारा उत्पादित सांख्यिकी के आवधिक पुनरीक्षण की एक प्रणाली का विकास ।	• भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में नियुक्त सांख्यिकीय सलाहकारों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित करना; • विषय विशिष्ट सांख्यिकीय लेखा परीक्षकों की सहायता से तैयार आंकड़ों की समीक्षा • लेखा-परीक्षकों की सिफारिशों की निगरानी के लिए एक तंत्र गठित करना	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव; ✓ एनएससी	तैयार आंकड़ों की बेहतर गुणवत्ता
5.2 राज्यों/केंद्र के मंत्रालयों और अन्य साझेदारों के साथ संवाद कायम करना	• सीएसओ और एनएसएसओ के प्रत्येक प्रभाग द्वारा नियमित आधार पर राज्य के डीईएस के साथ परस्पर संवाद की एक नीति बनाई जाए ; • राज्य की राजधानियों में नियुक्त उप निदेशकों को समन्वयन संबद्ध मामलों के पुनरीक्षण के लिए निर्धारित तिथि और समय पर निदेशक एवं डीईएस के साथ नियमित रूप से जैसे पंद्रह दिन में एक बार बैठक आयोजित करनी चाहिए ।	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय प्रमुख और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव, ✓ राज्य के डीईएस, और ✓ केंद्रीय सांख्यिकीय सलाहाकार	उत्पादित आंकड़ों की बेहतर गुणवत्ता
5.3 अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बढ़ाना	• प्रभागवार संवाद के बजाय अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ संपर्क कायम के लिए एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) बनाई जाए । • एनएसओ के अधिकारियों को सर्वोत्तम कार्यकलापों को सीखने के लिए अंतरराष्ट्रीय	✓ डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव;	उत्पादित आंकड़ों की बेहतर गुणवत्ता

	सांख्यिकीय संगठनों में प्रतिनियुक्त किया जाना चाहिए ।		
5.4 केंद्र के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य के डीईएस को आदर्श परिभाषाएं, अवधाणाएं और कार्यविधियां उपलब्ध कराना;	• पहले से ही निर्धारित विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाएं तैयार करने का कार्य एक निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए; • नए विषयों की पहचान होनी चाहिए और पुस्तिकाएं तैयार कर उन्हें केंद्र/राज्य एजेंसियों के साथ साझा करना चाहिए ।	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव; ✓ राज्य के डीईएस	उत्पादित आंकड़ों की बेहतर गुणवत्ता और आंकड़े/अनुमानों की बेहतर समरूपता और तुलनीयता
5.5 आंकड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता लाने के साथ-साथ सांख्यिकीय कर्मचारियों और सांख्यिकीय संगठनों दोनों की छवि में सुधार लाने के लिए स्पष्टता में सुधार	• सांख्यिकी जानकारी के प्रत्येक भाग को बड़े स्तर पर जारी किया जाना चाहिए; • संबंधित अधिकारियों को आंकड़ों का विश्लेषण करने और स्पष्ट रिपोर्टों/टिप्पणियों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इसे जनहित में प्रचारित भी किया जाना चाहिए इसके लिए वेबसाइट, प्रिंट-मीडिया और समाचार-पत्रों जैसे माध्यमों का प्रयोग किया जा सकता है । • सांख्यिकी अधिकारियों को देशभर में शैक्षिक संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए; • प्रत्येक सांख्यिकीय उत्पाद का प्रचार करने के लिए आंकड़ा प्रचार-प्रसार प्रणाली के एक महत्वपूर्ण कार्य के उपयुक्त प्रचार मानकों को निर्धारित किया जाए ।	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय प्रमुख और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव,	कार्यालयी सांख्यिकी में आम आदमी का भरोसा और आत्म-विश्वास
5.6 एनएसओ/केंद्र सरकार से राज्य के डीईएस और इसके उलट कार्मिक	• इस विषय को सीओसीएसएसओ जैसे मंच पर विमर्श किया जाना चाहिए और इसी के अनुसार	✓ डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव;	योजना और नीति निर्माण के लिए बेहतर आंकड़ों का

के आदान-प्रदान की एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए;	सेवा नियमों में उचित संशोधन किए जाने चाहिए	✓ राज्य के डीईएस	उत्पादन करने के लिए एक-दूसरे के बेहतर कार्यकलापों का विनिमय ।
5.7 विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा सभी सांख्यिकीय मामलों में राज्य के डीईएस की भागीदारी होनी चाहिए	• इस दिशा में पहला कदम, राज्यों में समान्य सांख्यिकीय संवर्ग होने का मामला राज्यों के साथ एनएसओ द्वारा काफी प्रयासों के बाद अपनाया गया है ।	✓ डीजी, सीएसओ और सचिव; ✓ राज्य के डीईएस	योजना/नीति निर्माण के लिए उन्न्त आंकड़ा समूह
केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य के डीईएस की तुलना में एनएसओ की भूमिका			
6.1 एमओएसपीआई की भूमिका सलाहकार, मानदंडों का निर्धारण, समन्वय, लेखा परीक्षा/गुणवत्ता की जांच और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने वाली होनी चाहिए ।	• एनएसओ द्वारा तकनीकी मामलों पर परामर्श देने और समन्वय को सक्षम बनाने के लिए विशिष्ट संगत क्षेत्रों में क्षमता और विशेषज्ञता का विकास किया जाए; और • एनएसओ विषयवार अपने कार्यों को पुनर्गठित करना चाहिए ताकि तकनीकी विशेषज्ञता को विकसित और कायम रखा जा सके ।	✓ सीएसओ/एनएसएसओ में प्रभागीय अध्यक्ष और डीजी, सीएसओ, डीजी, एनएसएसओ और सचिव,	योजना/नीति निर्माण के लिए उन्न्त आंकड़ा समूह
6.2 एनएएसए के माध्यम से राज्य/केंद्रीय सांख्यिकीय कर्मचारियों की क्षमता का विकास ।	• एनएएसए को राज्य/केंद्रीय सांख्यिकीय अधिकारियों की विशिष्ट तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोर्स, बैठकें आदि आयोजित करनी चाहिए ।	✓ डीजी, सीएसओ और सचिव	योजना/नीति निर्माण के लिए उन्न्त आंकड़ा समूह

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन

(i) **आईपीएमडी**

नीतियां	क्रियाकलाप	समन्वयन के बिंदु	महत्वपूर्ण अवस्था और पुनरीक्षण बिंदु
(i) सरलीकरण उपाय	(i) अंतर-मंत्रालयी/राज्य सरकार की समस्याओं वाली परियोजनाओं की पहचान करना (ii) विवरण तैयार करना (iii) सीओएस के लिए नोट तैयार करना	(i) सीओएस	(i) सीओएस के कार्यवृत्तों का वितरण (ii) संबंधित प्राधिकरणों द्वारा कार्यवाही रिपोर्ट (iii) कैबिनेट सचिवालय के लिए समेकित रिपोर्ट
(ii) वर्गीय मुद्दों पर कार्य करने के लिए प्रणालीगत सुधार करना	(i) विशिष्ट मामलों पर सूचना एकत्र करना (ii) राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श का आयोजन (iii) कार्य-बिंदु तैयार करना (iv) सीओएस के लिए नोट तैयार करना	(i) नोडल मंत्रालय (ii) संगठनात्मक मंत्रालय (iii) सीओएस	(i) इसे हैंडल करने के लिए क्षमता का विकास करना (ii) पहले छ. महीने में राष्ट्रीय परामर्श के लिए मूल दस्तावेज तैयार करना (iii) राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श का आयोजन (iv) सीओएस के लिए नोट तैयार करना
(iii) जानकारी प्राप्त करना	(i) प्रत्येक मंत्रालय और परियोजना उपक्रम में नोडल अधिकारियों की पहचान	(i) संरचनात्मक मंत्रालय/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	(i) जानकारी के क्षेत्रों की जांच-सूची तैयार करना (ii) जानकारी के लिए एक प्रारूप तय करना (iii) रिपोर्टों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पुनरीक्षण जानकारी और सुधारात्मक उपाय भी करना
(iv) परियोजना निर्माण और मूल्यांकन की गुणवत्ता को सुधारना	(i) प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक जांच-सूची तैयार करना (ii) सभी मुद्दों और प्रतिबंधों को देखना (iii) जोखिम कारकों की पहचानना	(i) ईएफसी और पीआईबी के सदस्य	(i) जांच-सूची और मुद्दों और जोखिम कारकों के आधार पर प्रत्येक सुझाव की जॉच (ii) प्रयास किये जाए, जब भी प्राप्त हो ।

(v) रिपोर्टिंग में समय अंतराल को कम करना	(i) सार्वजनिक उपक्रमों को निरंतर रूप से स्मरण पत्र भेजना	(i) सभी परियोजना उपक्रम	(i) प्रत्येक माह एक निरंतर क्रियाकलाप
(vi) परियोजना रिपोर्ट की गुणवत्ता को सुधारना	(i) साझेदारों की सूचना आवश्यकता के संदर्भ में विषय की रिपोर्टों का पुनरीक्षण	(i) एमओएसपीआई, पीएमओ, कैबिनेट सचिव	(i) नया ढांचा तैयार करना (ii) स्वीकृति प्राप्त करना (iii) नए ढांचे का कार्यान्वयन करना
(vii) राष्ट्रीय परियोजनाओं का निरीक्षण	(i) संपूर्ण विवरण के साथ राष्ट्रीय परियोजनाओं की पहचान (ii) सशक्त समिति की वर्तमान क्रियावली द्वारा पुनरीक्षण की विधि स्थापित करना	(i) रेलवे मंत्रालय (ii) राज्य सरकारों से संबंधित (iii) सशक्त समिति के सदस्य (iv) मुद्दों के आधार पर अन्य मंत्रालय/विभाग	(i) श्रेणी में प्रत्येक परियोजना के लिए पहली विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना (ii) प्रत्येक छह महीने में पुनरीक्षण के लिए अधिकारित समिति अध्यक्ष से अनुरोध
(viii) आंतरिक क्षमता का विकास	(i) क्षेत्रों की पहचान (ii) प्रस्ताव तैयार करना (iii) प्रशासन/वित्तीय को प्रस्ताव जमा करना (iv) अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण प्रस्तावों को तैयार करना	(i) एमओएसपीआई प्रशासन और वित्तीय प्रभाग	(i) पहले छह महीने में प्रस्तावों को तैयार किया जाना (ii) प्रस्तावों को जमा कराना (iii) नियमित फॉलोअप (iv) प्रत्येक माह स्थिति की रिपोर्ट
(ix) जारी सीएसआर, पीपीपी परियोजानाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जांच	(i) सीओएस/कैबिनेट/अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा अधिदेश प्राप्त करना	(i) सीओएस/कैबिनेट/अन्य संबंधित प्राधिकरण	(i) पहले वर्ष में प्रस्तावों का तैयार किया जाना चाहिए (ii) स्वीकृति के बाद आगे के कदम उठाना
(x) परियोजना प्रबंधन कार्यकलापों को मजबूत बनाना	(i) दृष्टि पत्र तैयार करना (ii) एचआरडी और डीओपीटी से परामर्श (iii) सर्वसहमति पर आधारित योजना तैयार करना	(i) एचआरडी और डीओपीटी	(i) दूसरे वर्ष के अंत में ईएफसी नोट (ii) स्वीकृति के बाद उठाए जाने वाले कदम

(ii) एमपीलैड

नीतियां	क्रियाकलाप	समन्वयन के बिंदु	महत्वपूर्ण अवस्था और पुनरीक्षण बिंदु
एमपीलैड दिशानिर्देशों के संशोधन के साथ-साथ नीति सहयोग प्रदान करना	• साझेदारों के साथ नियमित परामर्श • विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिए लोक सभा और राज्य सभा समितियों के साथ बातचीत • कार्यान्वयन का नियमित पुनरीक्षण करना और राज्य/जिला अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करना • कार्यान्वयन के बारे में जांच रिपोर्टों द्वारा जानकारी	राज्य सरकारों, जिला प्राधिकरण, स्वतंत्र संस्थान जो प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हैं । लोक सभा, राज्य सभा समिति बैठकें राज्य सरकारों और जिला प्राधिकरण स्वतंत्र संस्थान	• दिशानिर्देशों के संशोधन के लिए सुझाव प्राप्त करने के लिए साझेदारों के साथ एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित करना । • एमपीलैड पर लोक सभा और राज्य सभा समितियों के साथ बैठकें आयोजित करना • राज्य नोडल/जिला प्राधिकरणों के साथ पुनरीक्षण बैठक का आयोजन • स्वतंत्र संस्थानों द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्टों का परीक्षण
धन को समय पर जारी करना	(क) जिला प्राधिकरणों द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करना (ख) धन का तीव्र ट्रांसफर करना • धन जारी करने के लिए दस्तावेजों के समय से प्रस्तुतीकरण के लिए प्रक्रिया तैयार करना ।	जिला प्राधिकरण और राज्य सरकारें	• धन जारी करने के लिए दस्तावेजों के समय से प्रस्तुतीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे । • राज्य स्तरीय पुनरीक्षण बैठकों के साथ-साथ अखिल भारतीय पुनरीक्षण बैठकें करना • मासिक प्रगति रिपोर्टों के 100 प्रतिशत ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के

	• जिला प्राधिकरणों द्वारा ऑनलाइन मासिक प्रगति रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण को बढ़ावा देना • धन के ई-स्थानांतरण का प्रचालन करना		लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और जिला प्राधिकरणों के साथ अनुकरण करना • अधिकतर राज्यों में फंड के सरल इलैक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिए आवश्यक विवरण के प्रस्तुतीकरण के लिए जिला प्राधिकरणों के साथ कार्य करना
योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त निगरानी तंत्र विकसित करना	• जिला/राज्य स्तरीय नियमित पुनरीक्षण और दौरे का उत्तरदायित्व • राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ अखिल भारतीय पुनरीक्षण बैठक आयोजित करना • स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से देश के विभिन्न जिलों में प्रत्यक्ष निरीक्षण करना	निरीक्षण के लिए जिला प्राधिकरणों, राज्य सरकारों और स्वतंत्र एजेंसियों को कार्यभार सौंपना	• राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और जिलों में पुनरीक्षण/दौरों का उत्तरदायित्व • राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों के नोडल सचिवालयों के साथ अखिल भारतीय पुनरीक्षण बैठकों का उत्तरदायित्व • स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा चुने हुए जिलों में प्रत्यक्ष निरीक्षण
ऑनलाइन निगरानी तंत्र को सुधारना	• व्यय और वास्तविक उपलब्धि से संबंधित तीव्र और सही आंकड़ों प्रदान करने के लिए मासिक प्रगति रिपोर्टों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण • कार्य जांच प्रणाली का संपूर्ण विवरण	जिला प्राधिकरण, राज्य सरकारें	• मासिक प्रगति रिपोर्टों के 100 प्रतिशत ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के लक्ष्य को सफलतापूर्वक पाने के लिए राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और जिला प्राधिकरणों का अनुकरण करना • कार्य जांच प्रणाली वेबसाइट पर पूरे

	• जारी करने, मासिक प्रगति रिपोर्ट और कार्य जांच प्रणाली के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर		और सही आंकडों की अपलोडिंग को सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। राज्यों/जिलों के साथ परामर्श में एनआईसी द्वारा विभिन्न एमपीलैड सॉफ्टवेयर प्रणालियों का एकीकरण
एमपीलैड परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का रख-रखाव	• गुणवत्ता के लिए एक तंत्र लागू करना • तीसरी पार्टी द्वारा गुणवत्ता जांच करना • एमपीलैड के अंतर्गत निर्मित संपत्तियों का रख-रखाव	जिला प्राधिकरण, राज्य सरकारें, कार्यान्वयन एजेंसियां, निजी क्षेत्र	• निर्माण के दौरान एमपीएलएडीएस संपत्तियों की गुणवत्ता जांच के लिए दिशा -निर्देश जारी किए जाएंगे । • तीसरी पार्टी द्वारा गुणवत्ता जांच के लिए पर्याप्त प्रावधान निर्धारित किए जाएंगे। • एमपीलैड के अंतर्गत संपत्तियों के रख-रखाव के लिए दिशा -निर्देश तैयार किए जाएंगे ।
राज्य/जिला अधिकारियों के एमपीलैड दिशा-निर्देशों पर प्रशिक्षण	• राज्य/जिला अधिकारियों के लिए एमपीलैड दिशा-निर्देशों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।	राज्य सरकारें	• एमपीएलएडीएस दिशा-निर्देशों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उत्तरदायित्व के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहयोग प्रदान करना ।

(iii) बीस सूत्रीय कार्यक्रम

क्रियाकलाप	समन्वयन के बिंदु	महत्वपूर्ण अवस्था और पुनरीक्षण बिंदु
राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मासिक सूचना का समय पर प्रस्तुतिकरण	प्राप्त जानकारी का मासिक संकलन	जानकारी देने के लिए राज्यों को नियमित रूप से स्मरण कराया जाए सूचना में देरी और अप्रस्तुतिकरण को रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया जाए ।
सूचना को ऑनलाइन जमा कराना	जैसा ऊपर निर्दिष्ट है	एनआईसी खंड द्वारा प्रारूप को सरल करने के लिए अनुरोध किया जाए राज्यों को सूचित किया जाएगा कि ऑनलाइन जानकारी कैसे प्रयोग और उपलब्ध की जाए ।
राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति द्वारा मासिक रिपोर्ट का पुनरीक्षण	राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट	राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए राज्य पुनरीक्षण समिति को एमआरपी प्रदान की जाएगी ।
साझेदारों के साथ नियमित परामर्श और पुनरीक्षण	पुनरीक्षण बैठकें	आम मामलों पर चर्चा के लिए केंद्र में राष्ट्रीय पुनरीक्षण बैठकों का संचालन एक या उससे अधिक राज्यों के साथ मामला आधारित पुनरीक्षण बैठकों का आयोजन ।
अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे	जैसा और जब आवश्यकता हो	दौरे की रिपोर्ट
प्राप्त सूचना का संकलन और विश्लेषण	मासिक प्रगति रिपोर्ट	कंप्यूटर सुविधा का प्रयोग कर सूचना को संकलित और सारणीकृत किया जाए तथा सांख्यिकीय साधनों को आंकड़ों के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाए ।
खराब प्रदर्शन के कारणों का मूल्यांकन करना	जब और जैसा खराब प्रदर्शन देखा जाए	आंकड़ों की संवीक्षा मैनुअली की जाए और आंकड़ों के विश्लेषण की जानकारी सहित सांख्यिकीय रूप से राज्यों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया जाए ।
एजेंसी के माध्यम से प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन संचालित करना	सुस्त योजनाओं का अवलोकन	खुली निविदा के माध्यम से चयनित राज्य सरकार की एजेंसी और केंद्रीय नोडल एजेंसी के साथ परामर्श कर अध्ययन/कार्यक्रम का चयन करना
एक जैसे अध्ययनों के बारे में जानकारी एकत्र करना	केंद्रीय नोडल मंत्रालय	केंद्रीय नोडल मंत्रालय और राज्य सरकार को अनुरोध करना कि वे अपनी किसी भी मूल्यांकन अध्ययन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
योजना का कार्य-क्षेत्र का मूल्यांकन और	केंद्रीय नोडल मंत्रालय	योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का अनुमान उपलब्ध कराने के लिए

लाभार्थियों की संख्या का अनुमान		केंद्रीय नोडल मंत्रालयों से अनुरोध करना ।
लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या के साथ लक्ष्यों का निर्धारण करना	केंद्रीय नोडल मंत्रालय	जैसा ऊपर निर्दिष्ट है
राज्यों और नोडल मंत्रालयों से अर्धवार्षिक प्रगति की रिपोर्ट हासिल करना	राज्य सरकारें और केंद्रीय नोडल मंत्रालय	नियमित पुनरीक्षण बैठकों में विचार-विमर्श करना
लक्ष्यों का समय पर निर्धारण	राज्य सरकारें और केंद्रीय नोडल मंत्रालय	समय पर लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए सभी नोडल मंत्रालयों को याद दिलाना

खंड-5 नीतिगत योजना और आरएफडी के बीच संयोजन

एनएसओ

सरकार में परिणामोन्मुखता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली विकसित की गई है । परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) संबंधित विभागों में मुख्य उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करने, संबंधित कार्य बिंदुओं को निर्दिष्ट करने और समान सफल संकेतकों के संदर्भ में उपलब्धियों के स्तर के निरीक्षण के लिए प्रभावी तंत्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि, आरएफडी की मौलिक अवधारणा के बावजूद भी, अपेक्षित कार्य-उत्पादन या परिणामों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली उपयुक्त नीतियों का उल्लेख करते हुए इसका उचित कार्य-निष्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ।

नीतिगत योजना (2011-16) एक पृष्ठभूमि दस्तावेज है जो अगले 5 वर्षों से अधिक समय के इच्छित कार्य-उत्पादन या परिणामों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों को निर्दिष्ट कर, संबंधित मदों और क्षेत्रों के साथ-साथ अल्प/मध्यम/दीर्घकालीन प्राथमिकताओं की पहचान करता है। यह कार्य करने के लिए एक अत्यधिक विश्वसनीय कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से उपलब्ध स्त्रोतों, क्षमता, सामर्थ्य और अवरोधों पर विचार करता है । नीतिगत योजना और आरएफडी के बीच एक संयोजन है, अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि न केवल वर्षों से आरएफडी में निर्दिष्ट उद्देश्यों और कार्यबिंदुओं को नीतिगत योजना में समाकलित कर प्राथमिकताओं को अनूदित किया जाए बल्कि कार्यान्वयन के लिए पूर्व निर्धारित नीतियों की सहायता से ऐसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विधिवत दिशा तय करने के लिए एक

व्यवस्थित आधार भी उपलब्ध कराया जाए। दूसरे शब्दों में, नीतिगत दस्तावेज से अपेक्षा की जाती है कि यह अगले कुछ वर्षों में आरएफडी को प्रस्तुत करने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा ।

आईपीएमडी

आईपीएमडी का गठन मुख्य संरचनात्मक क्षेत्रों की निगरानी करना, रु. 150 करोड़ से अधिक लागत की केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करना, संरचनात्मक प्रदर्शन का पुनरीक्षण, परियोजना नियोजन, कार्यान्वयन और प्रबंधन और अन्य अंतर-क्षेत्रीय मामलों के क्षेत्र में व्यवस्थित सुधार लाना । यह तीव्र सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) पर समेकित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है ।

वांछित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, वास्तविक समय आधार पर परियोजनाओं की स्थिति का संकलन और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय आदि को भेजना, परियोजनाओं में देरी के कारण समय और लागत में वृद्धि संबंधित मुद्दों की पहचान करना और संबंधित प्राधिकरणों के मामलों को लेना, परियोजनाओं के ईएफसी और पीआईबी प्रस्तावों की जांच करना, मामलों की जांच के माध्यम से व्यवस्थित सुधार लाने, मंत्रालयों/उपक्रमों/राष्ट्रीय स्तर पर विचार-विमर्श द्वारा परामर्श, प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं/सेमिनार आदि संगठनों के द्वारा क्षमता विकास एवं परियोजना प्रबंधन क्रियाकलापों को अपनाने जैसी गतिविधियों का वर्णन किया गया है।

एमपीलैड

एमपीलैड प्रभाग का उद्देश्य सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को प्रभावी रूप से लागू करना है। योजना के अंतर्गत विकास की स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, माननीय सांसदों द्वारा सिफारिश किये गये कार्यों को सीधे जिला प्राधिकरणों को सौंपा जाता है जो कि कार्यों के उपयुक्त होने की जांच करते हैं और उन्हें कार्यान्वित करते हैं। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, विभिन्न नीतियां जैसे नीति सहयोग उपलब्ध कराने के साथ-साथ मार्गदर्शनों का पुनरीक्षण, प्रभावी निगरानी तंत्र के धन को समय से जारी करना, एमपीलैड मागदर्शनों पर प्रशिक्षण, ऑनलाइन मॉनीटरिंग सिस्टम में सुधार आदि का उल्लेख किया गया है । यह ध्यान दिया जाता है कि नीतिगत प्रयास, मार्गदर्शनों का पुनरीक्षण, एमपीलैड मार्गदर्शनों में जिला प्राधिकरणों का प्रशिक्षण आदि प्रकृति में गुणात्मक हैं और इनके प्रभाव को मात्रात्मक रूप नहीं दिया जा सकता ।

नीति के अंतर्गत प्रस्तुत वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कार्य जैसे कि योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष में दो बार राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रीय विभागों के सचिवों के साथ अखिल भारतीय पुनरीक्षण बैठकों का आयोजन करना, जिला प्राधिकरणों से धन जारी करने के लिए दस्तावेज प्राप्त करना और नीति मामलों पर जानकारी प्राप्त करने इत्यादि कार्यों को शामिल किया गया है। जानकारी प्राप्त करने और लाभकारी सुझावों के लिए लोकसभा और

राज्यसभा समितियों के साथ संवाद भी एक महत्वपूर्ण मंच है। कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने और धन जारी करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए राज्य स्तर के पुनरीक्षण एवं जिला स्तर पर दौरे करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य/जिला प्राधिकरणों द्वारा योजना के विधिवत् कार्यान्वयन के लिए एमपीलैड मार्गदर्शनों में जिला/राज्य अधिकारियों का प्रशिक्षण भी एक महत्वपूर्ण साधन है। मंत्रालय के पहल के अलावा, चयनित जिलों में एक स्वतंत्र संस्थान द्वारा योजना की निगरानी करना भी एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके फलस्वरूप योजना की कमियों को पूरा करते हुए कार्यान्वयन में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे ।

टीपीपी

बीस सूत्रीय कार्यक्रम तंत्र की निगरानी में सुधार लाने के लिए कई पहलों को नीति का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। इन नीतिगत पहलों में राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों से मासिक सूचना को समय से एकत्र करने के अवसर प्रदान करना, सूचना को शीघ्र जारी करने के लिए एक ऑनलाइन एमआईएस का प्रयोग करना, इस मंत्रालय की मासिक पुनरीक्षण प्रक्रिया में राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग मशीनरी की भागीदारी, साझेदारों के साथ परामर्श और संलग्नता, विशेषकर लक्षित जनसंख्या पर प्रभाव के संबंध में राज्यों में आधारभूत परिस्थितियों का मूल्यांकन करना और खराब प्रदर्शन के कारणों का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना शामिल है।

जैसा कि टीपीपी-06 के अंतर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया जाता है, अत: यह आवश्यक है कि नीतिगत प्रयास केंद्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श और करार के आधार पर किए जाए। मंत्रालय राज्यों/केंद्रीय नोडल मंत्रालयों के साथ नियमित पुनरीक्षण बैठकें तथा राज्यों के साथ कम से कम एक राष्ट्रीय पुनरीक्षण बैठक का प्रस्ताव रखता हैं। प्रबंधन सूचना प्रणाली को साझेदारों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए संशोधित किया जाएगा; विशेषकर राज्य सरकारों के लिए जो सूचना प्रदाता के प्राथमिक स्त्रोत हैं । राज्यों से एक तंत्र विकसित करने के लिए अनुरोध किया जाएगा जहां राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा अपने संबद्ध राज्यों के प्रदर्शन का पुनरीक्षण करने के अतिरिक्त प्रत्येक कार्यक्रम के अखिल भारतीय प्रदर्शन का विश्लेषण भी किया जाएगा, ताकि सही कार्य करने की दिशा प्राप्त हो सके ।

राज्यों में आधारभूत परिस्थिति का पता लगाने और कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करने के लिए मंत्रालय के अधिकारी नियमित क्षेत्रीय दौरे करेंगे। इसके अलावा, योजनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालय टीपीपी-2006 की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों पर वार्षिक आधार पर, कम-से-कम दो प्रभावी मूल्यांकन अध्ययन कराने का प्रस्ताव रखता है।

खंड-6: प्रति विभागीय और प्रति कार्यात्मक मामले

नीतिगत योजना दस्तावेज सरकारी विभागों और कार्यालयों में नीतिगत प्रबंधन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिसका लक्ष्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि विभाग की नीतिगत योजना और विभाग के प्रयासों को उद्देश्यों के आधार पर स्पष्ट किया जाए और प्रदर्शन निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) के माध्यम से आंका जाए तथा यह पहल न केवल बजट और योजना दस्तावेजों में दिये गए प्रावधानित संगत संसाधन आवंटन के अनुरूप हो, बल्कि मंत्रालय के नागरिकों/ग्राहक अधिकार-पत्र (चार्टर) के अनुरूप भी होनी चाहिए जिसमें मंत्रालय की आकांक्षा एवं मिशन तथा नागरिकों/ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाएं तथा सेवा मानदंडों का भी उल्लेख होता है ।

I. राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ)

6क. संसाधन आवंटन और क्षमता निर्माण मामलों सहित प्रति विभागीय मामलों की पहचान और प्रबंधन (एनएसओ)

यहां मंत्रालय के अधिदेश के तहत आंकड़ों के क्षेत्र में कई संबंधित उभरते क्षेत्र है जिनमें उन एजेंसियों और साझेदारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जो वांछित सफलता हासिल करने के लिए अपना सक्रिय योगदान देते हैं । इनमें सरकारी एजेंसियां, अनुसंधान संस्थान, वैयक्तिक अनुसंधानकर्ता, निजी निगमित क्षेत्र, व्यापार/उद्योग संस्थाएं, आंकड़ों के प्रदाता और मीडिया शामिल है। आंकड़ों के बारे में न केवल इनकी महत्वकांक्षाओं को समझना महत्वपूर्ण है जो तेजी से बढ़ती जा रही है, बल्कि आंकड़ा की विकास प्रक्रिया में इनकी सक्रिय भूमिका और भागीदारी के महत्व को पहचानना भी जरूरी है जो वास्तव में सकारात्मक सलाह और जानकारी प्रदान करने के लिए न केवल निर्णायक है, बल्कि आंकड़ों की अनावश्यक आलोचना और नकारात्मक प्रचार पर भी अंकुश लगाना जरूरी है । वास्तव में, मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यसूची की सफलता या उपलब्धियों तथा सदृश कार्य का स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि इन एजेंसियों की सहभागिता कितनी प्रभावी है और साथ ही संबंधित साझेदारों की अपनी स्वयं की प्राथमिकताओं के अंतर्गत उनकी क्या भूमिकाएं हैं । साझेदारों के साथ प्रभावी बातचीत सांख्यिकीय संगठनों की स्पष्टता में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है जो जनता की बेहतर प्रतिक्रिया और आंकड़ों में उनका विश्वास हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है । आपस में एक-दूसरे को मजबूत बनाने की प्रक्रिया आंकड़ों के संग्रह, आंकड़ों की सार्थकता में सुधार लाने, आंकड़ों की साझेदारी और आंकड़ों की प्रचार प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

अत: साझेदारों के साथ व्यापक रूप से अधिकाधिक प्रभावी सांख्यिकीय प्रणाली विकसित करने में उनके सहयोग और सहभागिता को विशेषकर अधिक से अधिक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण आंकड़े प्रदान करने और उन्हें समयानुकूल और उपयोगकर्ता अनुरूप प्रचारित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उनके साथ एकजुट होकर काम करने के तरीकों की पहचान करना महत्वपूर्ण है । इस पर विचार करते हुए, प्रति विभागीय मामलों की पहचान करने और आंकड़ों की निर्माण प्रक्रिया में योगदान को उपयोगी बनाने में उनकी योग्यता का लाभ उठाने के उद्देश्य से अन्य एजेंसियों और साझेदारों की भूमिका तय करने की पहल की गई है । मंत्रालय के उद्देश्यों को पूरा करने में विभिन्न साझेदारों और भागीदारों के दृष्टिकोण/सुझावों को प्राप्त करने के लिए विकासशील नीतिगत योजना दस्तावेज के एक हिस्से के रूप में

एक वृहद परामर्श प्रक्रिया संचालित की गई थी। खंड-2 संक्षिप्त रूप से वर्णित करता है कि ऐसे क्रियाकलाप के महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त होते हैं। खंड-3 में इन एजेंसियों और साझेदारों की बड़े स्तर पर भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित समन्वय सहित अपनाई गई प्रस्तावित सदृश नीतियों के साथ विभिन्न अहम मुद्दों को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से सीखने की कार्यसूची, क्षमता और सामर्थ्यता का मजबूतीकरण और ढांचागत और नीतिगत प्रयासों के माध्यम से अंतरों को समाप्त करने के लिए उपयुक्त मानदंड शामिल है। यह प्रभावी नीतिगत प्रबंधन पहुंच विकसित करने के हित से मौजूदा कार्यकलापों एवं पद्धतियों की समीक्षात्मक जांच के आधार पर संसाधन आवंटन और प्राथमिकीकरण से संबंधित मामलों पर भी प्रकाश डालता है। इन जानकारियों के विश्लेषण पर आधारित, कार्यान्वयन की एक योजना नीतिगत योजना दस्तावेज के खण्ड 4 में दिए गए वर्णन के अनुसार विकसित की गई है ।

6ख. विभागों/कार्यालयों (एनएसओ) में प्रति कार्यात्मक संयोजन

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलयन के बाद दि. 15.10.1999 को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। मंत्रालय के दो खंड है अर्थात् एक सांख्यिकी खंड जिसे हम राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएसओ) कहते हैं और दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड है। एनएसओ में कम्प्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) सहित केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) शामिल है। कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड में तीन प्रभाग हैं जैसे (1) बीस सूत्रीय कार्यक्रम (2) बुनियादी ढॉचा की निगरानी और परियोजना की निगरानी और (3) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) । इसके अतिरिक्त, यहॉ भारत सरकार (एमओएसपीआई) के प्रस्ताव द्वारा निर्मित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) है तथा एक स्वायत्त संस्थान अर्थात् भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) है जिसे संसद अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया है ।

मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों/खंडों में कार्यकलापों में विभिन्नता के कारण, मंत्रालय के सभी बड़े खंडों/प्रभागों के संदर्भ में प्रस्तावित क्रियाकलापों, पहुंचों, प्राथमिकताओं और नीतियों की रूपरेखा निर्धारित करने का सचेत प्रयास किया गया है। हालांकि, इसके अलावा, नीतिगत योजना दस्तावेज इनके बीच आपस के कार्यों को दर्शाने के उद्देश्य से मंत्रालय के संपूर्ण विचार प्रस्तुत करता है तथा अपेक्षित सामूहिक नेतृत्व और प्रबंधन के सामान्य मुद्दों पर प्रकाश डालता है ।

6ग. संगठनात्मक पुनरीक्षण और एजेंसियों की भूमिका और वृहद जन सेवा (एनएसओ)

किसी संगठन की प्रणाली और संरचना मुख्यतः इसकी महत्वकांक्षाओं द्वारा आंकी जाती है जिसमें इसके लक्ष्य और उद्देश्य और आगामी उभरती चुनौतियों में इसके कार्यकलापों के क्षेत्र में प्रगतिशील परिवर्तन आदि का समावेश होता है । एनएसओ के मामले में देखा जाए तो यह संगठन प्राथमिक रूप से सांख्यिकीय कार्यकलापों का समन्वय करता है जिसमें सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों आदि से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और प्रसार शामिल है जिसका

प्रयोग नीति योजना और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यहाँ विकसित हो रहे परिदृश्य में आवश्यक नए आंकड़ों की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के उभरते विकासशील तरीकों के अलावा, आंकड़ों में अंतर, आंकड़ों में समय बाधा से तथा विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण आंकड़ों की उपलब्धता से संबंधित मामलों को संप्रेषित करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक होगा । विशेष रूप से यह महत्वपूर्ण है कि आंकड़ों के संग्रहण, आंकड़ों के उपयोग और आंकड़ों के प्रसार के क्षेत्र में आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग और प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा उप राज्य स्तर पर नीतिगत योजना और मॉनीटरिंग के सरलीकरण के लिए अपेक्षित समय के साथ-साथ गैर एकीकृत आंकड़ों के उत्पादन में आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए तेजी से बढ़ती मांग में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के समन्वय तंत्र को अधिक मजबूत बनाया जाए । इसमें विभिन्न एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से उत्पादित आंकड़े, विशेष रूप से अन्य स्रोतों से सृदश आंकड़ों के साथ इसके संयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा निर्मित व्यापक स्तर पर विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की एकरूपता, समरूपता, तुलनीयता को सिद्ध करने के उद्देश्य से आदर्श अवधारणाएं, परिभाषाओं, और कार्य-प्रणालियां तैयार करना भी बहुत जरूरी है ।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, स्थितियों का मूल्यांकन करने, प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए मिश्रित चुनौतियों की पहचान करना, अन्य एजेंसियों की भूमिका की पहचान करना, विशेष रूप से इनके साथ उपयुक्त समन्वयन तंत्र विकसित करने के लिए एक प्रयोग किया गया । ये सभी पहलू नीतिगत योजना के दस्तावेज में शामिल किए गए हैं जिसके तहत मंत्रालयों/विभागों और इसकी एजेंसियों के पुनर्गठन के लिए कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया है । दूसरी ओर, इसके साथ-साथ कार्यान्वयन, निरीक्षण और सिटीजन चार्टर के पुनरीक्षण और जन समस्याओं का समाधान और निरीक्षण के लिए सर्वोत्तम शिकायत प्रणाली तैयार करने जैसे उपयुक्त कदम उठाए गए हैं ।

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड

6क. संभावित चुनौतियों से संबंधित आयामों को 12वीं योजना में शामिल किया जाना

<u>आईपीएमडी</u>

जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है आईपीएमडी का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाएं समय व लागत बढ़े बिना, (विभिन्न नियंत्रण और इसके साथ-साथ व्यवस्थित सुधार कार्यकलापों के माध्यम से), विधिवत् रूप से कार्यान्वित हों, साथ ही, बुनियादी ढांचे के कार्य पर निगरानी रखी जा सके । बड़ी और प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में समय और लागत को बढ़ने से रोकने के प्रयास और संरचनात्मक प्रदर्शन की निगरानी यह सुनिश्चित करती है कि संभावित चुनौतियों पर 12वीं योजना में गौर किया जाएगा जैसे उन्नति के लिए क्षमता विकास, कौशल विकास और रोजगार के अवसर, प्रौद्योगिकी और आधुनिक बुनियादी परिवहन ढॉचे

का तेज विकास आदि । इसके अलावा, आईपीएमडी परियोजना प्रबंधन की मंजूरी और उसे बड़े स्तर पर अपनाए जाने के लिए प्रयास कर रहा है और साथ ही, देश में परियोजना प्रबंधन की शिक्षा के महत्व को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है जिसके तहत उत्पादकता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार के मामले शामिल किये जाएंगे ।

एमपीलैड

एमपीलैड योजना लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के विनिर्माण पर विचार करती हैं । यह परिकल्पना करती है कि योजना का विधिवत् कार्यान्वयन संभावित चुनौतियों को संबोधित करेगा जैसे उन्नति के लिए क्षमता का विकास (बुनियादी ढॉचा के प्रावधान द्वारा), ग्रामीण जीवन में बदलाव, शहरीकरण की व्यवस्था, शिक्षा तक बेहतर पहुंच (योजना के तहत निर्मित विद्यालयों, कक्षाओं आदि के द्वारा), स्वास्थ्य देखभाल (योजना के तहत उपलब्ध अस्पतालों, एंबुलेंसों, उपकरणों के माध्यम से)

टीपीपी

इसके अंतर्गत गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लक्ष्य से बीस सूत्रीय कार्यक्रम, कार्यक्रमों/योजनाओं की मॉनीटरिंग का उल्लेख किया गया है। अतः सम्मिलित विकास के द्वारा ग्रामीण जीवन में बदलाव , शहरीकरण, पर्यावरण व्यवस्था, अधिकाधिक सशक्तिकरण, शिक्षा तक बेहतर पहुंच, स्वास्थ्य देखभाल आदि को शामिल किया गया है। इस प्रकार 12वीं योजना अवधि के दौरान निर्धन व्यक्तियों की जरूरतों का ख्याल करते हुए कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी करने की आवश्यकता है ।

6ख. संसाधन आवंटन और क्षमता विकास संबंधित मामलों सहित प्रति विभागीय मामलों की पहचान और प्रबंधन

आईपीएमडी

मंत्रालय 150 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन स्तर की निगरानी के क्षेत्र में केंद्रीय बुनियादी ढॉचा मंत्रालयों/सार्वजनिक उपक्रमों और परियोजना अधिकारियों के साथ संपर्क रखता है। मंत्रालय समय और लागत बढ़ने से रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप और संस्थानिक सुधारों के लिए नियमित सूचना तंत्र के माध्यम से समस्याओं को योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, कैबिनेट सचिवालय के समक्ष भी प्रस्तुत करता है । ईएफसी और पीआईबी मेमो के संदर्भ में आईपीएमडी वित्त मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय से भी परामर्श लेता है । परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और वर्तमान ढांचागत कार्यों की निगरानी के लिए तंत्र को मजबूती प्रदान करने हेतु चल रही परियोजनाओं और पूरी हो चुकी परियोजनाओं के मामले में सबक लेने और सुझाए गए निवारण उपाय किये गए ।

आईपीएमडी बाहरी संसाधनों/पेशेवर संस्थानों आदि की सहायता से परियोजना प्रबंधन कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं पर परियोजना प्रबंधकों एवं पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है । आईपीएमडी परियोजना प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में अधिक सुधार के लिए विभिन्न उद्योग संस्थानों और परियोजना प्रबंधन एजेंसियों के साथ संवाद भी स्थापित करता है।

एमपीलैड

एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन की आधारभूत इकाई जिला प्राधिकरण है। सांसद संबंधित जिला प्राधिकरणों द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यों को करवाने के लिए सिफारिश करते हैं। मंत्रालय द्वारा वित्तपोषण सीधे जिला प्राधिकरणों को किया जाता है और वे ही कार्यान्वयन की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं । कार्यान्वयन की प्रगति मासिक प्रगति रिपोर्ट और वेब-समर्थित कार्य नियंत्रण प्रणाली पर उपलब्ध सूचना के माध्यम से जिला प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त की जाती है ।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश नोडल विभाग अपने राज्य/प्रदेशों के जिलों के साथ समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अपने संबद्ध राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यन्वयन की निगरानी भी करते हैं। पुनरीक्षण बैठकों का तंत्र में, अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष में दो बार और विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों स्तर पर, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करने के लिए और मॉनीटरिंग के साथ-साथ कार्यान्वयन में अधिकाधिक सुधार लाने की परिकल्पना की गई है ।

इसके अंतर्गत योजना के विधिवत् और समयानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, राज्य स्तर पर एमपीलैड निर्देशों के अनुसार, मंत्रालय द्वारा जिला/राज्यों के प्राधिकरणों के प्रशिक्षण को शामिल किया गया है। यद्यपि मंत्रालय द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है, फिर भी योजना को पूरी तरह कार्यरूपेण बनाने के लिए राज्य सरकार की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है।

मंत्रालय के अधिकारियों को लेखांकन प्रक्रिया और अन्य वित्तीय मामलों की समझ के साथ धन की निगरानी/जारी करने से संबधित सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों/प्रक्रियाओं में प्रशिक्षित किए जाने की भी आवश्यकता है । मंत्रालय का एनआईसी और भारत के महानियंत्रक (कैग) को प्रभाग में उपलब्ध मानव संसाधन की क्षमता निर्माण प्रक्रिया में शामिल होने की जरूरत है।

टीपीपी

बीस सूत्रीय कार्यक्रम की निगरानी के लिए मंत्रालय को केंद्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों के साथ संवाद स्थापित करना आवश्यक है। हालांकि, प्रायः जवाब न मिलने या देरी से आने के कारण निगरानी प्रक्रिया बाधित हो जाती है। कुछ विभिन्न प्रति विभागीय मामले भी हैं जो कार्यक्रम के प्रभावी नियंत्रण को बाधा पहुंचाते हैं। कुछ नोडल मंत्रालय ने या तो लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया है या लक्ष्यों को देरी से निर्धारित कर रहे हैं, जिनसे योजनाओं की निगरानी

ठीक से नहीं होती है। कुछ राज्य में शिकायत करते हैं कि उनके राज्य के तय लक्ष्य उनकी सामाजार्थिक परिस्थितियों के हिसाब से या उनके राज्यों में वर्तमान संसाधन बाध्यता को देखते हुए सही नहीं है। क्षमता बाध्यता भी राज्य योजना के खराब प्रदर्शन के आम कारणों में से एक कारण है। मंत्रालय केंद्रीय लोडल मंत्रालयों और राज्यों के साथ पुनरीक्षण बैठकों में इन सभी मामलों को उठाने का प्रस्ताव रखता है।

6ग. विभागों/कार्यालयों में प्रति कार्यात्मक संयोजन

<u>आईपीएमडी</u>

सरकार में जानकारी बढ़ाने के लिए परियोजना प्रबंधन की क्षमता निर्माण प्रक्रिया में आईपीएमडी के अधिकारियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है। नेशनल एकेडमी ऑफ स्टेटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रशन परियोजना प्रबंधन के क्षेत्र में दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराएगा। परियोजना प्रबंधन पर कुछ कार्यक्रम प्रति वर्ष एनएएसए में संचालित किए जाएंगे। आईपीएमडी मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में राष्ट्रीय लेखांकन और औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के संकलन के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं भी उपलब्ध कराता है।

<u>एमपीलैड</u>

मंत्रालय योजना के प्रचालन के क्षेत्र में जिलों और राज्य सरकारों के साथ संयोजन रखता है। एमपीलैड धन को जारी करने के संबंध में भुगतान एवं लेखा कार्यालय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफडी) के साथ एक नियमित अंतर-संबंध के अलावा, बिलों की क्लीयरिंग और डिमांड ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक प्रकार का समन्वय स्थापित करता है। मंत्रालय का एनआईसी योजना के डाटाबेस के रखरखाव तथा आईटी संबंधी उपाय प्रदान करने जैसी सुविधा भी प्रदान करता है ।

<u>टीपीपी</u>

बीस सूत्रीय कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय को केंद्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रशासनों के साथ संवाद स्थापित करना आवश्यक है। हालांकि, प्रायः जवाब न मिलने या देरी से आने के कारण निगरानी प्रक्रिया बाधित हो जाती है। कुछ विभिन्न प्रति विभागीय मामले भी हैं जो कार्यक्रम के प्रभावी नियंत्रण को बाधा पहुंचाते हैं। कुछ नोडल मंत्रालयों ने या तो लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया है या लक्ष्यों को देरी से निर्धारित कर रहे हैं, जिनसे योजनाओं को नियंत्रण खराब होता है। कुछ राज्य में शिकायत करते हैं कि उनके राज्य के तय लक्ष्य उनकी सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से या उनके राज्यों में

मौजूदा संसाधनों की कमी को देखते हुए सही नहीं है। क्षमता बाध्यता राज्य योजना के बेकार प्रदर्शन के आम कारणों में से एक कारण के रूप में देखा गया है। मंत्रालय केंद्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्यों के साथ पुनरीक्षण बैठकों में इन सभी मामलों को उठाने का प्रस्ताव रखता है।

6घ. संगठनात्मक पुनरीक्षण और एजेंसियों की भूमिका और वृहद जन सेवा

<u>आईपीएमडी</u>

केन्द्रीय मंत्रालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए नियुक्त परियोजना प्रबंधकों की विस्तृत भागीदारी और तरह तरह की जटिलता के साथ विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन में विभिन्न मुद्दों के निपटारे के लिए आईपीएमडी का कार्य और उत्तरदायित्व बहुत तकनीकी और ज्ञानोन्मुखी स्वरूप का है । परियोजना अधिकारियों द्वारा भूमि अधिग्रहण, कानून और व्यवस्था की समस्या, कानूनी मंजूरी और धन की कमी इत्यादि जैसी समस्याओं के मामले तुरंत उठाए जाते हैं और संबंधित एजेंसी से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगाई जाती है। अपने प्रयासों में, आईपीएमडी परियोजना प्रबंधन के ज्ञान और कौशल में सुधार से संबंधित विविध मामलों पर विभिन्न औद्योगिक संस्थानों और परियोजना प्रबंधन संस्थानों के साथ संवाद भी स्थापित रखता है।

परियोजनाओं के विवरण, । उसकी स्थिति, पूरा होने का समय और प्रगति की जानकारी डालने के लिए ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड मॉनीटरिंग सिस्टम (ओसीएमएस) सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं। परियोजना की प्रगति, समस्याएं, हासिल तथा निर्धारित लक्ष्यों आदि का विवरण डालने के लिए परियोजना अधिकारियों को एक्सेस कोड दिए गए है जिसे दुनिया के किसी भी कोने में देखा जा सकता है।

<u>एमपीलैड</u>

एमपीलैड योजना सांसदों के माध्यम से विकास की स्थानीय आवश्यकताओं और जनसाधारण की वृहद भागीदारी के लिए जमीनी स्तर की योजना है। इसके तहत सांसदों या जन साधारण जनता द्वारा शिकायतें/समस्याओं से जुड़े मामलों पर तुरंत कार्यवाही की जाती है और संबंधित प्राधिकरणों/राज्य सरकारों से एक तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट मंगाई जाती है। बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एमपीलैड कार्यों के विवरण को डालने के लिए एक वर्क्स निगरानी सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। कार्यों के विवरण को अपलोड करने के लिए जिला अधिकारी उत्तरदायी है इन कार्यों को दुनिया के किसी भी कोने में देखा जा सकता है।

टीपीपी

टीपीपी कार्यक्रम प्राथमिक रूप से समाज के अत्यधिक निर्धन वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं इसके मद्देनजर इन कार्यक्रमों के संचालन के लिए सभी ओर से स्वीकृति मिली है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास और बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के साथ, पूर्ण तरह से अपेक्षित है कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम में ढांचागत परिवर्तन आ सकते हैं । अतः टीपीपी में गतिशील परिवर्तन का सामना करने या फिर कार्यान्वयन नीति में बदलाव लाने के लिए, टीपीपी प्रभाग अपने श्रमबल संसाधनों और नीतियों का निरंतर पुनरीक्षण करेगा।

खंड-7: निगरानी और पुनरीक्षण व्यवस्थाएं

I. राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन (एनएसओ)

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की मान्यता है कि किसी योजना की सफलता इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है, जिसे नियंत्रित और पुनरीक्षित किए जाने की आवश्यकता है ताकि समय से सुधारात्मक कदम उठाए जा सके । एनएसओ का प्रस्ताव है कि योजना में रेखांकित प्रत्येक कार्यक्रम/नीतिगत पहलों को वार्षिक आधार पर कार्य योजनाओं में परिवर्तित किया जाएगा और आवधिक पुनरीक्षण बैठकों में एक औपचारिक निकाय द्वारा इनकी पुनरीक्षा की जाएगी । इन पुनरीक्षण निकायों की अध्यक्षता मासिक आधार पर अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसका रैंक संयुक्त सचिव स्तर से कम न हो; इसी प्रकार द्वि-वार्षिक आधार पर एनएसओ के महानिदेशक; तिमाही आधार पर सचिव के स्तर पर अध्यक्षता की जाएगी । केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ पुनरीक्षण केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों के एक सम्मेलन के माध्यम से वार्षिक आधार पर होगा, साथ ही मंत्रालयों/विभागों और राज्य की राजधानियों में पदासीन केंद्रीय सांख्यिकीय परार्मादाताओं/समन्वयकों के साथ तिमाही पुनरीक्षण किये जाएंगे ।

परिणाम कार्यढांचा दस्तावेज (आरएफडी) नीतिगत दस्तावेज और निर्धारित तिथियों में रेखांकित विभिन्न मापदंडों/लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया जाएगा । विभिन्न लक्ष्यों के स्तर पर प्रगति की जांच आवधिक रूप से की जाएगी और इसकी कमियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। नियमित मूल्यांकन के आधार पर, नीति अधिसूचना और अन्य मानदंड साझेदारों के लाभ और हित में किए जाएंगे ।

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन खंड

आईपीएमडी

ओसीएमएस के अंतर्गत वर्तमान परियोजनाओं का राष्ट्रीय स्तर के डाटाबेस को तैयार किया गया है । परियोजना के बारे में नवीनतम जानकारी तक पहुँच बनाने के लिए परियोजना अधिकारियों को क्षेत्र और परियोजना कोड दिए गए हैं । परियोजनाओं को पूरा करने का समय पीईआरटी/सीपीएम के आधार पर रेखांकित किया जाता है और स्वीकृति के बाद इसे मंत्रालय के निरीक्षण के लिए भेजा जाता है। परियोजना एजेंसियों से प्राप्त सूचना मासिक और तिमाही रिपोर्टों में दर्शाई जाती है। पुनरीक्षण तंत्र सचिव द्वारा वार्षिक कार्य योजना, आरएफडी दस्तावेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए आईपीएमडी को परियोजना स्थलों के निरंतर दौरे करने की आवश्यकता होती है ताकि उचित सुधारों के लिए परियोजनाओं में हो रही देरी और लागत को बढ़ने से रोकने के लिए पूरी हो चुकी परियोजनाओं के मूल्यांकन सहित विशेष अध्ययन कराकर कुछ उपाय सुझाए जा सकें । विभिन्न स्तरों पर प्रबंधकों के लाभ के लिए परियोजना प्रबंधन और अवसंरचना प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण व कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। नीति के अंतर्गत, सूत्रबद्ध निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए परियोजना प्रबंधकों के साथ वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय पुनरीक्षण बैठकों का आयोजन और नीतिगत मामलों पर उनकी जानकारी प्राप्त करने जैसे कार्यकलापों को शामिल किया गया है।

एमपीलैड

एमपीलैड योजना का पुनरीक्षण अखिल भारतीय पुनरीक्षण बैठक के माध्यम से कराया जाता है जिसे वर्ष में दो बार कराया जाएगा । राज्यों/जिलों में पुनरीक्षण और दौरे किए जाने हैं । चयनित जिलों में एमपीलैड के कार्यों का निरीक्षण एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से कराया जाता है । जिला अधिकारियों का प्रशिक्षण विभिन्न राज्यों में कराया जाता है । समग्र रूप से, उपर्युक्त निर्दिष्ट तंत्र वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा जो इस मंत्रालय के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण भाग है ।

टीपीपी

अखिल भारतीय पुनरीक्षण बैठक के आयोजन के अलावा, योजनाओं के कार्य-निष्पादन का राज्य-वार तथा योजना-वार पुनरीक्षण का प्रस्ताव भी रखा गया है । मंत्रालय आवश्यकता पड़ने पर, ये पुनरीक्षण एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक के रूप में किसी तृतीय पक्ष से करा सकता है । ये पुनरीक्षण व्यापक रूप से टीपीपी प्रभाग की मौजूदा सुविधाओं और संसाधनों का उपयोग करते हुए किये जाएंगे ।